महानगर नई दिल्ली शनिवार 22 जून, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

योग सबका, सब योग के

रांची में शुक्रवार को पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रभात तारा मैदान में जुटे लोगों के साथ योगाभ्यास करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

“ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ‘योग सबका है और सब योग के हैं’, योग- आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, सरहद के भेद सबसे परे है। ”

खबर पेज 8 पर »

कार चालक ने चार को कुचला

नशे का कहर : एक की मौत, तीन घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में मथुरा रोड पर नीला गुंबद के पास डिवाइडर (सेंट्रल वर्ज) पर सो रहे चार लोगों को देर रात शराब के नशे में एक वाहन चालक ने कुचल दिया। घटना गुरुवार देर रात करीब 3:30 बजे घटी। सूचना मिलने पर पीसीआर और एंबुलेंस की मदद से सभी को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मरने वाले की पहचान आरिफ (23) के रूप में की है

हादसे में घायल तीन अन्य लोगों का ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक अभिषेक दत्त (36) को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी होंडा सिटी कार जब्त कर ली है। पुलिस की जांच में पता चला है कि चालक शराब के नशे में था। अभिषेक अमेरिका के एक शिक्षण संस्थान में कंट्री मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह परिवार के साथ जनकपुरी में रहता है। जिस व्यक्ति की इस घटना में मौत हुई है, पुलिस ने उसकी पहचान आरिफ बाकी पेज 8 पर

घटनास्थल पर मौजूद लोग

पुलिस ने आरोपी अभिषेक दत्त को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी होंडा सिटी कार जब्त कर ली है।

बिहार में बच्चों की मौत का मुद्दा उठा संसद में

विशेष पन्ना राजकाज पेज 7 पर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

बिहार में दिमागी बुखार से 130 बच्चों की मौत का मुद्दा शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में उठा। राज्यसभा में सदस्यों ने केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप करने और पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। वहीं लोकसभा में कारणों की भी जांच की मांग की गई।

उच्च सदन में शून्यकाल में सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस घटना पर शोक जताते हुए कहा कि सदन उन बच्चों को श्रद्धांजलि देता है। इसके बाद सदस्यों ने अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण का मौन रख कर दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि दी। नायडू ने बिहार में बच्चों की मौत के मुद्दे पर चर्चा के लिए दिए गए कार्य स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और यह विषय शून्यकाल में उठाने की अनुमति दी।

भाकपा के विनय विश्वम ने कहा कि सरकार इसे दुर्घटना बता रही है लेकिन इसे गरीब बच्चों की ‘हत्या’ कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर 130 बच्चों की मौत हो चुकी है और अस्पतालों में न तो कोई दवा है और न ही इस रोग के इलाज के लिए जरूरी सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और हर साल देश में करीब 24 लाख बच्चों की कुपोषण के कारण मौत हो जाती है। विश्वम ने सरकार से अनुरोध किया कि वह स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे। कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सदस्य इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे थे लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी।

राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि कुछ भ्रामक जानकारी की वजह से कई लोगों ने लीची खाना और लीची का जूस पीना बंद कर दिया है

उन्होंने इस मामले को लीची उत्पादक किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र होने की आशंका भी जताई

बिहार के सारण से भाजपा लोकसभा सदस्य राजीव प्रताप रूडी ने शून्यकाल में इस विषय को उठाया और कहा कि मुजफ्फरपुर में हालात बहुत चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है कि मुजफ्फरपुर में बच्चों द्वारा लीची का सेवन करना इन्सेफेलाइटिस का कारण हो सकता है। हम बचपन से लीची खा रहे हैं लेकिन हमें इन्सेफेलाइटिस नहीं हुआ। रूडी ने कहा कि कुछ भ्रामक जानकारी की वजह से कई लोगों ने लीची खाना और लीची बाकी पेज 8 पर

मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाया

जीएसटी रिटर्न भरने की नई प्रणाली अगले साल एक जनवरी से

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण (एनएए) का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 फीसद तक जुर्माना लगाने की मंजूरी दी है। जीएसटी परिषद की शुक्रवार को यहां हुई 35वीं बैठक के बाद राजस्व सचिव एबी पांडेय ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण के लिए कंपनियों को आधार के इस्तेमाल की अनुमति देने का भी फैसला किया गया है। साथ ही जीएसटी व्यवस्था के तहत वार्षिक रिटर्न जमा कराने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। पांडेय ने यह भी बताया कि एक-फॉर्म वाली नई जीएसटी रिटर्न प्रणाली एक जनवरी, 2020 से लागू हो जाएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुआई वाली परिषद में सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद ने मल्टीप्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक चालान (इनवॉयस) और ई- टिकटिंग को भी मंजूरी दे दी। पांडेय ने बताया कि बिजली चालित यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 से घटाकर पांच फीसद और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 फीसद करने का प्रस्ताव फिटमेंट समिति को भेजा गया है।

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधक प्राधिकरण का कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया गया है। जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था। उसके तत्काल बाद सरकार ने दो साल के लिए एनएए की स्थापना को मंजूरी दी थी।

एनएए 30 नवंबर, 2017 को इसके चेयरमैन बीएन शर्मा के कार्यभार संभालने के बाद अस्तित्व में आया था। अभी तक एनएए विभिन्न मामलों में 67 आदेश पारित कर चुका है। उसके बाद भी आने वाली शिकायतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है।

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 फीसद तक जुर्माना लगाने की मंजूरी

वार्षिक रिटर्न जमा कराने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई

चार आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी मांगी सतर्कता आयोग ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने नीति आयोग की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सिंधुश्री खुल्लर और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी समेत चार वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित एक मामले में दंडित करने की कार्रवाई के लिए वित्त व कार्मिक मंत्रालय से मंजूरी मांगी है। यह मामला आइएनएक्स मीडिया में 305 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा मंजूरी देने में अनियमितता से संबंधित है।

अधिकारियों की इस सूची में हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना और केंद्र में आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व अवर सचिव रबींद्र प्रसाद का नाम शामिल हैं। सीबीआइ और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी आरोपी हैं। जांच व प्रवर्तन एजंसियों का दावा है कि छानबीन के दौरान इस मामले में इन अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। इसीलिए इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और उनको गिरफ्तार किए जाने की अनुमति मंत्रालय से मांगी गई है। इन अधिकारियों में से कुछ सेवानिवृत्त बाकी पेज 8 पर

इन अधिकारियों में नीति आयोग की पूर्व सीईओ और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय के पूर्व सचिव शामिल

सेवा से बाहर किए जाएंगे भ्रष्ट व नाकारा कर्मचारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

केंद्र सरकार ने भ्रष्ट व नाकारा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों व अपने सभी विभागों से अपने कर्मियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी विभागों से हरेक श्रेणी के कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा ‘पूरे नियम कायदे’ से करने के साथ यह भी सुनिश्चित करने बाकी पेज 8 पर

भारतीय तेल टैंकरों पर तैनात होंगे नौसैनिक

खाड़ी में तनाव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने हॉर्मूज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में दो युद्धपोतों की तैनाती के बाद भारतीय नौसेना ने अब उस इलाके से होकर आने और जाने वाले तेल टैंकरों पर अपने अधिकारियों व नाविकों को तैनात करने का फैसला किया है। ईरान के द्वारा अमेरिकी ड्रोन मार गिराने के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण हालात बन गए बाकी पेज 8 पर

ऑपरेशन ‘संकल्प’ के तहत एक तेल टैंकर की सुरक्षा में तैनात आइएनएस सुनयना।

विरोध के बीच तीन तलाक विधेयक पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में मुसलिम महिलाओं को तीन तलाक देने की प्रथा को समाप्त करने से संबंधित विधेयक को शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले विधेयक के रूप में पेश किया। विपक्ष के भारी विरोध के बीच सदन ने विधेयक को 74 के मुकाबले 186 मतों के समर्थन से पेश करने की अनुमति दी।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में ‘मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019’ पेश करते हुए कहा कि विधेयक पिछली लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन सोलहवीं लोकसभा लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण और राज्यसभा में लंबित रहने के कारण यह निष्प्रभावी हो गया। इसलिए सरकार इसे दोबारा इस सदन में लेकर आई है।

उन्होंने विधेयक को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्यों की आपत्ति को सिरे से दरकिनार करते हुए संविधान के मूलभूत अधिकारों का हवाला दिया, जिसमें महिलाओं और बच्चों के साथ किसी भी तरह से भेदभाव का निषेध किया गया है। विपक्षी सदस्य इसे एक समुदाय पर केंद्रित और संविधान का उल्लंघन करने वाला बता रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जनता ने हमें कानून बनाने भेजा है। कानून पर बहस और व्याख्या का काम अदालत में होता है। संसद को अदालत नहीं बनने देना चाहिए। प्रसाद ने कहा कि यह ‘नारी के सम्मान और नारी-न्याय का सवाल है, धर्म का नहीं।’ प्रसाद ने सवाल किया कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मुसलिम महिलाएं तीन तलाक के चलन बाकी पेज 8 पर

विपक्ष के भारी विरोध के बीच सदन ने विधेयक को 74 के मुकाबले 186 मतों के समर्थन से पेश करने की अनुमति दी

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की आपत्ति को सिरे से नकारते हुए संविधान के मूलभूत अधिकारों का हवाला दिया

निर्माणाधीन युद्धपोत में आग, एक की मौत

मुंबई, 21 जून (भाषा)।

भारतीय नौसेना के लिए मझगांव गोदी में निर्माणाधीन युद्धपोत में शुक्रवार शाम आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

शहर की दमकल सेवा के प्रमुख पीएस राहंगडाले ने बताया, ‘निर्माणाधीन युद्धपोत ‘विशाखापत्तनम’ में शाम पांच बजकर 44 मिनट पर आग लग गई। यह आग इस जंगी पोत के दूसरे डेक पर लगी और बाद में इसकी चपेट में दूसरा और तीसरा डेक आ गया। एक रक्षा अधिकारी ने आग में फंस गए व्यक्ति की मौत होने की पुष्टि की है। सरकारी जेजे अस्पताल के मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया, ‘ब्रजेंद्र कुमार (23) को अस्पताल में मृत लाया गया था।’

दरअसल

पांचवें योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम रांची में **योग की धूम** **प्रधानमंत्री की स्फूर्ति से चकित रह गए लोग**

40 मिनट में प्रधानमंत्री ने किए 24 योगासन

रांची, 21 जून (भाषा)।

पांचवें अंतरराष्ट्रीय योगदिवस के अवसर पर शुक्रवार को यहां आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग चालीस हजार लोगों के साथ चालीस मिनट में 24 योगासन किए जिसे देखकर बच्चे और बुजुर्ग सभी चकित रह गए। प्रधानमंत्री ने यहां धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में सिर्फ चालीस मिनट में लगभग दो दर्जन विभिन्न योगासन किए और इस दौरान उन्होंने कोई त्रुटि नहीं की जिसे देखकर यहां आए चालीस हजार से अधिक लोग अचंभित थे।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक एम बसवा रेड्डी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री व अन्य सभी लोगों ने वज्रासन और पार्श्वोत्तानासन से लेकर मत्स्यासन, ताड़ासन, सेतुबंधासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन, शवासन व प्राणायाम समेत लगभग दो दर्जन योगासन बड़ी कुशलता से किए। नीली धारी वाली सफेद टी शर्ट, सफेद पायजामा व सफेद मोजे के साथ गुलाबी-सफेद प्रिंट वाला गमछा डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण देकर लोगों के बीच योगासन के लिए जाने लगे तो आसमान से बारिश की बूंदे टपकने लगीं। लेकिन प्रधानमंत्री के पग ठिठके नहीं और वह मंच से उतरकर सीधे अर्ध सैनिक बलों के बीच रिक्त स्थान पर पहुंचे और सब के बीच बैठकर उन्होंने योगासन किए।

प्रधानमंत्री व उनके साथ प्रभात तारा मैदान में उपस्थित सभी लोगों ने वज्रासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, सेतुबंधासन, पदांगुष्ठ धनुरासन, आंजनेयासन, बाकी पेज 8 पर

नीली धारी वाली सफेद टी शर्ट, सफेद पायजामा व सफेद मोजे के साथ गुलाबी-सफेद प्रिंट वाला गमछा डाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रुटिहीन योग को देखकर मैदान में मौजूद चालीस हजार लोग अचंभित हो गए।

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक एम बसवा रेड्डी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री व अन्य सभी लोगों ने वज्रासन और पार्श्वोत्तानासन से लेकर मत्स्यासन, ताड़ासन, सेतुबंधासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन, शवासन व प्राणायाम समेत लगभग दो दर्जन योगासन बड़ी कुशलता से किए।

रविवारी
23 जून, 2019

चलो घूमने गांव चलें

ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है। अब लोग पहाड़ों, ऐतिहासिक स्थलों की तरह ही गांवों की सैर को भी निकल रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन के बारे में बता रही हैं अनीता सहरावत।

•कविता/ राजकुमार कुंभज •कहानी/ सोनी पांडेय •ललित प्रसंग/ सुरेश सेठ •आधी दुनिया/ कमल कुमार •शख्सियत/ देवकी नंदन खत्री •दाना-पानी/ मानस मनोहर •सेहत/ रविवारी डेस्क

•पहनावे के साथ जरूरी है सुरुचि सुमन बाजपेयी

•कविता/ दिविक रमेश •कहानी/ पवन कुमार वर्मा

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Virendra S/o Bhopal Singh R/o-6F/48C, Shradhapuri, Phase-1, Kanker-Khera, Meerut have changed my name to VIRENDRA SINGH for all purposes. 0040500213-1

I,Varun S/o-Geeta Prasad R/o-RZ-23,phase-2,block-A, Street-2, JaiVihar, Najafgarh, New Delhi-110043, have changed my name from Varun to Varun Prasad for all purposes. 0040500278-5

I,Uma Rani Verma W/O-Shiv Verma R/O-E-58-B Bengali Colony Mahavir Enclave Delhi 110045 Have Changed My Name To Umaa Shiv Verma. 0040500278-7

I,Sumeet Kumar S/o Dalip Kumar R/o 64A, Aram Park, Near Chandu Park, Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Sumit Kumar Thakker. 0040500275-9

I,Siddarth Arora S/O Surender Kumar Arora R/O-B-501 IERO Uptown Sector 66 Gurgaon Haryana Have Changed My Name To Siddharth Arora. 0040500266-6

I,Samiksha Shokeen D/o Satish Kumar Shokeen R/o Plot No-3,Dalip Vihar Nilothi Extn Delhi 110041 have changed my name to Sameeksha Shokeen. 0040500286-6

I,Ranjeet Kumar Jha S/o-Kamdeo Jha R/o-S R mandir, Block-C,Anand vihar Delhi-92 have changed my name from Ranjit Kumar Jha to Ranjeet Kumar Jha,both are same person for all future purposes. 0040500213-10

I,Nidhi Arora W/O-Vikram Arora,R/O B-98, 1st Floor,Near Ram Mandir, Vivek Vihar Phase-1,Delhi-110095 Have Changed My Minor Son Name Krishna Gupta To Krishna Arora. 0040500286-1

I,Neeraj Narang S/o V.P. Narang R/o M-271,Guru Harikishan Nagar, Paschim Vihar, Delhi 110087,have changed my minor son's name from Aryan Narang to Aaryan Narang. 0040500266-1

I,Mohd Sharif S/O-Allah Noor Khan R/O-H.No-1011,Mohalla Kishan Ganj,Teliwara Azad Market Delhi-110006 Have Changed My Name To Mohd Sharif Khan For Future. 0040500286-2

I,Jayesh Srivastava S/o Suresh Chandra Srivastava R/o-349 First Floor, Sector-30-33, Indraprastha Colony Faridabad, Haryana-121003, have changed my minor daughter's name Sumridhi Srivastava to Samridhi Srivastava Permanently. 0040500266-10

I,Hoshang Verma S/O-Shiv Verma R/O-E-58-B Bengali Colony Mahavir Enclave Delhi 110045 Have Changed My Name To Hosshang Verma. 0040500278-6

I,Hareesh Kumar S/o Nand Lal Chawla R/o-6/214, First Floor, Geeta Colony, Delhi-110031 have changed my name to Harish kumar Chawla for all purposes. 0040500266-7

I,Hardesh Kumar Gupta S/o Brij Mohan Gupta R/o-58 Chitra Vihar Nirman Vihar Delhi-110092 have changed my name to Hardesh Gupta. 0040500213-9

I,Chhakchoak Ralkapthangi David W/O Vijay David R/O L-36-B, Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Have Changed My Name To Ralkapthangi David. 0040500213-6

I,Arun Kumar Bhatara S/o-J.N.Bhatara R/o-H.No.139, Pocket-11, Sector-24, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Arun Bhatara Permanently. 0040500278-10

I,Ameena Begum W/o-Mohammed Zainul Abedin R/o-954 Kucha-Rohilla khan Tiraha Behram Khan Darya Ganj New Delhi-110002.have changed my name to Amina. 0040500278-8

I,Anita Rani W/O Raj Kumar R/O House NO-38, Gali NO-2, Extn.Rajiv Colony, Narela, Delhi-110040 Have Changed my Name to Anita. 0040500213-8

I,Aditi Agarwal D/O-Shri.Pawan Aggarwal R/O-H.No-26/2, Second floor,Shakti Nagar, Delhi-110007,inform that Aditi Agarwal & Aditi Agrawal both are the name of Same person. 0040500202-2

I, hitherto known as Ajay Kumar S/o Shri Ram Swaroop R/o 2 G, Church Compound, Masih Garh, New Delhi-110025 changed my name and shall hereafter be known as Ajay Augustin Roque. 0040500283-5

I Hitherto Known As Shilpa Mishra W/o Arun Yadav D/o Jai Manohar Mishra R/o Flat No. 775 J Tower, 5th Avenue, Gaur City 1, Greater Noida, Delhi 201301, Have Changed My Name And Shall Hereafter Be Known As Shilpa Yadav. 0070661438-1

I Geetika Motwani D/o Sudama Lal And W/o Dinesh Kumar Khanchandani R/o House No. 21-B, Pocket-A-1, Mayur Vihar, Phase-3, Delhi- 110096 Have Changed My Name To Kanak Khanchandani For All Purposes. 0070661470-1

व्यक्तिगत

I, Vishal Singh S/O, Vinod Kumar Singh R/o Flat No-8023, Block-D, 16th Avenue, Gaur City-2, Noida, have changed my name to Vishal Kumar Singh for all purposes. 0040500258-1

I, Vipin Mahajan S/o Shri Tilak Raj Mahajan resident of M-5, Ground Floor, Opp. Arya Samaj Mandir, Greater Kailash-II, New Delhi-110048 have changed my name Vipin Mahajan to Vipin Kumaar Mahajan for all purposes. 0040500193-1

I, Surendra Kumar S/O Purshotam Lal Singhal R/O Plot No.B-1/23,3rd-Floor, Mianwali Nagar, Delhi-87, Changed My Name To Surender Kumar Singhal. 0040500275-4

I, Sunita W/o Sh. Sunil Chopra R/o-B-1049,First Floor,Palam Vihar, Gurgaon,Haryana,have changed my name to Prerna Chopra for all future purposes. 0040500172-2

I, Sonu Puri W/o Gurdeep Puri R/o C-80, Sec-40, Noida, have changed my name from Sonu Puri to Sonu Kaur Puri as per Affidavit Sworn in before the Notary Public on 25.06.19 for all purposes in future. 0040500159-1

I, Simran W/o Virender Sharma R/o-H.No-317,Lahore Apartments,Vasundhara Enclave,Delhi–110096 have changed my name to Neena Sharma permanently. 0040500202-1

I, Shefali Gupta W/o Mr. Joginder Pal Gupta R/o Flat No-7003, Ansal Sunshine County, Kundli Sonepat, Haryana-131028, have changed my name to Rajesh Kumari Garg for all purposes. 0040500254-1

I, Shalini Sunil Gupta W/o Sunil Gupta residing at WZ-692, Second Floor Shiv Nagar Extension New Delhi 110058, have changed my name to Shalini Gupta for all purposes. 0040500151-1

I, Shakeel Ahmad S/O Khaleel Ahmad R/O-53, Kh.No.-147, Near Mohammadi Masjid Garhi Burari Delhi-84,Changed My Name To Maulana Shakeel Ahmad. 0040500275-5

I, Seema Bala Gupta/Seema Gupta W/o-Awadhesh Kumar Jha R/o-73 SFS-Flats Golden-Jubilee Apartment Sector-11 Rohini Delhi-85. Changed my name to Seema Jha. 0040500278-3

I, Satish Kumar Gaur S/O, Late Jagdish Chand Gaur R/o H No.110, Ag Block, Shalimar Bagh, have changed my name to Satish Chand Gaur for all purposes. 0040500166-1

I, Sanjay Kumar, son of Shri Satish Chand R/0 D-165, Sector-61, Noida Gautam Buddha Nagar, UP-201301, changed my son's name to Kartik Sangwan. 0040500199-1

I, Sangeeta Badhan W/o Balwant Singh R/o-40-C,Jhang Appartment Plot.No.40 Sector-13 Rohini Delhi-85, changed my name to Sangeeta. 0040500278-1

I, Samreen Mohd W/o Jameel Ahmed R/o, 943 Punjabi Phatak Ballimaran Delhi-110006 Have Changed My Name To Samreen. 0070661472-1

I, Renu W/o Ashok Kumar R/o C5C/14B Janakpuri New Delhi-110058 have changed my name to Renu Kumari for all purpose. 0040500194-1

I, Sambhav Sareen S/O, Satish Kumar R/o H.No. 123, Block D, Sec-61, Noida(UP)-201301, have changed my name to Sambhav Kumar for all purposes. 0040500176-1

I, Ravinder Kumar S/o Rajpal Singh R/o-397A, Pratap Vihar, Part-2, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086 have changed my name to Ravinder. 0040500266-5

I, Rashmi/Rashmi Kishore W/o Ram Kishore Prasad Singh R/o-112, Block-2, ExpressGarden, Vaibhav-Khand, Indirapuram, Ghaziabad have changed my name to Rashmi Bharti. 0040500266-3

I, Ram Pyare S/o Prahlad R/o O-61,Mangolpuri, Delhi have changed my name from Ram Pyare to Ramashray Pal for all purposes. 0040500275-10

I, Ram Parkash Mishra S/O Achhe Mishra R/O A-4/444, Paschim Vihar, Delhi-63, Changed My Name To Rampavesh Mishra. 0040500275-2

I, Ram Kumar Maheshwari S/o Amar Nath Maheshwari R/o-306/9 First-Floor Amritpuri-B Garhi East of Kailash Kalkaji Delhi-65. Changed my name to Ram Maheshwari. 0040500278-2

I, Rajinder Singh S/o Mahendra Singh R/o A-2, 2nd Floor, Plot No.424, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad, UP-201010 have changed my name to Rajendra Singh for all purposes. 0040500157-1

I hitherto known as Arjun S/O Bal Bahadur R/O-23 C-Block Staff Quarters Dhaula Kuan Moradabad Pahari Delhi Cantt South West Delhi-110010 have changed my name and shall hereafter be known as Arjun B.K. 0040500286-3

I Madan Mohan S/o Kali Charan R/o 2/70, Geeta colony, Delhi-110031 have changed my name to Madan Mohan Sharma for all purposes. 0040500266-8

I, Radha Devi W/O Subaran Singh R/O-Ihqof Mod Army Tpt Unit Asc, Dhaula Kuan New Delhi-110010 Have Changed My Name To Radha Rani For All Purposes. 0040500283-4

I, RIYA SINGH D/o Mr.Harsharan Singh R/o 107, AGCR ENCLAVE, DELHI-110092 (INDIA) informs that RIYA SINGH D/o Mr.Harsharan Singh and RIYA SINGH GAMB-HIR D/o Mr. Harsharan Singh is the same & one person. For all future purposes, my name would be RIYA SINGH. My date of birth is 04.11.1992. 0040500159-2

I, Prashottam Lal S/O Hari Kishan Lal R/O-Sanjay Colony, Ward.No.11, Baz Pur, Udham Singh Nagar, Uttrakhand-262401,Changed My Name To Purshotam Lal Singhal. 0040500275-3

I, Piyush Govil S/o Sh. Deepak Govil R/o G-77, Kiran Garden, Near Kiran Garden Gurudwara, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Piyush Goyal for all purposes. 0040500180-2

I, Pawan Tandon, Pawan Bindra W/o Mukesh Tandon R/o 13/282 Geeta Colony Delhi-110031 have changed my name to Rashmi Tandon for all future purposes. 0040500148-1

I, Parvez Khan S/O, Prayaz Khan R/o P- 53, Police Radio Colony, Bhopal, MP, have changed my name to Mohammad Parvez Khan for all purposes. 0040500167-1

I, Pargat Singh R/o-Vpo-Bhagowal,Gurdaspur,Batala (Punjab)-143511 have changed my son's name,from Himat Raj Singh to Himmatraj Singh for future purposes. 0040500278-4

I, Parbhjot D/O Balbir Singh R/O-Shankar Garden, Gali.No.7, Line-Paar, House. No.239/3, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana-124507 Changed My Name To Parbh Jot Kour. 0040500275-6

I, Nidhi Gupta W/O Vikram Arora R/O B-98, 1st Floor,Near Ram Mandir, Vivek Vihar Phase-1,Delhi-110095 Have Changed My Name To Nidhi Arora. 0040500278-9

I, Naresh S/o Makhan Lal Khurana R/o-G-631/7, Sangam Vihar, Delhi-110062, have changed my name to Naresh Khurana. 0040500266-2

I, Beena Arora w/o Harish Gaba r/o A-5/52, Moti Nagar, New Delhi-110015, have changed my name to Kiran Gaba. 0040500197-1

I, Nafisa Firoz W/o Firozuddin R/o House No.1040, Gali Rajan, Farash Khana, Delhi-110006, have changed my name to Nafisa begum. 0040500150-1

I, Mohd Mouzzam, S/o Mumtazuddin R/o-2730 Gali Chandi Wali, Pahari Bhojla, JamaMasjid Delhi-110006, have changed my name to Mohammed Moazzam. 0040500266-4

I, Manroop Singh Bhalotia S/o Agadi Ram R/o-E-14 MRD Appts Plot No-20 Sector-6 Dwarka Delhi 110075 have changed my name to Manroop Singh. 0040500286-5

I, Manoj Kumar s/o Narayan Singh r/o 709 Village Mundka Delhi-110041, have changed my name to MANOJ KUMAR LAKRA Permanently. 0040500182-1

I, Lokesh Kumar S/o Late Sh.Madan Lal Gupta R/o-3794/4. Kanhiya-Nagar, Tri-Nagar, Delhi-35, have changed my name to Lokesh Kumar Gupta. 0040500213-5

I, Krishan Kumar S/O Om Parkash Saini R/O WZ-45, Village Budhela, Vikaspuri, Delhi-18, Changed My Name To Krishan Kumar Saini. 0040500275-1

I, Karma Dukgyal S/o Longchoe R/o House No.47, Camp No.2 PO Pratapgarh Distt Gondia, Nagpur, Maharashtra have changed my name from Karma Dugyal to KARMA DUK-GYAL for all future purposes. 0040500163-1

I, Kabita Kumari Sinha W/O Amitabh Gaur R/O-E-7,Pusa Apartment, Sector-15, Rohini, Delhi-89, Changed My Name To Kavita Gaur. 0040500213-4

I, Jitendra Prtap Singh S/o Pujari Singh R/o C-93, Avas Vikas Colony Grassfarm PAC 27v Vahini Anshik, Sitapur (U.P.) have changed my name to Jitendra Pratap Singh for all future purposes. 0040500183-1

I, Jaspal Kaur W/o Ikbal Singh R/ o A-652, Shastri Nagar, Delhi-52 have changed my name to Manpreet Kaur permanently. 0040500184-1

I, JC-727416-N RANK Sub Maj Satya Pal S/o Ramji Lal R/o OD Shakurbasti JCO'S Club New Delhi-110056 inform that my wife's name is wrongly mentioned as Shyam Vati instead of Shyam Wati in my army record. Her actual and correct name is Shyam Wati 0040500155-1

I, Arvind Aggarwal R/O 1841/138, Shanti Nagar, Trinagar, Delhi-35. Changed My Minor Child Name From Akshraa Aggarwal To Akshara Aggarwal. 0040500275-7

I, Ananya D/o Ratnesh Jain R/o-45/7 Gali No.14,East Azad Nagar,Krishna Nagar Delhi-110051,have changed my name to Ananya Jain for all purposes. 0040500213-7

व्यक्तिगत

मैं प्रिया राजेश पाण्डेय पुत्री राजेश कुमार पाण्डेय मकान नं. 230/9–z रूम नं. 202 गली नं. 15 रेलवे कॉलोनी मंडावली, दिल्ली–92 अपना नाम प्रिया पाण्डेय कर रही हूं।

I, JASVEER SINGH S/O HARNAM DASS R/O H NO-40 MASTER MOHALLA LIBASPUR DELHI-110042 Chaged my name to JASVEER SINGH SAINI 0040500283-1

I, Humaira D/o Anwar Ahmed R/o-936, Street Chan Shireen, Farash Khana, Delhi-110006 have changed my name to Humaira Anwar. 0040500275-8

I, Harmeet Singh Kandhari S/O Ajit Singh Kandhari R/O-WZ-38B,1st Floor, Gali No-6, Krishna Park, Tilak Nagar, New Delhi-110018 Have Changed My Name To Harmeet Singh. 0040500213-3

I, Harbans Lal S/o Late Shri Panju Ram R/o-CU-13, Second Floor, Pitampura, Delhi-110034, have changed my name to Harbans Lal Malik (D.O.B-05-01-1945) for all purposes. 0040500247-1

I, Gurpreet Singh Sachdeva S/O Kulvinder Singh Sachdeva R/O-D-40/B,2nd floor, Mahendru Enclave, Delhi-110033, have changed name Gurpreet Singh for future. 0040500202-3

I, Gaurav Kumar Babbar S/o Ajay Kumar Babbar R/o 4/122, Second Floor, Subhash Nagar, Tagore Garden, West Delhi-110027, have changed my name from Gaurav Kumar Babbar to Gaurav Babbar for all future purposes. 0040500209-1

I, Fazruddin S/o Mr. Nasruddin R/o Village Jakhopur (Dauj) Distt. Faridabad, Haryana have changed my minor daughter's name Jannat to Sahina. Now she will be known as SAHINA for all future purposes. 0040500162-1

I, Harpreet Kaur Bhatia W/o-Gursharan Singh R/o-118/D-12, First Floor, Sector-7, Rohini, Delhi-110085, have changed my name to Harpreet Kaur for all purposes. 0040500241-1

I, Dinesh Kumar s/o Surjan Lal Panwar r/o A-541, Madipur, Delhi-110063, informs that Dinesh Kumar and Dinesh Panwar are names of one and same person. 0040500195-1

I, Deepika Dahiya W/o Vikas Ghanghas R/o G-12, Kiran Garden, Uttam Nagar, West Delhi-110059, have changed my name from Deepika Dahiya to Deepika Vikas Ghanghas for all future purposes. 0040500229-1

I, David Vijay S/O Prem Singh R/O L-36-B,Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Have Changed My Name To Vijay David. 0040500213-2

I, Darshna Rani W/O, Anil Kumar R/o A-93, 1st Floor, Nand Ram Park, Uttam Nagar, ND-59, have changed my name to Deepa for all purposes. 0040500165-1

I, Chauth Mal Meena S/o Rediya Ram Meena R/o-Nyorana, Dokan,Sikar,Neem-ka-Thana, Rajasthan-332718 have changed my name to Pankaj Kumar for all Purposes. 0040500266-9

I, Bimal Bhalotia W/o Manroop Singh R/o-E-14 MRD Appts Plot No-20 Sector-6 Dwarka, Delhi 110075 have changed my name to Bimal. 0040500286-4

I, Bhagwati Kadamb W/O, Krishan Lal Kadamb R/o 285, Pocket-E, Mayur Vihar, Phase-2, Delhi-91, have changed my name to Bhagwati Devi Kadamb for all purposes. 0040500164-1

I, Bhagwan Dass S/O, Ram Kishan R/o 254 Gali No. 18, Sant Nagar Burari, North Delhi, Delhi-84, have changed my name to Bhagwan Dass Saini for all purposes. 0040500259-1

I, Ayush Anand S/o Ajay Kumar Saxena R/o Flat No-502, Block-B, Sector-17 Vasundhara Ghaziabad U.P-201012, have changed my name to Ayush Anand Saxena. 0040500161-1

I, Rita Verma@Rita D/o Shivcharan Verma W/O Pardeep Kumar Kushwaha R/O A-31, Balbir Nagar,Kirari, Suleman Nagar, Delhi-86 have changed to Divya Kushwaha for all purposes. 0040499697-6

I, Rajeev kumar S/O Ant Ram chodhary R/O H.No-93 street no -1 Gamri Delhi-110053 have changed my minor daughter name from Kashish to Yashika. 0040500116-2

I,Sanjeev kumar Sharma S/o Sudhir kumar Sharma R/o-H-15/8 Gali No-28, Jai Prakash Nagar, Ghonda Delhi-53 have changed my name to sunny(Date of birth-05-03-2000) 0040500283-7

PUBLIC NOTICE

"Public in general, is hereby informed that my client Smt. Saroj Ghai aged about 68 years W/o. Late Sh. Prem Raj Ghai R/o. C-5/36-A, Keshav Puram, Delhi-110035 has severed all her relations and connection with her son Sh. Ankush Ghai aged about 37 years and his wife Ms. Pooja Ghai R/o.C-5/36-A, Keshav Puram, Delhi-110035 debarred them from all her movable and immovable properties as they have proved to be most Disrespectful, Disobedient and Harmful towards my client, My client and his family members shall not be Responsible for any legal or illegal activities of her son and her daughter-in-law. In future anybody deals with the son and daughter-in-law of my client in any manner whatsoever, my aforesaid client shall not be liable for any consequences of the said dealings. Any dealings with the son and daughter-in-law of my aforesaid client, shall be done at the risk and cost of persons who would deal with them.

Sd/-
Palvinder Singh (Advocate)
Ch. No. 1118, Rohini Courts, Delhi-85

खोया+पाया

सम्पत्ति नं. F-3 न्युगोबिन्दपुरा, दिल्ली–110051 की ORIGINAL SALEDEED (24/ 06/ 2010) की कहीं खो गई है, जिसे मिले उपरोक्त पते पर सूचित करें, कवल कुमार #9711661166

I, Vikram Singh Rawat R/o-3 SF Block-104 Sector-10 Greater Noida do here by solemnly inform that have lost Allotment Letter Greater noida Industrial development Authority BHS16 1128, Founder please Contact-9717653861. 0040500172-1

Lost my Original Qualifying Examination Certificates of main Exam year-2014 Class-Xth, Roll No.8120761 & year-2016 Class-XIIth, Roll No.9116507 pass out from CBSE, Delhi Samridhi Sachdeva R/o-122/35 Street No- 8,west Azad Nagar Delhi-51 0040500283-6

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Marksheet and Certificate of Main Secondary Examination of Year 2011 and Roll No.8607039 issued by CBSE has been actually lost. Mohd Asad, Add: E-2, Rani Garden Ext. Shastri Nagar, Delhi-110031. Contact: 8800212162 0040500149-1

I, Noopur Gupta R/O F-57/B, Mangal Bazar Laxmi Nagar, New Delhi. Lost my Original Marksheet of Secondary Examination year 2004, Roll No. 4204889 pass out from CBSE. Finders May Contact 7836018108. 0040500101-1

I, Saloni Jain D/o Rachna Jain H. No. WZ-8A/3, Gali No.-2, Mahavir Nagar, Janakpuri East, New Delhi have lost my 10th Class certificate (Roll No. 8179764, Year-2016) & 12th Class certificate (Roll No. 9204775, Year-2018) finder may contact: 9999862478 0040500234-1

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my client Kanta Rani W/o Bansi Lal Sharma House No. A-36-A, Chanakya Place, Pankha Road, New Delhi-110059 do hereby disown and debar her Sons Vinod Kumar Sharma and his wife Simran Alias Sonia and Parmod Kumar Sharma and his wife Meenakshi Alias Naina from all her movable and immovable properties with immediate effect, they are out of control of my client.

Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk cost and responsibility.

Sd/B.B.N. DEO, ADVOCATE
SR-II, B. Coumpus, Janakpuri, New Delhi-58

Public Notice

The General Public is hereby informed that my clients S.PARAMJIT SINGH S/o Late S. NIRMAL SINGH and his wife SMT HARJEET KAUR both R/o C-39, 2nd Floor, Fateh Nagar, New Delhi-18, have severed all their relations with their son S. HARPREET SINGH, daughter-in-law SMT GURPREET KAUR and grandson TEJAS. My client have disowned and debarred all of them from all their movable and immovable properties. Anybody dealing with debarred persons shall do so at his/her/their own risk and responsibility and my clients shall not be responsible for any activity of the debarred persons.

Praveen Rastogi(Advt.)
RZ-97 Khushi Ram Park, Uttam Nagar

PUBLIC NOTICE

My clients ILIYAS Khan S/o Sh. Alijan Khan and Shama Parveen W/o Sh. ILIYAS Khan both R/o FA-34, Shaheen Bagh Abul Fazal-2, Jamia Nagar, New Delhi-110025, have severed their all relation and disowned / debarred their younger son Adil Khan S/o Sh. ILIYAS Khan from their all moveable-immovable properties and assets. My clients shall not be responsible for his any acts and deeds done by him.

Ayyub Ahmad (Advocate)
Ch. No. 457, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

My clients Smt. Munni Devi W/o Lt. Sh. Keshpal Singh R/o RZI-71, Old Som Bazar Road, Mahavir Enclave, New Delhi, South West Delhi-45 have disowned & debarred his/her Son Mr. Vinod Kumar, his wife Smt. Deepa Sengar & their children Yash Chauhan & Ansh Chauhan from all their movable & immovable properties with immediate effect because of their constant fighting/threatening at home & loss of my client's mental peace, harrasment, torture, curelty, atrocities committed by them & they also threaten my client to file false dowry case. Anybody dealing with them shall do so at his/her own risk, cost & responsibilities.

Adv. B. B. N. Deo
Authority Building, Janakpuri

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that under instructions from and on behalf of my client MAHENDER SINGH S/O Moti Ram, R/O, C-680, Sudershan Park, New Delhi-110015, have disowned/debarred/discard his son NARENDER VERMA, from all her immovable properties and moveable assets, and severed all relations with them due to their disobedience and misbehavior. Anybody dealing with him/her/them, will do at his/her/their own risks, costs and responsibility and my client and all his other family members shall not be responsible for any acts done by themselves.. J.C. Trikha (Advocate)
Ch.No.M-4, C.S., Tishazari Courts, Delhi.

PUBLIC NOTICE

That my client Mr. Kishan Singh Mahra, S/o Late Chandan Singh Mahra, resident of Kh. No.18/23/1, Block-B, Gali No.7, Amrit Vihar, Burari, Delhi-84, have debarred his son namely Ravinder Singh Mahra S/o Kishan Singh Mahra, daughter-in-law Rajni Mahra W/o Ravinder Singh Mahra and grandson Akansh Mahra S/o Ravinder Singh Mahra all R/o Kh.No.18/23/1, Block-B, Gali No.7, Amrit Vihar, Burari, Delhi-84 from all of my client's movable and immovable assets, due to their misbehavior, disobedient and have also ceased all his relations in every respect with them. It is further declare that any person whosoever deals with them shall do that entirely at his/her/their own risks, costs and responsibility and my client shall not be responsible for dealing with them if any person do so. Harendra Singh (Advocate)
1, A-1-Block, Amrit Vihar, Burari, Delhi-84.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान जाएंगे प्रधानमंत्री

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

जापान के ओसाका में 27–29 जून होने वाली जी–20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सम्मेलन में भारत के शेरपा होंगे।

रवीश कुमार ने बताया, 'यह छठा मौका होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी–20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। वह इस दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे, इसकी जानकारी तारीख नजदीक आने पर दी जाएगी।'

जी–20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन समुदाय, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। जी–20 देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया के 90 फीसद उत्पाद, 80 फीसद विश्व व्यापार और दो–तिहाई जनसंख्या और लगभग दुनिया के लगभग आधे क्षेत्रफल का हिस्सा है।

अपने भारत दौरे के एजंडे पर पोम्पिओ ने जयशंकर से बात की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने भारत के अपने दौरे से पहले दोनों देश के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन के भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। अपनी भारत यात्रा के एजंडे को लेकर उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। अपनी यात्रा में वह अमेरिका–भारत के बीच सुरक्षा एवं आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। पोम्पिओ 25 से 27 जून तक भारत के दौरे पर रहेंगे।

पोम्पिओ की यह यात्रा भारत में हुए आम चुनावों के बाद से दोनों देश के बीच पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। उनका यह दौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच 28–29 जून को जापान के ओसाका में जी–20 शिखर वार्ता से इतर होने वाले वाली मुलाकात से पहले हो रहा है।

संपत्ति

Semi-Furnished Houses with Modular kitchen starts Rs.26 Lakhs@Jankipuram Vistaar, near AKTU university, LKO. CALL-9839304977 0050150471-3

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0. श्री संतराम, निवासी म0. न0.375बी, कुम्हार वाली गली, राम पुरा, दिल्ली–110035, ने अपने पुत्र योगेश कुमार व इसकी पत्नी श्रीमती पूनम से इनके गलत कृत्यों/दुर्व्यवहार के कारण अपने सभी सम्बंध विच्छेद कर लिये है तथा इनको अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति इनसे कोई भी सम्बंध बनाता है या कोई लेन–देन करता है या इन पर कोई पुलिस केस/कोर्ट केस होता है तो मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ओ0 पी0 शर्मा (अधिवक्ता)
1, एस.डी.एम. ऑफिस, नांगलोई दिल्ली–41.

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Sh. Surajbhan S/o Late Shri Khem Chand R/o A-44, Sainik Enclave, Vikas Nagar, New Delhi-110059 hereby sever all his relaion from his son namely Manoj Kumar Prajpati S/o Sh. Surajbhan and his wife Smt. Shivani and debarred them from their all movable and immovable properties forever. Any person dealing with them shall be doing so at his/her risk and responsibility, in future my clients will not be responsible for their any acts and deeds.

Sd/-RAMESH KUMAR, ADVOCATE
SR-II, Service Industry Bldg. Janakpuri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT SATBIR SINGH S/O LATE SH. MAHINDER SINGH R/O RZ-77A, JAIN PARK, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-59 SEVERE ALL RELATIONS AND DEBARRED HIS SON BUNTY AND HIS WIFE FROM ALL MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES AS THEIR CONDUCT IS HIGHLY IMMORAL AND UNRESPONSIBLE. MY CLIENT WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR THEIR ACTS AND CONDUCTS. THE PRESON WHO DEALS WITH THEM WILL BE SOLE RESPONSIBLE FOR THAT.

Sd/-
AJAY KUMAR JHA (Advocate)
C-20, Kiran Garden, Uttam Nagar, Delhi-59

PUBLIC NOTICE

The public at large is hereby informed that my client's Sh. Bhim Singh and his wife Smt. Nanhi W/O Sh. Bhim Singh R/o H. No. 104, Holambi Khurd, Delhi-82 has debar their son and son's wife namely Sh. Deepak Kumar S/O Sh. Bhim Singh R/O H. No. 104, Holambi Khurd, Delhi-82 and Smt. Geeta W/o Sh. Deepak Kumar D/o Sh. Rajinder R/o pana malhan V.P.O.- Nahri, Haryana (who were got married on 08.02.2019 and are living separalety from my client's) from their life, movable and immovable properties due to their bad conduct/quarrel and disobedient towards my client's and my client's has no control of any manner over them and they wants to grab property of my client, If anyone deals with them will be at his/her own risk then my client will not responsible in any manner and my client's has snapped their relations with them in all manner for all purposes.

Sd/-
RAJNEESH GAUTAM ADVOCATE
CHAMBER NO. 832, LAWYER'S CHAMBER'S ROHINI COURTS, DELHI-110085

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Smt. Santosh W/o Late Sh. Shiv Charan, R/o H. NO. 142, Village Jharera, Delhi Cantt. New Delhi-110010 has disowned and disinherited her son namely Vikas S/o Late Sh. Shiv Charan, from her all immovable and moveable assets/ properties and has severed all her relations with him, as he is disobedient, working against my client and her family and is not in control of my Client. Anyone dealing with him in any manner shall do so at his/her/their own risk, cost and consequences.

Sd/-
JASPREET SINGH (Advocate)
Ch. No. B-149, B.G.S. BLOCK, TIS HAZARI COURTS DELHI-54

PUBLIC NOTICE

My client Yogesh Chowdhery S/o Bijender Singh R/o F42 Bhagat Singh Market Gole Market, New Delhi-110001, has purchased a Shop no.70, Bhagat Singh Market Gole Market, New Delhi from Mrs. Shashi Bala Gupta W/o Sat Sagar Gupta R/o E-16/918 Gali no 3 Tank Road Bapa Nagar Karol Bagh Delhi-110005. If Anybody having ownership right/claim/interest/objection on this shop can be challenged within 15-days at above said address/Phone no.9810179174 after that it is presumed that the property is clear ownership Title and no other person have any Legal Rights in this property.

HEMANT KUMAR JHA (Advocate)
CH.No.1104, Rohini Courts, Delhi-85

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client Vijay Sharma wife of late shri Anil Kumar Sharma resident of AZ-22, A/4, Gali No. 20, Indra Park, Palam Colony, New Delhi- 110045, have disowned/debarred their son namely Bhushan Sharma & his wife Mrs. Pinky from their movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and they have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. Anybody deals with them will do so at her/their own risk and responsibility.

Ashok Kumar Tyagi & Associates (Advocate)
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi- 110059

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Shri Ompal S/o Late Shri Chander Pal, Aged-46 years, R/o House No.140/73, Sikri Bhatta, Shyam Nagar, Tilak Nagar New Delhi-110018, due to some unavoidable circumstances has severed all his relations and disown /debar his son Mr. Devender, and his wife Mrs. Shilpi, from all my client's moveable and immoveable properties / assets with effect from 01.06.2018 and all moveable and immoveable properties/assets which my client either purchased or inherits from his ancestors and parents through the law of inheritance. My client has no relation with the above-named person(s) in any manner whatsoever. Anyone dealing with him/her, shall be doing at his/her/their own risks/costs/consequences and my client shall not be responsible for Devender & Shilpi's (his/her/their) acts, deeds and dealings or caused to be done with public at large in any manner whatsoever.

Garima Verma (Advocate)
Ch. No.367, Saket Courts Complex, New Delhi-110017

अधिकतर सदस्यों ने ओबीसी आरक्षण के सुझाव का किया समर्थन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के वंचित लोगों को आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग करने वाले एक निजी विधेयक का शुक्रवार को राज्यसभा में अधिकतर दलों के सदस्यों ने समर्थन किया। हालांकि, कुछ सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि इस वर्ग के विकास के लिए आरक्षण के साथ- साथ अन्य प्रभावी उपाय भी किए जाने चाहिए।

वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी द्वारा लाए गए गैर सरकारी विधेयक संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 330क और 332क का अंतःस्थापन) पर उच्च सदन में चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने इस प्रावधान को समय की मांग बताते हुए इसका समर्थन किया। रेड्डी ने कहा कि देश की आबादी का लगभग 50 फीसद हिस्सा होने के बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में इस वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। इससे संविधान की व्यापक भागीदारी वाले लोकतंत्र की अवधारणा साकार नहीं हो पा रही।

बयान से पलटे देवगौड़ा

बंगलुरु, 21 जून (भाषा)।

जनता दल (सेकू) प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने शुक्रवार को कहा कि निस्संदेह राज्य विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव होंगे। इससे राज्य में सियासी हलचलें तेज हो गई और गठबंधन सरकार के लिए स्थित प्रतिकूल देख देवगौड़ा ने बात पलटते हुए कहा कि उनका संदर्भ केवल ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकाय के चुनावों से लिए था।

Classifieds

EXPRESS EDUCATION

ESSAY
by the renowned essayist and McGraw-Hill writer Ramesh Singh
Introductory Class: June 22, 10.30
(ALL ARE INVITED)
GS ECONOMY starts July 15
Morning, Afternoon, Weekend & Live Online
4A/41, Old Rajinder Nagar, Bada Bazar Road, N. Delhi- 60
www.rameshsingh.org | ph. 011-49539444; 98182-44224; 80767-48812

KSG An Institute For IAS Exam...
FOUNDATION COURSE
NORTH DELHI HUDSON LANE 9717380832
CENTRAL DELHI RAJENDER NAGAR 9811293743
19th AUG
1st JULY
WEEKEND BATCH DELHI: 22nd JUNE | BENGALURU: 29th JUNE
MAINS TEST SERIES
ESSAY MODULE
SPECIAL FOCUS ON ANSWER WRITING SKILLS DEVELOPMENT
FOUNDATION COURSE AT REGIONAL CENTRES

CENTRES	DATE	CONTACT
BENGALURU	14th JUNE	7619166663
JAIPUR	24th JUNE	8290800441
PATNA	10th JULY	7463950774
INDORE	12th JULY	9893772941
BHOPAL	12th JULY	7509975361

ADVANCE FOUNDATION COURSE
TWO YEARS PROGRAMME (Especially Designed for College Students)
BHOPAL 20th JULY
INDORE 12th JULY
OPTIONAL COURSES: HISTORY | GEOGRAPHY | PUBLIC ADMINISTRATION
DLP (DISTANCE LEARNING PROGRAMME ALSO AVAILABLE)
www.ksgindia.com

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

बेटी को चिढ़ाए जाने पर स्मृति ने लिखी पोस्ट

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनकी बेटी का स्कूल में मजाक उड़ाए जाने के बाद शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक बेहद कड़ा पोस्ट लिखा। ईरानी ने लिखा, 'मैंने कल अपनी पुत्री की एक सेल्फी डिलीट कर दी क्योंकि ए ज्ञान नाम का एक मूर्ख कक्षा में उसके लुक को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा था और कक्षा के अपने दोस्तों से भी कह रहा था कि वे भी उसकी मां के इंस्टाग्राम पोस्ट में उसके लुक को लेकर उसे अपमानित करें।' हालांकि, ईरानी ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि पोस्ट डिलीट करने के कदम से गलत व्यक्ति को 'ताकत' मिली। ईरानी ने अपनी पुत्री की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि वह मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा, 'मेरी पुत्री एक अच्छी खिलाड़ी है, वह लिम्का बुक्स की एक रिकॉर्डधारी, कराटे में ब्लैक बेल्ट है और उसे विश्व चैंपियनशिप में दो बार कांस्य पदक मिल चुके हैं।'

एक प्रेम दीवाने की कथा

फिल्म समीक्षा
रवींद्र त्रिपाठी

कबीर सिंह

रेटिंग– ★★½

निर्देशक– संदीप रेड्डी बंगा

कलाकार– शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, सुरेश ओबेरॉय, आदिल हुसैन

बहुचर्चित तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक 'कबीर सिंह' का नाम अगर मजनू सिंह या रांझा सिंह होता तो बेहतर होता। फिर लोग इसे देखने जाने से पहले ही समझ जाते कि माजरा क्या है। दरअसल, 'कबीर सिंह' के एक प्रेम दीवाने की कथा है। ऐसे दीवाने की जो अपने प्रेम को पाने के लिए इतना दीवाना हो जाता है कि खुद का सर्वनाश करने पर उतारू हो जाता है। ऐसे में सवाल सिर्फ यह बचा रह जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अंत में उसे प्रेमिका मिलती है या वह किसी और की हो जाती है।

'कबीर सिंह' का कबीर एक डॉक्टर है। जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो एक शोहदे की तरह व्यवहार करता है। हालांकि पढ़ाई-लिखाई में तेज है लेकिन ठुकाई करने में भी आगे रहता है। उसे गुस्से पर काबू नहीं है। उसके कॉलेज में नई छात्रा और भोली-भाली प्रीति (कियारा आडवाणी) आती है, जिसे देखकर वो क्लासरूम में जाकर एलान कर देता है कि कोई लड़का उसकी तरफ आंख उठाकरे देखेगा भी नहीं क्योंकि वो मेरी है। प्रीति शुरू में सहमी-सहमी रहती है। बाद में वो उसके साथ बाहर भी जाने लगती है। रातें भी गुजारने लगती है।

इतना होने के बाद सिर्फ यह प्रश्न बचा रहता है कि कबीर की शादी प्रीति से होगी या नहीं। यहीं पर रोड़े अटक जाते हैं। प्रीति के पिता और परिवार के कारण। अब तो कबीर एकदम दीवाना हो जाता है और शराब और दूसरे नशों का आदी भी। वो शराब के नशे में सर्जरी करने लगता है, जिसके कारण उसका मेडिकल लाइसेंस पांच साल के लिए रद्द हो जाता है। प्रीति की भी शादी हो जाती है। आगे क्या होगा? क्या कबीर ऐसे ही रहेगा देवदास की तरह।

संक्षेप में दी गई इस कहानी से ही साफ है कि 'कबीर सिंह' ऐसी फिल्म है, जिसमें कुछ-कुछ बीते वक्त की मान्यताएं सामने आती हैं। इनमें एक तो यह है कि एक दबंग पुरुष चाहे जो भी करे वो सही, बशर्ते वो प्रेम में पागल है। दूसरे, इसमें रैगिंग के जो दृश्य हैं, उनसे ऐसा लगता है कि निर्देशक इस बात से अनजान है कि इसके बारे में सरकार कानून बना चुकी है। पर इतना कहने के बाद यह भी जोड़ना होगा कि यह फिल्म युवा वर्ग को पसंद आ सकती है क्योंकि कैंपस जीवन को यहां जिस तरह दिखाया गया है, उसमें एक युवकोचित आकर्षण है।

चूंकि यह तेलुगु फिल्म का हिंदी रीमेक है, इसलिए इसमें कुछ असंगतियां आ गई हैं। जैसे मूल फिल्म में जाति का मसला इस तरह उभरता है कि प्रेमी-प्रेमिका की शादी के लिए परिवार इसलिए तैयार नहीं हैं कि दोनों भिन्न जातियों से हैं। यहां लड़की के बारे में दिखाया गया है कि वो सिख है और लड़का हिंदू। इसलिए जाति वाला मामला नहीं है। लेकिन लड़की के पिता शादी का विरोध इसलिए करते हैं कि लड़का उन्हें लफंगा किस्मा का लगता है। और लगेगा भी अगर लड़का उसके घर आकर उसकी बेटी को चूमे।

इस फिल्म का अगर कोई आकर्षण है तो वो शाहिद कपूर जिन्होंने ऐसे प्रेमी की भूमिका निभाई है जो अपने प्यार में लुट जाने के लिए बेहद उतावला है। प्रीति के इश्क में वह इतना डूबा है कि अपनी प्यारी कुतिया का नाम भी प्रीति रख लेता है। जहां तक कियारा का मामला है तो फिल्म में आधे समय तक तो वो चुपचुप सी रही और आधे के बाद बोलना शुरू किया तो उनके पास अच्छे संवाद नहीं थे। इसिलए इस फिल्म में वो शो पीस ही अधिक लगी हैं।

दिल्ली ने मांगी केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में अपने हिस्से के तौर पर 6000 करोड़ रुपए की मांग की है। पिछले 18 सालों से दिल्ली को इस मद में केवल 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से एक ट्वीट में दी गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पूर्व चर्चा के लिए शुक्रवार को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बुलाई गई बैठक में वित्त विभाग संभालने वाले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। सीतारमन से मुलाकात के बाद सिसोदिया ने अपने एक ट्वीट में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक में दिल्ली के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के 6000 करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने लिखा कि पिछले 18 साल से दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग केंद्रीय करों के तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं, लेकिन उसे केवल 325 करोड़ रुपए मिलते हैं।

पूर्व शिक्षा मंत्री ने प्रबंधन समितियों को जारी आदेश पर जताई आपत्ति कहा

शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही है आम आदमी पार्टी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

दिल्ली की पूर्व शिक्षा मंत्री प्रो. किरण वालिया ने राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से स्कूलों को जारी उस परिपत्र पर सख्त आपत्ति जताई है जिसमें सरकारी स्कूलों की प्रबंधन समितियों को आदेश दिया गया है कि वे अभिभावकों को बुलाकर उन्हें आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उपलब्धियां बताएं और आगामी विधानसभा चुनाव में 'आप' को वोट देने के लिए प्रेरित करें।

प्रो. वालिया ने बीते 13 जून को जारी दिल्ली सरकार के परिपत्र का हवाला देते हुए शुक्रवार को जारी अपने बयान में आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार वोट की खातिर शिक्षा का राजनीतिकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में विद्यार्थियों को उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बजाए 'आप' का प्रचार हो रहा है। दूसरी ओर सरकार के इस कदम से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से शिक्षा की बेहतरी को लेकर किए गए दावों की पोल भी खुल गई है।

प्रो. किरण वालिया ने कहा कि इस परिपत्र के माध्यम से स्कूलों से कहा गया है कि वे बच्चों के अभिभावकों को 'आप' को वोट देने के लिए प्रेरित करें। इतना ही नहीं विद्यार्थियों को अपने माता पिता से यह पूछने के लिए धमकाया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में केजरीवाल को वोट क्यों नही दिया? उन्होंने कहा कि अभिभावकों से कहा गया कि केजरीवाल आपसे दुखी हैं कि आपने उन्हें लोकसभा चुनावों में वोट नहीं दिया। स्कूल प्रबंधन समितियों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अभिभावक दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में 'आप' को वोट देने का वादा करें और वे अपना वादा तोड़ें नहीं। यह भी पता करने को कहा गया है कि प्रत्येक परिवार में कितने मतदाता हैं, उनके पते क्या हैं। उनसे यह भी पूछने के लिए कहा गया है कि वह आने वाले समय में केजरीवाल को वोट देंगे या नहीं।

पूर्व शिक्षा मंत्री वालिया ने कहा इस परिपत्र में दिल्ली के सरकारी स्कूलों को संचालित करने वाले उद्देश्यों, नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन किया गया है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की बजाए स्कूलों के माध्यम से अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं।

अभिभावकों से संवाद पर सवाल उठाने को दिल्ली सरकार ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में अभिभावकों व स्कूल के बीच संवाद के लिए आयोजित सत्र पर सवाल उठाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका भी बेहद महत्त्वपूर्ण है। इसी बात को ध्यान में रखकर शुक्रवार को अभिभावकों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया जिसमें हजारों की संख्या में अभिभावकों ने हिस्सा लिया।

दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि अभिभावकों के लिए आयोजित इस सत्र का मकसद उन्हें खुशी व उद्यमिता के नए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देना था। सरकार यह मानती है कि किसी भी पाठ्यक्रम की पढ़ाई अभिभावकों के सक्रिय सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इसीलिए उसमें उन्हें बुलाया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि कुछ लोग दुर्भावनावश सरकार की इस पहल को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।दरअसल, विपक्षी भाजपा व कांग्रेस का यह आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक परिपत्र निकाल कर बच्चों के अभिभावकों को बुलवाया और उनसे जबरन आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहा जा रहा है।

समितियों के नाम पर 'आप' की जनसभाएं चल रही हैं : गुप्ता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि केजरीवाल सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के माध्यम से सरकारी स्कूलों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। समितियों की बैठक के नाम पर आम आदमी पार्टी (आप) की जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को 'आप' के राजनीतिक दृष्टिकोण और उपलब्धियों से अवगत करा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उनका ब्रेनवॉश करना है। गुप्ता ने उपराज्यपाल से मांग की है कि सारे मामले की सीबीआइ जांच करवाई जाए। इन समितियों के सदस्य 'आप' के विधायक, नेता व कार्यकर्ता हैं और वे ही इन बैठकों को संचालित करते हैं।

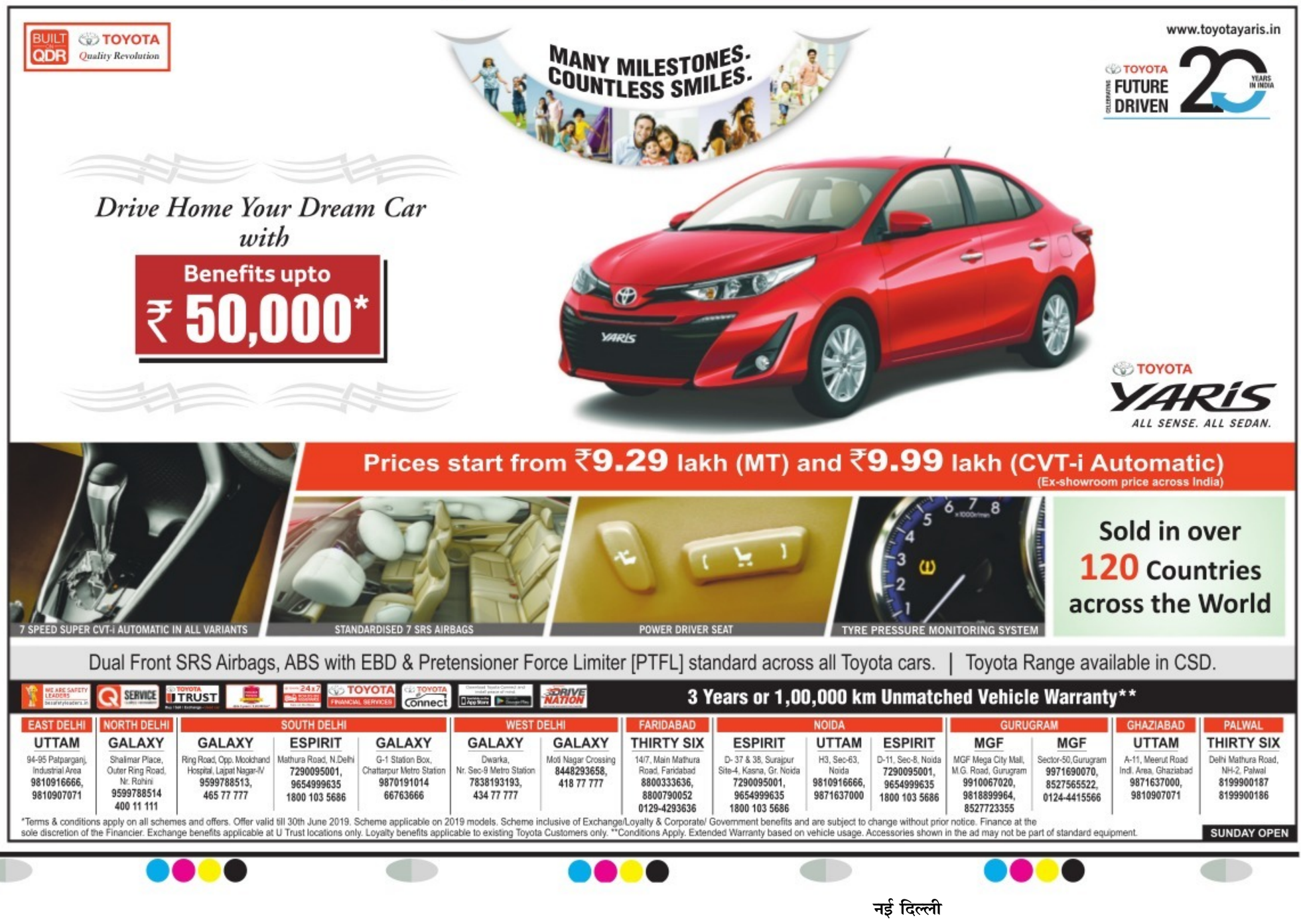

मेट्रो पुल के नीचे था बाजार, मेट्रो का खंभा भी चपेट में

कालिंदी कुंज के फर्नीचर बाजार में आग

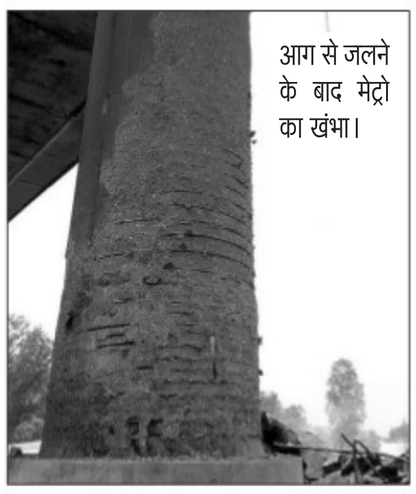

आग से जलने के बाद मेट्रो का खंभा।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

कालिंदी कुंज में शुक्रवार सुबह फर्नीचर बाजार में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते वहां की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना 5:25 बजे दिल्ली दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने पर 40 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सुबह करीब सात बजे काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यह फर्नीचर बाजार मेट्रो पुल के ठीक नीचे था। इस कारण मेट्रो पुल और एक खंभा (पिलर) को काफी नुकसान पहुंचा है। आग की चपेट में आने से एक पुल काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण एहतियातन दिल्ली मेट्रो रेल निगम प्रशासन ने कुछ समय के लिए इस रूट पर मेट्रो सेवा रोक दी थी। फिलहाल कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने इस बाबत मामला दर्ज कर लिया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। कालिंदी कुंज में पुराने और नए फर्नीचर का एक बड़ा बाजार था। यह बाजार करीब दो हजार वर्ग गज में फैला हुआ था। सुबह करीब पांच बजे अचानक से इस बाजार में आग लग गई थी। आग ने वहां मौजूद सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग के अधिकारी का कहना है कि समय पर दमकल पहुंच गई थी और आग बुझाने के कार्य में कर्मचारी जुट गए थे।

मेट्रो सेवा रही बाधित

आग की लपटें मेट्रो के खंभे और पुल को भी अपनी चपेट में ले लिया। डीएमआरसी ने एहतियातन सुबह के समय बॉटेनिकल गार्डन से जनकपुरी रूट पर कुछ समय के लिए मेट्रो सेवा रोक दी थी। एक खंभा आग की चपेट में इस कदर क्षतिग्रस्त हो गया है कि प्लास्टर को नुकसान पहुंचा है।

विवादित भूमि पर था बाजार

प्रशासन की मानें तो जिस स्थान पर फर्नीचर बाजार था। वह भूमि विवादित भूमि मानी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन एमसीडी की है, जबकि बाजार से कुछ दूरी पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि यह भूमि उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। जिस स्थान पर बाजार है। वहां से चंद कदमों की दूरी पर कालिंदी कुंज से आगरा नहर गुजर रही है।

मोदी और केजरीवाल की मुलाकात

आयुष्मान भारत योजना को लेकर नरम दिखे तेवर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों तथा स्कूलों का दौरा करने का आग्रह किया। दो दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शरीक नहीं हुए केजरीवाल ने इस मुलाकात में केंद्र को अपनी सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी बात की, जिसपर केजरीवाल के तेवर नरम दिखे। केंद्र में राजग के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी से केजरीवाल की यह पहली मुलाकात है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बदले तेवरों को सियासी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है।

केजरीवाल के अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री से राजधानी के मोहल्ला क्लीनिक और 'आप' सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे एक सरकारी स्कूलों का दौरा करने का भी अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि आयुष्मान भारत योजना पर संक्षिप्त चर्चा हुई। प्रधानमंत्री को बताया कि दिल्ली सरकार की दिल्ली स्वास्थ्य योजना काफी बड़ी और व्यापक योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि उन्हें इस बारे में पड़ताल करने का भरोसा दिलाया कि क्या आयुष्मान भारत योजना को भी हमारी योजना में समन्वित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई

प्रधानमंत्री के मुख्य आलोचकों में गिने जाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार के साथ काम करने की भी इच्छा जताई। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली सरकार पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। यह जरूरी है कि दिल्ली सरकार और केंद्र साथ मिल कर काम करे। उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार की योजना बारिश के मौसम में यमुना के जल को संचित करने की भी है। बारिश का जल दिल्ली की एक साल की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसमें केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया है।

एनआइए ने आतंकी मॉड्यूल मामले में आरोपपत्र दाखिल किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आतंकी मॉडयूल में संलिप्तता के एक मामले में यहां की अदालत में शुक्रवार को 10 संदिग्धों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार ने इस पर विचार करने के लिए 4 जुलाई की तारीख तय की है। अमरोहा में एक मदरसे के मुफ्ती मोहम्मद सुहैल सहित आरोपियों के खिलाफ यह आरोपपत्र गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया है। एनआइए ने अपने 5000 पृष्ठों के आरोपपत्र में कहा है कि आइएसआइएस से प्रेरित होकर सुहैल ने दिल्ली निवासी मोहम्मद फैज के साथ एक आतंकी मॉड्यूल बनाया और इसे हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम नाम दिया। एजंसी ने कहा कि यह संगठन अपने स्तर से धन जुटाता था।

गवाह बुजुर्ग महिला को गोली मार किया घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

सागरपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने एक 60 साल की महिला को गोली मार घायल कर दिया। महिला घटना के समय अपनी नातिन के साथ मंदिर के पास से गुजर रही थी, तभी आरोपियों ने उसे गोली मार दी थी। घटना की सूचना मिलने पर पीसीआर को मौके से एक कट्टा भी मिला है। पुलिस ने महिला को डीडीयू अस्पताल में समय रहते भर्ती करा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। पुलिस ने बताया कि महिला के नातिन ने बताया कि मेरठ में हुई हत्या के मामले में वह गवाह है। साथ ही महिला ने उन आरोपियों के नाम भी पुलिस को बता दिए हैं, जो इस घटना के पीछे हो सकते हैं। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 5:33 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि सागरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुरी में एक महिला को गोली लगी है।

योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना जरूरी : नायडू

योगमय हुई दिल्ली

दिल्ली के राजपथ पर योग दिवस पर एक साथ कई लोगों ने योग किया।

विभिन्न देशों के राजनायिकों ने भी दिल्ली में इस मौके पर कई प्रकार के आसन किए।

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने योग को लोकप्रिय बनाने व स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के साथ ही देश में गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों से निबटने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने का आह्वान किया है।

उप राष्ट्रपति प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय की ओर से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लालकिले पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य पद्धति योग न केवल बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है बल्कि अनुशासित जीवन जीने के तरीके भी सिखाता है। उन्होंने इसके मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकारों से योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की अपील की। खानपान की गलत आदतों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए नायडू ने लोगों और खासकर युवाओं को जंक फूड खाने के प्रति अगाह किया। उप राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पूर्वज खानपान के जो स्वदेशी तौर तरीके बता गए हैं वे हर मौसम और जलवायु व क्षेत्रों के अनुरूप हैं।

नायडू ने कहा कि यह देश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री की पहल पर हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उप राष्ट्रपति ने आयोजन स्थल पर हजारों योग साधकों के साथ कुछ योग आसन भी किए। बाद में रिथू नेस्थाम फाउंडेशन के अध्यक्ष वेंकेटश्वर ने स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भोजन-धनयालु (बाजरा) शीर्षक वाली एक पुस्तक उप राष्ट्रपति को भेंट की।

योग दिवस पर दिल्ली भी योगमय रही। शुक्रवार को स्कूलों-पार्कों व अस्पतालों से लेकर संसद भवन तक साठ से ज्यादा जगहों पर योग के कार्यक्रम हुए, लेकिन मुख्य कार्यक्रम राजपथ और लाल किले पर था। जिसे आयुष मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने आयोजित किया था। कई जगह कार्यक्रम की शुरुआत योग स्थलों पर लगाए गए स्क्रीन पर प्रधानमंत्री के भाषण के प्रसारण के साथ हुई। सुबह से ही दिल्ली में गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसी चहल पहल थी। मेट्रो ने अपनी सेवाएं दो घंटे पहल ही शुरू कर दीं, जिससे लोगों को राहत मिली।

सीआइएसएफ बना नोडल बल

सीआइएसएफ बल की सभी 345 इकाइयों व प्रशिक्षण संस्थानों सहित रिजर्व बटालियनों में योग हुए। गृह मंत्रालय ने अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सीआइएसएफ को 'नोडल बल' बनाया था। राजपथ पर विभिन्न रैंकों के बलों के 1000 जवानों की टीम ने भाग लिया। प्रारंभ में सीआइएसएफ यूनिट डीएमआरसी की सीआइएसएफ महिला कमांडो ने 'पिकेटी-तिरसिया-काली' (एक फिलिपिनो मार्शल आर्ट) के तहत आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया।

योगाभ्यास से तंदुरुस्ती

रेल भवन ने सभी क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों, मंडल रेलवे कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और अन्य सभी रेलवे प्रतिष्ठानों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि हमें बीमारी का उपचार करना है और साथ ही देशवासियों के कल्याण पर ध्यान देना है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति बिना किसी खर्च के स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है। मुझे लगता है कि योग बड़े पैमाने पर समाज के लिए फायदेमंद है। रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगडी ने पश्चिम विहार में योग सत्र में भाग लिया। अंगडी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, स्थिर मन, एकता की भावना प्रदान करता है।

स्कूल और कॉलेजों में भी योग

दिल्ली विश्वविद्यालय के मैत्रिय कॉलेज में योग पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। रामनुजन कॉलेज में प्राचार्य एसपी अग्रवाल की अगुआई में और डॉ भीमराव आंबेडकर कॉलेज में प्राचार्य जीके अरोड़ा की अगुआई में विद्यार्थियों ने योग किया। प्राचार्य जीके अरोड़ा ने युवाओं को योग से जुड़ने की सलाह दी। पायनियर कन्वेंट ने बक्करवाला में योग दिवस को रोग सुरक्षा कवच दिवस के रूप में मनाया। प्राचार्य सीमा बजाज की अगुआई में दो सौ से ज्यादा विद्यार्थियों ने योग में भाग लिया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पटेल नगर में योग कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री ने योग को दुनिया की अच्छी सेहत का ब्रांड बना दिया है।

राजपथ और लाल किले के मैदान से लेकर नगर निगम के पार्कों, कार्यालयों में यहां हजारों उत्साही लोगों ने योगासन किया। उपराज्यपाल अनिल बैजल, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और भाजपा की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी सहित राजनाथ सिंह ने राजपथ पर योगासन किया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय के पास स्थित एक पार्क में पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ योग किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हौज खास में, पीयूष गोयल ने लोधी गार्डन में, डॉ हर्षवर्धन ने सिविल लाइंस के कुदेसिया गार्डन में, स्मृति ईरानी ने राज नगर के दादा देव मैदान में और संगम विहार में थावरचंद गहलोत ने योग दिवस पर समारोह का नेतृत्व किया।

डॉक्टरों ने एम्स में तो दिल्ली पुलिस ने पुलिस आयुक्त अमूल्य पठनायक की अगुआई में त्यागराज स्टेडियम में योग किया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने नेहरू पार्क और तालकटोरा मैदान में भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां कार्यक्रमों की शुरुआत रांची से प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रसारण के साथ हुई। हौज खास स्थित पंचशील क्लब में योग दिवस मनाया गया। इसमें हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद से जुड़े लोगों ने भाग लिया। गायिका शिवानी कश्यप इसमें मुख्य अतिथि थीं। योग गुरु ओम वर्मा ने लोगों को योगाभ्यास कराया। इस अवसर पर परिषद के महानिदेशक राकेश कुमार ने कहा कि इसका मकसद योग को मानव कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण के साथ देखना है।

खबरों में शहर

कारोबारी ने फांसी लगाकर जान दी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

हर्ष विहार थाना क्षेत्र में एक कारोबारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। करोबारी की पहचान राज कुमार (55) के तौर पर हुई है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने बैंक से लिए हुए कर्ज का जिक्र किया है। लिखा है कि वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। कर्ज से परेशान होकर सुसाइड करने की बात कहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

आखिरी सलाम

असम के जोरहाट में शहीद 13 जवानों में हरियाणा पलवल के निवासी आशीष तंवर को सलामी देती उनकी पत्नी।

बाड़ा हिंदू राव अस्पताल परिसर में चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

बाड़ा हिंदू राव अस्पताल परिसर में स्थित न्यू डॉक्टरों के फ्लैटों में गुरुवार को चोरों ने धावा बोला। चोर ताला तोड़कर नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर फरार हो गए। घटना के दौरान दोनों पीड़ित डॉक्टर अस्पताल में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। घर आने पर उन्हें घटना के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने डॉ आशीष डॉग (44) और डॉ जतिंदर कौर (61) की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चोरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, आशीष और जतिंदर कौर, बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के न्यू डॉक्टरों के फ्लैट में रहते हैं। आशीष बाड़ा हिंदू राव और उनकी पत्नी नेहा बाबा आंबेडकर अस्पताल में डॉक्टर हैं। वहीं, जतिंदर कौर भी बाड़ा हिंदू राव में दांतों की डॉक्टरों है।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी / विविध

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : संगीत, सीडी देशमुख सभागार, 40 मैक्समूलर मार्ग, शाम छह बजे।

इंडिया हैबीटेट सेंटर : फिल्म, हैबीटेट वर्ल्ड, लोदी रोड, शाम सात बजे।

बाला साहिब अस्पताल के मुद्दे पर भोगल ने सिरसा से मांगा जवाब

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

पिछले कई दशकों से शुरू होने की बाट जोह रहे बाला साहिब अस्पताल एक बार फिर विवाद में है। अस्पताल को निजी हाथों में देने से रोकने की मुहिम शुरू हो गई है। इसे लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह भोगल ने मौजूदा कमेटी को चेतावनी दी है। साथ ही अस्पताल को शुरू करने का आरोप कमेटी पर मढ़ा है। शुक्रवार को इस बाबत बुलाई प्रेस कांफ्रेस में भोगल ने अस्पताल को शुरू करने के बारे कमेटी प्रबंधन की मंशा पर भी सवाल उठाए।

भोगल ने कहा कि उन्होंने निजीकरण का विरोध पूरी तत्परता से किया था। लेकिन अब अपनी पार्टी के नेताओं की नीति व नीयत उन्हें ठीक नहीं लग रहीं हैं।

चुनावी फायदे के लिए मेट्रो को बर्बाद मत कीजिए : श्रीधरन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 21 जून।

मेट्रो मैन के नाम से मशहूर दिल्ली मेट्रो के प्रमुख सलाहकार एवं पूर्व प्रबंध निदेशक ई श्रीधरन ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को नसीहत दी है कि वह चुनावी फायदे के लिए दिल्ली मेट्रो को बर्बाद न करें। इस पक्ष में तमाम दलीलें देते हुए श्रीधरन ने कहा है कि यह नहीं भूलना होगा कि दिल्ली मेट्रो पर अभी 33000 करोड़ रुपए का ऋण है जिसको चुकता करना उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भेजे एक जवाबी पत्र में श्रीधरन ने लिखा है कि जब तक दिल्ली मेट्रो 33000 करोड़ का ऋण नहीं चुका देती, तब तक उनको समाज के किसी भी वर्ग को मुफ्त यात्रा का विकल्प मुहैया कराने पर आपत्ति है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सिसोदिया से सवाल किया है कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा से मेट्रो को होने वाले नुकसान की भरपाई आपकी सरकार तो कर देगी लेकिन यह भी संभव है कि आने वाली सरकारें शायद ऐसा न कर पाएं। ऐसी स्थिति में मेट्रो इस फैसले को बदल पलट नहीं पाएगी और महिलाओं से यात्रा का किराया नहीं ले पाएगी। इतना ही नहीं, यह देश की दूसरी मेट्रो के लिए भी खतरनाक नजीर बनेगी। बता दें कि सिसोदिया ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले को लेकर श्रीधरन को पत्र भेजा था।

"हर कोई जानता है कि यह अगले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट हासिल करने का एक चुनावी पैंतरा है। मैं आप की योजना का विरोध नहीं कर रहा हूं, केवल मुफ्त यात्रा की अवधारणा पर आपत्ति कर रहा हूं।"

दिल्ली में मेट्रो दौड़ाने में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रीधरन ने सिसोदिया को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि दुनिया में कोई भी मेट्रो महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं देती है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार को महिलाओं की ज्यादा चिंता है तो मेरा सुझाव है की सरकार उन्हें सीधे यात्रा का पैसा दे दे। उन्होंने दो टूक कहा है कि हर कोई जानता है कि यह अगले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट हासिल करने का एक चुनावी पैंतरा है। उन्होंने लिखा है कि मैं आप की योजना का विरोध नहीं कर रहा हूं, केवल मुफ्त यात्रा की अवधारणा पर आपत्ति कर रहा हूं।

श्रीधरन ने लिखा है कि मुफ्त यात्रा देने से महिला यात्रियों की सुरक्षा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी क्योंकि मेट्रो से निकलने के बाद अगर सड़क पर बस पकड़ने से पहले कुछ होता है तो उसका क्या? आखिर में उन्होंने लिखा है कि मैं आपकी सरकार से अपील करता हूं कि वह चुनावी फायदे के लिए दिल्ली मेट्रो जैसे एक सक्षम और कामयाब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बर्बाद न करें।

नई दिल्ली

एसपीओ का पालन नहीं करने पर पुलिस अधिकारी निलंबित

मुंबई, 21 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सैन्य बलों को लेकर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने को लेकर गढ़चिरौली जिले के एक उप संभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) को शुक्रवार को निलंबित कर दिया। एक मई को हुए नक्सली हमले में यह खामी सामने आने पर यह कदम उठाया गया है। नक्सली हमले में 15 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे।

गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में गढ़चिरौली जिला स्थित कुरखेड़ा के एसडीपीओ शैलेश काले को निलंबित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस मामले में मानक अभियान प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण नक्सली हमला हुआ। काले ने नक्सल प्रभावित जिले में एक स्थान पर जाने के लिए पुलिस कर्मियों को आदेश दिया था। घटनास्थल पर जाते समय निजी वाहन में सवार पुलिसकर्मी नक्सली हमले की चपेट में आ गए।

गढ़चिरौली नक्सली हमला

एक मई को हुए नक्सली हमले में खामी सामने आने पर यह कदम उठाया गया है। नक्सली हमले में 15 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे।

भाजपा का तीन सदस्यीय दल आज जाएगा भाटपाड़ा

कोलकाता, 21 जून (भाषा)

केंद्रीय मंत्री एसएस अहलूवालिया की अगुआई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का तीन सदस्यीय एक दल शनिवार को हिंसाग्रस्त भाटपाड़ा का दौरा करेगा। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। भाटपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के साथ जुड़े दो गुटों में हुए संघर्ष में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, 'हमारी पार्टी ने पश्चिम बंगाल से पार्टी सांसद एसएस अहलूवालिया के नेतृत्व में तीन सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है, जो शनिवार को भाटपाड़ा का दौरा करेगा। उनके साथ सांसद सत्यपाल सिंह और बीडी राम होंगे और राज्य के नेता उनके साथ होंगे।' भाजपा सूत्रों के अनुसार यह प्रतिनिधिमंडल पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।

राज्य पुलिस की तरफ अंगुली उठाते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन 'तृणमूल काडर' की तरह कार्य कर रहा है और भाटपाड़ा में गुरुवार को हुई गोलीबारी की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की। प्रशासन ने इस इलाके में हुई हिंसा के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस इस हिंसा के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। इसे भाटपाड़ा में अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह इलाका बैरकपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है।

पत्नी को तीन तलाक देने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज

ठाणे, 21 जून (भाषा)।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भिवंडी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ पत्नी को कथित रूप से तीन तलाक देने के लिए मामला दर्ज किया गया है। तीन तलाक कानूनन निषिद्ध है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने इसके साथ ही 32 वर्षीय व्यक्ति और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ पत्नी को कथित रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए भी मामला दर्ज किया है। महिला ने गुरुवार को भोइवाड़ा पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी।

ठाणे पुलिस प्रवक्ता सुखदा नारकर ने कहा कि शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति आमिर मुख्तार आमिर मोमिन ने उसे दो महीने पहले तीन बार तलाक बोल कर तलाक दे दिया था। उन्होंने कहा कि उसकी शिकायत के आधार पर मोमिन के खिलाफ गुरुवार को मुसलिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

लोकसभा में 30 गैरसरकारी विधेयक पेश किए गए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

लोकसभा में शुक्रवार को 30 गैरसरकारी विधेयक पेश हुए जिनमें अनुच्छेद 370 में संशोधन और गोसंरक्षण से जुड़े विधेयक शामिल हैं। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 में संशोधन के लिए गैर सरकारी विधेयक पेश किया। भाजपा के निशिकांत दुबे ने संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन के लिए 'संविधन (संशोधन) विधेयक-2019' पेश किया। दुबे ने गायों की संख्या का स्थिरीकरण सुनिश्चित करने और गो-हत्या पर प्रतिबंधन लगाने के लिए गो संरक्षण विधेयक-2019 सदन में पेश किया। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को लेकर भाजपा के कुंवर पुष्पेंद्र सिह चंदेल ने संकल्प रखा और चर्चा शुरू की।

घर से बच्ची के अपहरण के बाद हत्या, बलात्कार की आशंका

उन्नाव, 21 जून (जनसत्ता)।

जिले के एक गांव में नाबालिग दलित किशोरी की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, उसकी हत्या ईंट से कुचल कर की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

शुक्रवार सुबह घर के बाहर बिस्तर पर बच्ची के न मिलने पर परिजनों ने ढूंढ़ने का प्रयास किया। जिसके बाद गांव के बाहर उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर उसका रक्त रंजित शव बरामद हुआ। बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे। शव देखने से बलात्कार के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के साथ स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद आइजी जोन एसके भगत भी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच के बाद बताया कि चार टीमें बनाई गई हैं, जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।

आइजी जोन एसके भगत ने बताया कि पुलिस के हाथ मजबूत सबूत लगे हैं। डॉग स्क्वायड के आने के बाद मृत बच्ची के पड़ोस का एक युवक भागता हुआ देखा गया है। खून से सने कपड़े मिले हैं। उसकी तलाश जारी है। उसके मिलते ही खुलासा किया जाएगा। उसके पिता के अनुसार रात में तीन बजे तक बच्ची उसके साथ थी। दुबारा उठा तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। सुबह खोजबीन करने पर गांव के बाहर उसका शव बरामद हुआ है। बलात्कार के बाद हत्या के मामले पर भगत का कहना था कि पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है।

योग को लेकर राहुल का तंज, भाजपा ने आड़े हाथों लिया

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सेना की 'डॉग यूनिट' के योग कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें शेयर करते हुए सरकार पर तंज किया, हालांकि वह भाजपा और सोशल मीडिया के ट्रोल्स के निशाने पर आ गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह सुरक्षा बलों का 'अपमान' है।

भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जीवन का मतलब सिर्फ हंसी-मजाक हैं। गांधी ने ट्विटर पर 'डॉग यूनिट' के एक योग कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'न्यू इंडिया।' उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें 'डॉग यूनिट' से जुड़े जवानों के साथ खोजी कुत्ते भी योगासन की मुद्रा में नजर आ रहे हैं।

भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी के तहत नया भारत बना है और राहुल गांधी के ट्वीट से खुलासा होता है कि उनके तहत नई कांग्रेस बनी है।' उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी के लिए जीवन मजाक है और वह उस तरह के पोस्ट करने के अवसर ढूंढते रहते हैं जो उन्हें उनके पसंदीदा पीदी (राहुल का पालतू कुत्ता) की याद दिलाए।'

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/s MVL LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of Corporate Debtor	M/s MVL LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	18.10.2006
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	L45200DL2006PLC154848
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	**Reg. Off.:** 1201 B, 12th Floor, HEMKUNT CHAMBER, 89 Nehru Place, New Delhi-110019. **Principal Off.:** MVL I PARK, 6th Floor, Wing A, Near Red Cross Society, Chandan Nagar, Sector-15(II), Gurgaon 122001 HR
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	13.06.2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	10.12.2019
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	**Arun Jain** IBBI/IPA-001/IP-P00590/2017-18/11029
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**Add.** : Villa No 34, Block 4, 2nd Floor, Charmwood Village, Faridabad-121009. **Email:** arjain1966@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**Corp. Office :** , X-38, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020 **Email:**- irparjain@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	03.07.2019 (being 14 days from 19.06.2019, the date of receipt of NCLT Order)
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Financial Creditors (Home Buyers)
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1. Deepak Kukreja (Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00077/2017-18/10208 **Email:** deepak.kukreja@dmkassociates.in 2. Jatin Madan (Reg. No.IBBI/IPA-001/IP-P00222/2017-18/10421 **Email:** cajatinmadan@yahoo.com 3. Hemant Sharma (Reg. No.IBBI/IPA-002/IP-N00015/2016-17/100019 **Email:** hemant78sharma@yahoo.com
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web Link : http://ibbi.gov.in/downloadform.html **Physical Address : X-38, 2nd Floor, Okhla Industrial Area Phase-II, New Delhi-110020** **Email:**-irparjain@gmail.com

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal New Delhi Bench has ordered the commencement of a Corporate Insolvency Resolution Process against **M/s MVL Limited on 13.06.2019.**

The creditors of **M/s MVL Limited** are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 03.07.2019 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against item 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12 , shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against item no. 13 to act as authorised representative of the class(specify class) in Form CA

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
(Arun Jain)
Date: 21.6.2019
Place: New Delhi
Name and Signature of Interim Resolution Professional

शुद्धिपत्र

यह एपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) के मामले में प्रस्ताव योजना जमा करने के लिये फार्म-जी में अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण (ईओआई) के संदर्भ में है जो 19 जून, 2019 को जनसत्ता (हिन्दी) के दिल्ली एनसीआर संस्करण में प्रकाशित हुई थी। सभी पाठकों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन के तीन प्वाइन्टों में अनुवाद में चूक हुई है जो इस प्रकार हैः

- प्वाइन्ट नं. 7 में: "27.06.2019" के रूप में वर्णित तिथि को "27.05.2019" पढ़ें।
- प्वाइन्ट नं. 13 में: "26.06.2019" के रूप में वर्णित तिथि को "06.07.2019" पढ़ें।
- प्वाइन्ट नं. 17 की लाइन नं. 3 में उल्लिखित "क्लॉज 12" को "क्लॉज 21" पढ़ें।

अतएव, सभी पाठक उपरोक्त सुधारों का कृपया ध्यान रखें। सभी पाठकों के संदर्भ के लिये संशोधित प्रपत्र-जी फिर से प्रकाशित की जा रही है।

फार्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 ए (1) के अंतर्गत)

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	11.3.2008
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दायित्व पहचान संख्या	CIN: U74120DL2008PLC175180
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 701-ए, 7वां तल, जीडी-आईटीएल टावर, प्लॉट नं. बी-8, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, उत्तर पश्चिम डीएल 110034 भारत कॉर्पोरेट कार्यालयः बी-16, सेक्टर-2, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश कार्य का पताः डी-हिरेहल, जिला अनंतापुर, आन्ध्र प्रदेश-515872
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	13.3.2019 (आदेश 15.3.2019 को वेबसाइट पर अपलोड की गई)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	19.6.2019 (पूर्व में 27.05.2019)
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	संहिता की धारा 25 (2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता ई-मेलः irp.appleindustries@gmail.com अथवा ajaygupta 1969@gmail.com से प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	धारा 29 ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता के मानक अधोलिखित वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती हैः http:// ibbi.gov.in/ webfront/ legal-framework.php
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	30.6.2019 (पूर्व में 11.6.2019)
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	10.7.2019 (पूर्व में 21.6.2019)
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	15.7.2019 (पूर्व में 26.6.2019)
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	25.7.2019 (पूर्व में 06.07.2019)
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	15.7.2019 (पूर्व में 26.6.2019)
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36 बी (1) के अनुसार मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा प्रस्ताव योजना के लिये अनुरोध प्राप्त करने के पात्र सभी प्रस्ताव आवेदक (कों) को वह प्रस्ताव आवेदक (कों) द्वारा गोपनीयता का अंडरटैकिंग जमा करने के बाद क्लॉज नं. 21 के अंतर्गत दी गई ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	14.8.2019 (पूर्व में 26.7.2019)
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	प्रस्ताव आवेदक (कों) द्वारा ऊपर क्लॉज 16 में वर्णित रूप में (अर्थात 14.8.2019 को या उससे पूर्व) प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि को या पूर्व क्लॉज 21 में वर्णित पते पर ई-मेल तथा मुहरबंद लिफाफे में हाथों-हाथ/ डाक द्वारा अंतरिम प्रस्ताव कर्मी/ प्रस्ताव कर्मी के पास प्रस्ताव योजना (ऐं) जमा की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव जमा करने की अनुमानित तिथि	25.8.2019
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	अजय गुप्ता, आईबीबीआई पंजी. सं. IBBI/ IPA-001/ IP-P00140/ 2017-18/10304
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	नामः अजय गुप्ता, पताः 7-ए, सिद्धार्थ एक्स्टेंशन, पॉकेट-बी, नई दिल्ली-110014, ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	नामः अजय गुप्ता, पताः फ्लैट नं. 1004, एस्पायर 2, सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट, 9वां तल, सेक्टर- 93ए, नोडा-201304, ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com, irp.appleindustries@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	नामः अजय गुप्ता, अंतरिम प्रस्ताव कर्मी, ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com, irp.appleindustries@gmail.com
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	19.6.2019 (पूर्व में 27.05.2019)

टिप्पणीः 1) इस मामले में ईओआई 27.5.2019 को पूर्व में आमंत्रित की गई थी तथा ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 11.6.2019 थी। लेकिन, सीओसी के निर्देशों के अनुसार 30.6.2019 तक ईओआई जमा करने की स्वीकृति दी गई, अतएव यह आमंत्रण की जा रही है।

हस्ता./- अजय गुप्ता
अंतरिम प्रस्ताव कर्मी
एपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीआईआरपी के अधीन) के मामले में
तिथिः 22.06.2019
स्थानः नई दिल्ली
आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00140/2017-18/10304
पताः 7-ए, सिद्धार्थ एक्स्टेंशन, पॉकेट-बी, नई दिल्ली-110014
ई-मेलः ajaygupta1969@gmail.com, irp.appleindustries@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा **20th June 2019** को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब **15th July 2019** को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्जदारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

सार्वजनिक सूचना

सार्वसाधारण को ये सूचित किया जाता है, कि राजनीतिक दल "नागरिक विकास पार्टी" (दल का नाम) के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है । पार्टी कार्यालय पता :-नागरिक विकास पार्टी, ७२८, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कुरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शो-रूम के पास, सातिवली, वसई रोड, वसई (पूर्व), जिला-पालघर, महाराष्ट्र-४०१ २०८ में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा २९क उप-उपधारा (४) के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारीयों के नाम / पता नीचे दिये गये है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष :- श्री. संतोष जयगोविन्द सिंह
पता :- ७२८, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कुरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शो-रूम के पास, सातिवली, वसई रोड, वसई (पूर्व), जिला-पालघर, महाराष्ट्र राज्य -४०१ २०८ भारत.

राष्ट्रीय महासचिव :- डॉ. बृजेश रामसिंगार पाण्डे
पता :- नारायण दर्शन अपोर्टमेंट, एच-विंग, ४१७/४१८, शिवाजी नगर, वालधुनी, कल्याण, जिला-थाना, पिनकोड-४०१ ३०६, महाराष्ट्र राज्य, भारत.

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष :- श्री. देवेंन्द्र सिंह सैनी
पता :-बी-४०१/४०२, रॉयल नेस्ट, सी. एस. एस. लिमिटेड, मीरा-भायन्दर रोड, शिवर गार्डन, मीरा रोड, ठाणे, पिनकोड-४०१ २०७, महाराष्ट्र राज्य, भारत.

यादि किसी को "नागरिक विकास पार्टी" (प्रस्तावित पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल) भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- ११० ००१ को इस सूचना के प्रकाशन के ३० दिनों के भीतर भेजें।

समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन देने वाले के नाम व पद

राष्ट्रीय अध्यक्ष :- श्री. संतोष जयगोविन्द सिंह
राष्ट्रीय महासचिव :- डॉ. बृजेश रामसिंगार पाण्डे
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष :- श्री. देवेंन्द्र सिंह सैनी

फॉर्म-जी
प्रस्ताव योजना का आमंत्रण

दिवालिया और शोधन अक्षमता (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

संबंधित विवरण

1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	संतोष ओवरसीज़ लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी की संस्थापना की तिथि	09.04.2007
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी दर्ज/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़- नई दिल्ली
4.	कारपोरेट ऋणी का निगमित पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U52100DL2007PLC161735
5.	कारपोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	यूनिट नं. डीपीटी 501 डीएलएफ प्राइम टावर्स, ओखला फेज-1, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110020, भारत
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इंसॉलवेंसी शुरुआती तिथि	08.02.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	22.06.2019
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in (यह आरपी के आईपीटीई की वेबसाइट है और कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट नहीं है)
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in (यह आरपी के आईपीटीई की वेबसाइट है और कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट नहीं है)
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	27.06.2019
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	28.06.2019
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	03.07.2019
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	04.06.2019
14.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों के लिए प्रस्ताव योजना के लिए अनुरोध तथा सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी जारी करने की तिथि	29.06.2019
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन सारणी, सूचना ज्ञापन तथा आगामी जानकारी हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	प्रस्ताव पेशेवर आईबीसी, 2016 की धारा 29-ए के अंतर्गत केवाईसी, निवेश की क्षमता, प्रबंधन की योग्यता और पात्रता, सीओसी द्वारा अनुमोदित पूर्व-योग्यता मानदंड यदि कोई है, के सत्यापन के बाद इलैक्ट्रोनिक फार्म में प्रस्ताव योजना/मूल्यांकन सारणी/सूचना ज्ञापन हेतु अनुरोध को शेयर करेगा।
16.	प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30.07.2019
17.	प्रस्ताव पेशेवर को प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करने का तरीका	क्रम संख्या 21 के अंतर्गत वर्णित इ-मेल आइडी को इलैक्ट्रोनिक रूप में।
18.	अनुमोदन हेतु निर्णायक प्राधिकरण को प्रस्ताव योजना की प्रस्तुति हेतु अनुमानित तिथि	सीओसी के सदस्यों द्वारा जल्द से जल्द अनुमोदित
19.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण सं.	श्री रोहित सहगल (रजि. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-18/10953)
20.	प्रस्ताव पेशेवर का नाम, पता व इ-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	श्री रोहित सहगल, ए-604, सुजान विहार, सैक्टर-43, गुड़गांव, हरियाणा-122002 इ-मेलः iamrs101@gmail.com
21.	प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली इमेल तथा पता	श्री रोहित सहगल, इ-मेलः santosh.overseas@aaainsolvency.com, rohit.sehgal@aaainsolvency.com, पताः ई-10ए, कैलाश कालोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
22.	आगामी विवरण पर या के साथ उपलब्ध है	www.insolvencyandbankruptcy.in (यह आरपी के आईपीटीई की वेबसाइट है और कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट नहीं है)
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	22.06.2019

श्री रोहित सहगल,
भागीदार
एएए इंसॉलवेंसी प्रोफैशनल एलएलपी
संतोष ओवरसीज लिमिटेड के विषय में प्रस्ताव पेशेवर
(रजि. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-18/10953)
इ-मेलः rohit.sehgal@aaainsolvency.com
संपर्क विवरणः कार्यालय पताः ई-10ए, कैलाश कालोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
संपर्क नंबरः 011-46664600

IDBI BANK

CIN : L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005. **टेली.**: 022- 22189111

विज्ञापन सं.: 2/2019-20

मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग, बेंगलुरु में बैंकिंग और वित्त में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए नामांकन के माध्यम से आईडीबीआई बैंक में सहायक प्रबंधक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन

सीटों की संख्या: 600

आईडीबीआई बैंक लि., जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक कंपनी है और जिसमें अधिकांश शेयरधारिता भारतीय जीवन बीमा निगम की है, मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग, बेंगलुरु में बैंकिंग और वित्त में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए 600 उम्मीदवारों के चयन हेतु स्नातक डिग्रीधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है. सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने पर, उम्मीदवारों को आईडीबीआई बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाएगा.

आयु, अर्हता के बारे में विस्तृत पात्रता मानदंड और संबंधित अनुदेशों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट **www.idbibank.in** देखें.

नोट : आईडीबीआई बैंक बिना कोई कारण बताए किसी/सभी आवेदन (नों) को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

इंडियन बैंक Indian Bank

आपका अपना बैंक
Your Own Bank
अंचल कार्यालयः नोएडा
Zonal Office, Noida

शाखाः- इण्ड. रिटेल प्रोसेसिंग सैन्टर, गाजियाबाद, डी-37/2, सैक्टर-50, नोएडा- 201301, फोनः 0120 - 2502364

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1) अचल संपत्ति का कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.12.2018 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्री रंजीत कुमार पुत्र सावलीया ओझा, मकान नं0. 20/27, ब्लॉक-एल, गली नं0.7, प्रकाश नगर, दिल्ली-110053 और फ्लैट नं0. एफ-1, (प्रथम तल) प्लॉट नं0. बी-60, एस एल एफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद-201102 (उधारकर्ता) और श्री संजीत कुमार पुत्र सावलीया ओझा, मकान नं0. 20/27, ब्लॉक-एल, गली नं0.7, प्रकाश नगर, दिल्ली-110053 और फ्लैट नं0. एफ-1, (प्रथम तल) प्लॉट नं0. बी-60, एस एल एफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद- 201102 (उधारकर्ता) जो हमारी सैक्टर-63, शाखा नोएडा में मांग नोटिस में वर्णित मियादी ऋण की राशि रू. 1979486/- (केवल उन्नीस लाख उन्यासी हजार चार सौ छियासी) को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर दिनांक 21.12.2018 से ब्याज सहित अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधेहस्ताक्षरी कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.06.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्ति के मालिक (ऋणी) तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन इंडियन बैंक को देय धनराशि रू. 2012886/- (केवल बीस लाख बारह हजार आठ सौ छियासी) दिनांक 12.06.2019 तक एवं उस पर ब्याज तथा अन्य खर्चों आदि के अधीन होगा।

हम सरफेसी अधिनियम की धारा-13 (8) के प्रवधानों एवं नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जोकि प्रतिभूतियों पर आपके प्रतिदान के अधिकारों को बताता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

आवासीय सम्पत्ति जिसकी माप 900 स्क्वेयर फिट (सुपर एरिया) फ्लैट नं0. एफ-1, (प्रथम तल) प्लॉट नं0. बी-60, एस एल एफ, वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद (यू0पी0) की सीमा निम्नानुसार हैः- चौहद्दीः उत्तरः 18 मीटर रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं0. 59, पूर्वः 9 मीटर रोड़, पश्चिमः प्लॉट नं0 बी-50.

दिनांकः 17.06.2019
स्थानः नोएडा।
प्राधिकृत अधिकारी
(इंडियन बैंक)

भारत निधि लिमिटेड

CIN No. L74899DL1942PLC000644

पंजी. कार्यालयः प्रथम तल, एक्सप्रैस बिल्डिंग, 9-10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- 110002
फोन नं. : 011-43562982, वेबसाईटः www.bharatnidhi.com
ई-मेल आईडीः bharatnidhi1@gmail.com

शेयरधारकों के लिये सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी पोस्टल बैलट सूचना तिथि 13 जून, 2019 (पोस्टल बैलट सूचना) में निर्दिष्ट विशेष प्रस्ताव (वों) के संदर्भ में पोस्टल बैलट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) द्वारा मतदान शामिल है, के द्वारा सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त कर रही है।

कम्पनी ने 21 जून, 2019 को पोस्टल बैलट प्रपत्र तथा पूर्व-प्रदत्त डाक शुल्क युक्त स्व-पता लिखित व्यावसायिक जवाबी लिफाफे (भौतिक पद्धति में भेजी गई दस्तावेजों के मामले में) के साथ पोस्टल बैलट सूचना का प्रेषण कर लिया है। उक्त दस्तावेजों इस प्रकार से प्रेषित की गई है; क) ऐसे सदस्यों जिन्होंने अपने ई-मेल पते कम्पनी अथवा उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत कराये है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा; ख) ऐसे सदस्यों जिन्होंने ऊपर निदिष्ट रूप में अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, को स्वीकृत पद्धति में भौतिक फार्म में।

ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है। ई-वोटिंग के लिये निर्देश पोस्टल बैलट सूचना में दिये गये हैं। पोस्टल बैलट प्रपत्र के साथ पोस्टल बैलट सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.bharatnidhi.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि (अर्थात 7 जून, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रतिबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर (डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में) में दर्ज होगा, वे पोस्टल बैलट (ई-वोटिंग सहित) द्वारा पारित किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रस्ताव (वों) पर मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे तथा पोस्टल बैलट सूचना के ऐसे कोई भी प्राप्तकर्ता जिन्हें उपरोक्त तिथि को मताधिकार नहीं है, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिये ही देखें।

अन्य विवरण इस प्रकार हैंः

1. मतदान (पोस्टल बैलट तथा ई-वोटिंग) शुरू होने की तिथि एवं समयः शनिवार, 22 जून, 2019 (0900 बजे)
2. मतदान (पोस्टल बैलट तथा ई-वोटिंग) बंद होने की तिथि एवं समयः रविवार, 21 जून, 2019 (1700 बजे तक)
3. रविवार, 21 जुलाई, 2019 (1700 बजे तक) के बाद सदस्यों से प्राप्त प्रपत्र वैद्य नहीं होगा तथा उक्त तिथि एवं समय के बाद पोस्ट अथवा ई-वोटिंग द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. कोई भी सदस्य भौतिक पोस्टल पैलट प्रपत्र अथवा ई-वोटिंग में से मतदान की केवल एक ही पद्धति का चयन कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य दोनों ही पद्धति से मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान लागू होगा थथा भौतिक वैलट प्रपत्रों द्वारा किया गया मतदान अवैध माना जायेगा।
5. जिस व्यक्ति का नाम पोस्टल बैलट सूचना के प्रेषण के बाद रजिस्टर में शामिल हो तथा जो कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हों, वे पोस्टल बैलट सूचना जो कम्पनी की वेबसाईट तथा सीडीएसएल की वेबसाईट पर उपलब्ध है, में दी गई विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण कर यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
6. जिन सदस्यों को पोस्टल बैलट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा जिन्होंने ई-मेल द्वारा उसे प्राप्त किये हों तथा भौतिक बैलट प्रपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक हों, वे कम्पनी की वेबसाईट (www.bharatnidhi.com) से पोस्टल बैलट प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से डुप्लिकेट पोस्टल बैलट प्रपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।
7. यदि ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलट द्वारा मतदान से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा/ समस्या हो, तो सदस्य अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं:

नामः अमीता गोला पदनामः कम्पनी सचिव पताः प्रथम तल, एक्सप्रैस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ईमेल आईडीः bharatnidhi1@gmail.com, फोन नम्बरः 011-43562982	नामः श्री राकेश डाल्वी पदनामः प्रबंधक, सीडीएसएल पताः ए विंग, 25 वां तल, मैराथन फ्युचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 ईमेल आईडीः helpdesk.evoting@cdslindia.com फोन नम्बरः 1800225533

8. पोस्टल वैलट के परिणामों की घोषणा शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को अधिकतम् कार्यावधि की समाप्ति तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालयों में की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ पोस्टल वैलट परिणाम उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी की सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगी तथा उसे कम्पनी की वेबसाईट www.bharatnidhi.com तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www. evotingindia.com पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

भारत निधि लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अमीता गोला
कम्पनी सचिव
तिथिः 21 जून, 2019
स्थानः नई दिल्ली

दक्षिण मध्य रेलवे

Follow us on @SCRailwayIndia

द.म. रेलवे की निविदा सूचनाओं का विवरण हमारी वेबसाईटः www.scr.indianrailways.gov.in पर देखें।

PUB/0699

माह जून-2019 के लिए विशेष ई-नीलामी

विशेष ई-नीलामी तिथि	स्क्रैप डिपो/मंडल
28.6.19	लल्लागुडा, रायनापाडु तिरुपति, सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुन्टूर, नांदेड़, गुन्टाकाल

A0968
प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक
सिकन्दराबाद

निविदा की विस्तृत शर्तें/ विवरणों तथा निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाईटः https://www.ireps.gov.in अथवा www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

Form no INC-26

[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

H S Jewels Budaun Private Limited,
CIN No: U74900DL2012PTC235457

Advertisement for change of registered office of the company from one state to another Before the Regional Director, Northern Region, In the matter of the Companies Act, 2013, Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(6) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of H S Jewels Budaun Private Limited having its registered office at 201A, 2443, Gali No. 10, First Floor Beadon Pura, Karol Bagh New Delhi 110005, Petitioner.

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 25th May, 2019 to enable the company to change its Registered office from "State of NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, New Delhi/ Registrar of Companies, Delhi & Haryana, New Delhi, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below: 201A, 2443, Gali No. 10, First Floor Beadon Pura, Karol Bagh New Delhi 110005

For and on behalf of H S Jewels Budaun Private Limited
Rachit Prakash Vaish, Director (DIN NO. 03356590)
Date: 22.6.2019 Place: New Delhi

प्रपत्र सं. आईएनसी-26

साधारण सूचना [कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

तथा

सीता इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-12, जी/एफ, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्प्लैक्स, ईस्ट दिल्ली-110092 में है, के मामले में

.... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 06 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमौरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह कंपनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

APPENDIX IV
[SEE RULE 8 (1)]
POSSESSION NOTICE
(FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas,

The undersigned being the authorized officer Kotak Mahindra Bank Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13 (2) read with rule 9 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 29th January, 2019 calling upon the Borrower **"IREO Private Limited"** to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 30,36,12,491/- (Thirty Crore Thirty Six Lakh Twelve Thousand Four Hundred and Ninety One Only) against loan account no. 01732100000068 as on 31/12/2018 along with the future interest thereon at the rate of applicable rate till actual date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with read with Rule 9 of the said Rules on 19 June, 2019.

The Borrower and the Mortgagor " **Sunsine Realbuild Pvt. Ltd**" in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of **"Kotak Mahindra Bank Limited"** for an amount of Rs. 30,36,12,491/- (Rupees Thirty Crore Thirty Six Lakh Twelve Thousand Four Hundred and Ninety One Only) as on 31/12/2018 along with the future interest thereon at the rate of applicable rate till actual date of payment.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that piece and parcel of non-agricultural and free hold land admeasuring 104 Karnal and 13 Marla or 13.8 Acres approx, comprised in, Khewat no. 1005,Khata no.1137, at Rectangle no.13,Kila no.15/2 (1-8),16(7-6) 17/1 (1-8), 17/2/2 min (1-0), 18/2 min (2-0), 23/1/2 (1-19), 25-1 (5-2); Khewat No. 993, Khata No. 1124, at Rectangle No. 14, Kila No. 17/1 (5-7), 18 (8-0), 19 (8-0), 20 (8-0), 21 (8-0), 22 (8-0), 23 (8-0), 24 mm (6-5), and Rectangle No. 21, Kila No. 1 (5-12), 2 (4-3), 3 mm (2-2); Khewat No. 1577, Khata No. 1782, at Rectangle No. 14, Kila No. 14 (8-0), 17/2 (2-13); and Khewat No. 998, Khata No. 1129, at Rectangle No. 14,Kila No. 25 mm (2-8), (more particularly described and set out in the License no.14 of 2008 granted by the Director, Town & Country Planning, Haryana) in Sector-65, Village Badshahpur, District Gurgaon, Haryana.

For **Kotak Mahindra Bank Limited**
Sd/-
Authorized Officer
Date: 19 June, 2019
Place: New Delhi

जनसत्ता

हादसा और सवाल

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गुरुवार को हुए बस हादसे में चवालीस लोगों की मौत दहला देने वाली घटना है। इस हादसे ने एक बार फिर सरकार की लापरवाही को उजागर किया है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना बता रहा है कि राज्य सरकार के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। राज्य में पिछले पांच साल के दौरान जितने सड़क हादसे हुए, जांच में उनका बड़ा कारण सुरक्षा में चूक और लापरवाही ही सामने आई। लेकिन सरकार बेपरवाह है। हकीकत तो यह है कि सरकार ने पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखा और सड़क यात्रा को सुरक्षित बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसी का नतीजा है कि आए दिन राज्य में सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं। जब-जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं, मृतकों को मुआवजा देकर मामला खत्म दिया जाता है, लेकिन पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता। इसलिए सड़क हादसों में हिमाचल प्रदेश का ग्राफ ऊपर जा रहा है।

कुल्लू में जो हादसा हुआ, उसके भी कारण वही हैं जो पूर्व में हुए बड़े हादसों के रहे हैं। यह एक निजी ऑपरेटर की बस थी, जो रोजाना बंजार से गाड़ागुशैणी कस्बे तक सवारियां ले जाती थी। जांच में पता चला है कि यह बस काफी पुरानी थी। हादसा उस वक्त हुआ जब यह चढ़ाई पर थी और ड्राइवर ने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गियर बदल नहीं पाया। इससे बस पीछे जाने लगी और पांच सौ फीट गहरी खाई में जा गिरी। जांच में दूसरी बात यह सामने आई कि बस की क्षमता तो सिर्फ बयालीस सवारियों की थी, लेकिन इसमें अस्सी लोग सवार थे, यानी निर्धारित क्षमता से ठीक दोगुने। ऐसे में तो हादसा होना ही था! इस घटना से यह बात साफ हुई है कि निजी बसें किस तरह लोगों के लिए जानलेवा बन गई हैं, निजी बस ऑपरेटर किस तरह से नियम-कायदों को धता बताते हुए धड़ल्ले से बसें दौड़ा रहे हैं और राज्य का परिवहन विभाग, जिसकी जिम्मेदारी सड़कों पर चलने वाले सभी वाहनों पर निगरानी से लेकर नियमों की पालना सुनिश्चित कराने की है, भी नियम-कायदे तोड़ने वालों और अवैध वाहन संचालन को बढ़ावा दे रहा है। यह कोई छिपी बात नहीं है कि परिवहन विभाग भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर, वाहनों के परमिट और फिटनेस जैसे काम बिना घूस के संभव नहीं होते। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। निजी बसों में क्षमता से ज्यादा सवारियां ठूंसना तो आम है। लेकिन कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि पुलिस या परिवहन विभाग के दस्ते क्षमता से भरी बसों से सवारियां उतरवाते हों और बस मालिक के खिलाफ कार्रवाई करते हों।

दो साल पहले भी शिमला के पास नेरवा में एक बस के नदी में गिर जाने से पैंतालीस लोग मारे गए थे। वह बस भी निजी ऑपरेटर की थी। पिछले साल अप्रैल में सिरमौर जिले में एक स्कूली बस गहरी खाई में गिर जाने से तेईस बच्चों सहित सत्ताईस लोगों की मौत हो गई थी। इन दोनों ही हादसों में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई थी। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और यहां के रास्ते जोखिम भरे हैं। इसलिए संकरे रास्तों पर मोड़ते वक्त या खड़ी चढ़ाई के दौरान ही हादसे ज्यादा होते हैं, खासतौर से जब बसों में क्षमता से ज्यादा लोग भरे हों और वाहन पुराने व खराब हों। सवाल है, निजी बस ऑपरेटरों पर लगाम कसने में सरकार लाचार क्यों है। हादसे रोकने के लिए सरकारी तंत्र को सजग तो होना ही पड़ेगा!

योग-बल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग का महत्त्व तो पांच साल पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इक्कीस जून का दिन तय कर दिया गया। पर अब योग के लाभ भी लोगों को समझ में आने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोगों के हिस्सा लेने की खबरें मिलीं। यह भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारतीय योग विद्या का प्रसार अब दुनिया भर में हो चुका है। योग नीरोग रहने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है। इसका महत्त्व बहुत पहले भारतीय ऋषियों-मुनियों ने समझा था और अब यह इक्कीसवीं सदी तक पहुंच कर चिकित्सा विज्ञान का भी हिस्सा बन चुका है। योग दरअसल, शरीर और मन को स्वस्थ रखने की एक आध्यात्मिक पद्धति है। इसमें सिर्फ व्यायाम नहीं, दैनंदिन जीवन की गतिविधियों को भी संतुलित और संयमित करने का प्रयास किया जाता है। पर फिलहाल इसका आसन वाला पक्ष ही अधिक लोगों की समझ में आया है। इसके नियमित व्यवहार से लोगों को अनेक जीवनशैली संबंधी रोगों में लाभ मिला है, इसलिए दुनिया भर में लोग इसकी तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह यह उम्मीद भी जगती है कि वे योग की संपूर्ण पद्धति को जानने और अमल में लाने का प्रयास करेंगे।

आज जिस तरह दुनिया भर में बीमारियों से पार पाना एक बड़ी चुनौती है, उसमें सबसे अधिक चिंता मधुमेह, रक्तचाप, तनाव, अवसाद, अनिद्रा आदि जैसी जीवन-शैली संबंधी बीमारियों पर काबू पाने को लेकर व्यक्त की जा रही है। सबसे अधिक लोग इन्हीं रोगों से परेशान हैं और सरकारों को इन्हीं पर सबसे अधिक धन व्यय करना पड़ता है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर लोग योग को अपनाएंगे तो न सिर्फ वे स्वस्थ रहेंगे, बल्कि जीवन-शैली संबंधी रोगों पर होने वाला खर्च भी बचेगा, जो विकास संबंधी दूसरे कामों में लगाया जा सकेगा। अब तो चिकित्सा संबंधी शोधों से जाहिर हो चुका है कि जीवन-शैली संबंधी अनेक समस्याएं योग के जरिए समाप्त की जा सकती हैं, इसलिए चिकित्सक दवाओं और परहेज आदि के साथ-साथ योग करने का भी निर्देश देते हैं। बहुत सारे अस्पतालों में योग चिकित्सा के विभाग खोल दिए गए हैं। इस तरह प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के रूप में योग ने न सिर्फ आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सामने भी अपने महत्त्व को रेखांकित किया है, बल्कि दुनिया भर के लोगों में इसके जरिए भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव भी विकसित करना शुरू किया है।

योग पद्धति के विकास और विस्तार ने देश और दुनिया में रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। अब तमाम देशों में योग शिक्षा के केंद्र खुलने लगे हैं, जहां भारतीय योग शिक्षकों की भारी मांग है। ये शिक्षक विदेशों में जाकर न सिर्फ योग के आसन वाले पक्ष का प्रशिक्षण देते हैं, बल्कि आहार-विहार संबंधी आदतों में बदलाव की भी चेष्टा करते हैं। इस तरह अतार्किक खानपान के चलते दुनिया भर में फैल रहे प्रदूषण पर भी काबू पाए जा सकने की उम्मीद बनती है। पर केवल इस पद्धति को अपनाने से पूरी तरह शारीरिक समस्याओं पर काबू पाए जा सकने की उम्मीद तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि परिवेश संबंधी समस्याओं पर भी काबू न पाया जाए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा भी कि पानी, पोषण, पर्यावरण और परिश्रम से ही उत्तम स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

कल्पमेधा

सभ्यता, शिष्टाचार और खुशामद में फर्क करने की आदत डालिए।
-सरदार पटेल

रक्षा बजट और पाक की रणनीति

संजीव पांडेय

पाकिस्तानी सैन्य बजट में इजाफा न होना भविष्य के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। इससे एशियाई मुल्कों में हथियार खरीद को लेकर मची होड़ में कमी आ सकती है। पिछले कुछ दशकों में एशियाई देशों में सैन्य बजट जिस तेजी से बढ़ा है, उससे सैन्यीकरण को तेजी से बढ़ावा मिला है और एशिया क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है।

जब पूरे दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया में सैन्यीकरण पर भारी जोर हो, तब भी अगर कोई मुल्क अपना रक्षा बजट नहीं बढ़ाता है तो यह चौंकाने वाली बात हो सकती है। बेशक इसका मुख्य कारण आर्थिक संकट है। पर भविष्य में शायद यही फैसला कुछ संकेत लेकर आए। आज एशिया ही सैन्यीकरण का प्रमुख केंद्र बन गया है। चीन, भारत, जापान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान जैसे देश सैन्यीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश तो भारी सैन्यीकरण का नतीजा भुगत रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाए जाने के बजाय अभी तक सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे रहे। भारत, पाकिस्तान और चीन तो इसकी शुरुआत काफी पहले कर चुके थे।

खराब आर्थिक हालात के मद्देनजर पाकिस्तान ने इस साल रक्षा बजट में बढ़ोतरी नहीं की। अगर डॉलर के नजरिए से देखें तो पाकिस्तानी रक्षा बजट में कटौती हो गई है। हालांकि लोग पाकिस्तान के रक्षा बजट में कटौती को लेकर उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो भविष्य में यह क्षेत्रीय शांति के लिए अच्छे संकेत भी हो सकते हैं। पाकिस्तान में वर्ष 2019-20 के लिए पेश बजट में रक्षा बजट के लिए 1152 अरब रुपए का प्रावधान किया गया है। 2018-19 में पाकिस्तान का रक्षा बजट 1137 अरब रुपए था। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया गिर गया है। इस कारण डॉलर के नजरिए से पाकिस्तानी रक्षा बजट में इस साल लगभग दो अरब डॉलर की कटौती हो गई। इससे दुनिया भर के हथियार कारोबारी मायूस हो गए हैं, क्योंकि डॉलर में रक्षा बजट कम होने से पाकिस्तान की हथियार खरीद क्षमता पर असर पड़ेगा। डॉलर के नजरिए से पाकिस्तानी रक्षा बजट 7.6 अरब डॉलर का रह गया है, जबकि वर्ष 2018-19 में यह 9.6 अरब डॉलर का था।

पाकिस्तानी सैन्य बजट में इजाफा न होना भविष्य के लिए अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। इससे एशियाई मुल्कों में हथियार खरीद को लेकर मची होड़ में कमी आ सकती है। पिछले कुछ दशकों में एशियाई देशों में सैन्य बजट जिस तेजी से बढ़ा है, उससे सैन्यीकरण को तेजी से बढ़ावा मिला है और एशिया क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। जबकि रूस, अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियार उद्योग को एशियाई मुल्कों के इस सैन्यीकरण से खासा लाभ मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार एशियाई देश ही खरीदते हैं। उत्तर कोरिया के भय से जापान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण लगातार दोनों मुल्कों का रक्षा बजट लगातार बढ़ा है। 2009 से 2019 के बीच पाकिस्तान के रक्षा बजट में तिहत्तर फीसद की बढ़ोतरी हुई। यह दुनिया के कई देशों के रक्षा बजट के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस अवधि में भारत के रक्षा बजट में भी उनतीस फीसद की बढ़ोतरी हुई। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा हथियारों की खरीद पर लगाते हैं। इसका सीधा लाभ अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन जैसे देशों के रक्षा उद्योग को मिलता है। पाकिस्तान अभी तक सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से खरीदता था। लेकिन अब चीनी रक्षा उधोग ने पाकिस्तान में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है।

पाकिस्तान अगर सैन्यीकरण के बजाय अपने आंतरिक विकास पर ध्यान देता तो शायद आज पाकिस्तान को यह दिन नहीं देखने पड़ते। पाकिस्तान के भारत, अफगानिस्तान और ईरान विरोधी रवैए ने पाकिस्तान में सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का छद्म युद्ध आज तक जारी है। इसके लिए पाकिस्तान ने सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया। इसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक संकट में है। उसकी भुगतान संतुलन की स्थिति खराब है। आयात बिल चुकाने में पाकिस्तान को दिक्कत आ रही है। विदेशी मुद्रा भंडार दस अरब डॉलर के करीब रह गया है। एक सौ पांच अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। विदेश व्यापार घाटा तीस अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर तेल और गैस का आयात करता है। निर्यात के मामले में हालत खराब है। पिछले साल इमरान खान ने जब सत्ता संभाली थी, उस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति डांवाडोल थी। तब सऊदी अरब ने मदद की और छह अरब डॉलर का पैकेज दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने भी तीन अरब डॉलर की मदद दी। चीन ने पाकिस्तान को दो अरब डॉलर से ज्यादा दिए। पाकिस्तान ने कर्ज के लिए अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से भी संपर्क साधा। लेकिन उसने पाकिस्तान के सामने कई कड़ी शर्तें रखीं। इन शर्तों में कर सुधारों की बात थी जिसे पाकिस्तान को मानना पड़ा। कई खर्चों में कटौती के लिए भी पाकिस्तान तैयार हो गया। जनता को दी जाने वाली कुछ सबसिडी भी खत्म करने की बात मानी। हालांकि इससे इमरान खान के मंत्रिमंडल में ही गतिरोध पैदा हो गया। वित्त मंत्री असद उमर ने इस्तीफा दे दिया। वे आइएमएफ की कड़ी शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं थे। आइएमएफ की शर्तों को देखते हुए सेना भी आगे आई और सैन्य बजट को पिछले साल के बराबर ही रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया।

पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही पाकिस्तान का सैन्यीकरण शुरू हो गया था। वर्तमान में पाकिस्तान का रक्षा बजट कुल राष्ट्रीय बजट का लगभग बीस फीसद है। किसी जमाने में रक्षा बजट कुल बजट का पचास फीसद तक होता था। लेकिन धीरे-धीरे रक्षा बजट में कटौती की जाने लगी। पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान ने हमेशा तर्क दिया कि तीन तरफ से दुश्मन मुल्कों से घिरे होने के कारण पाकिस्तान का सैन्यीकरण जरूरी है। डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान से विवाद था। अफगानिस्तान में सोवियत सेना का प्रवेश, उसके बाद तालिबान के शासन ने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर सैन्य खर्च बढ़ाया। 2007 के बाद पाकिस्तानी तालिबान की पश्चिमी सीमा पर आतंकी सक्रियता ने पाकिस्तानी सेना की परेशानी और बढ़ा दी। पाकिस्तानी सेना ने अफगान सीमा पर कई बड़े सैन्य अभियान चलाए। इसमें पाकिस्तानी सेना के लगभग तीन अरब डॉलर खर्च हुए।

पाकिस्तान के सैन्य बजट का बड़ा खर्च भारतीय सीमा पर होता है। पाकिस्तानी सेना के बजट निर्धारण में भारतीय सीमा की भूमिका बड़ी है। पर पाकिस्तान के दक्षिणी सीमा पर ईरान से भी लंबे समय तक संबंध खराब रहे हैं। इसका कारण शिया-सुन्नी विवाद है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाते रहे हैं। ईरान पाकिस्तान की सीमा पर बसे ईरानी राज्य सीस्तान-बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान में लगातार आतंकी संगठन लगातार हमले करते हैं। इसलिए दक्षिणी सीमा पर भी पाकिस्तान को अपना सैन्य बजट का अच्छा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। दक्षिणी सीमा पर शांत के लिए हाल ही में इमरान खान ने ईरान का दौरा किया था। इसके अच्छे परिणाम निकलने की उम्मीद दोनों मुल्कों को है। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा बजट में बढ़ोतरी न होने और पाकिस्तान के ऊपर संभावित खतरों पर चर्चा हो रही है। चूंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति-संपन्न राष्ट्र है, इसलिए परंपरागत रक्षा खर्चों में कुछ समय के लिए पाकिस्तान कटौती कर सकता है। परमाणु शक्ति-संपन्न होने के कारण पाकिस्तान के पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन सिर्फ परमाणु हथियारों के बल पर राष्ट्र की सुरक्षा भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को पूर्वी सीमा पर भारत से भी संबंधों को ठीक करने के लिए प्रयास करने होंगे।

अंधेरे की चमक जुगनू

अंशुमाली रस्तोगी

आखिरी बार जुगनुओं को कब देखा था, मुझे याद नहीं। न ही शायद आपको याद होगा। जुगनू हमारी बचपन की यादों और कहानियों में ही बचे रह गए हैं अब। आज बच्चों से जुगनुओं के बारे में पूछा जाए तो वे इतना भर कह देते हैं- 'हां, क्लास की किताब में देखा-पढ़ा था लाइट वाले कीड़े के बारे में!'

मुझे खूब याद है कि जब हम छोटे थे, तब कितने ही जुगनुओं को रात के अंधेरे में उड़ते देखते थे। रोशनी जलाते-बुझाते नन्हे-नन्हे जुगनू कितने आकर्षक लगते थे! एकाध दफा तो ऐसा भी किया कि सिर्फ यह जानने के लिए कि जुगनुओं में ये बत्ती-सी जलती कैसे और कहां से है। उन्हें पकड़ कर डिब्बी में बंद कर लिया था। गरमी की उन रातों में सिर्फ उस 'लाइट वाले कीड़े' को देखने का मन करता था। तब जुगनू ही हमारे खेल और मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। एक साथ कई-कई जुगनुओं को हल्की जलती-बुझती लाइट के साथ देखना बड़ा खूबसूरत लगता था।

देखते ही देखते जुगनू हमारे बीच से ऐसे गायब हुए कि अब वे शहर तो क्या, गांव में भी शायद ही नजर आते होंगे! जुगनुओं को गायब करने के दोषी दरअसल हम ही हैं। निरंतर बढ़ता शहरीकरण, खेतों का खत्म होना, जंगलों-पेड़ों का कटना अकेले जुगनुओं को ही नहीं और भी न जाने कितने जीव-जंतुओं को लील गया है। बढ़ते प्रदूषण ने जब इंसानों का जीना मुहाल कर रखा है, तो जीव-जंतुओं और जानवरों की क्या बिसात। हमने जुगनुओं को नहीं, गौरैया को भी अपने बीच से लगभग गायब कर दिया है। अब जोर लगाया जा रहा है कि गौरैया फिर से लौट आए। आलम यह है कि हर रोज सुबह मीठी तान सुनाने वाले कोयल तक अब कम ही नजर आते हैं। भूले-भटके ही उसकी आवाज कानों में पड़ती है।

दुनिया मेरे आगे

प्रकृति और पर्यावरण से छीनने की होड़ यहीं खत्म नहीं हुई है। यह लगातार जारी है। नदियों-तालाबों को पाट कर रोज नई-नई कॉलोनियां और अपार्टमेंट विकसित किए जा रहे हैं। खेतों को खत्म किया जा रहा है। धरती न रहने लायक बची है, न जीने लायक। ऐसे में जुगनुओं का विलुप्त होना अधिक आश्चर्य पैदा नहीं करता। बच्चों को जो बचपन हमें जुगनुओं को देखने, उनके बारे में जानने के लिए देना चाहिए था, उसे हम मोबाइल और कार्टून चैनलों में दे रहे हैं। बच्चे अपना बचपन जी नहीं, बल्कि ढो रहे हैं।

प्रकृति के आचरण को हमने कुछ ऐसा बना और बदल दिया है कि अब यहां कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। यह परिवर्तन जितना खतरनाक इंसानों के स्वास्थ्य के लिए है, उतना ही जानलेवा पशु-पक्षियों और जीव-जंतुओं के जीवन के लिए है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की जद में हम इस कदर आ चुके हैं कि आने वाले सालों में धरती के हर प्राणी का जीवन कठिन से कठिनतम होगा।

एक दौर हमारे बचपन का ऐसा भी गुजरा है, जब जुगनुओं को रात में देखना आम बात हुआ करती थी। तब किसी ने कल्पना तक न की होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम इस खूबसूरत जीव को देखने को ही तरस जाएंगे। जो है या जो पीढ़ी आगे आ रही है, उसके लिए तो जुगनू शायद किस्से-कहानियों की बातें ही रह जाएंगी। आज भी जब बच्चे लुप्तप्राय हो चुके जीवों के बारे में पूछते हैं, तब हमारे पास कोई उचित जवाब नहीं होता उन्हें देने के लिए। बाकी इधर-उधर की बातें कर दिल आप उनका कितना ही बहला लीजिए, लेकिन जो हकीकत है, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते।

मगर इतना तो तय है कि जुगनू हर उम्र के व्यक्ति के लिए कौतूहल का कारण रह हैं। खासकर उनके भीतर से प्रकाश का निकलना। यह भी पढ़ा है कि पुराने जमाने में लोग जुगनुओं को एक डिब्बे में बंद कर उससे रात में राह देखने की कोशिश की जाती थी और स्त्रियां घर को अंधेरे से मुक्त रखने का काम लेती थीं। जुगनू रात के अंधकार में क्यों चमकते हैं, इसके अपने वैज्ञानिक कारण हैं। पर हमें उनका यों लाइट की मानिंद जलना-बुझना आकर्षित तो करता ही है।

जुगनुओं पर लिखा भी खूब गया है। प्रेमचंद की तो एक कहानी ही है 'जुगनू की चमक'। हरिवंशराय बच्चन की कविता है 'जुगनू'। इकबाल की एक कविता 'जुगनू' की पंक्तियां हैं- 'सुनाऊं तुम्हें बात एक रात की/ कि वो रात अंधेरी थी बरसात की/ चमकने से जुगनू के था इक समां/ हवा में उड़े जैसे चिंगारियां/ पड़ी एक बच्चे की उस पर नजर/ पकड़ ही लिया एक को दौड़ कर/ चमकदार कीड़ा जो भाया उसे/ तो टोपी में झटपट छुपाया उसे...!'

जुगनुओं के साथ बीता बचपन यादों में रहेगा हमेशा। अब जबकि जुगनुओं का संसार लगभग विदा ले चुका है शहरों से, तो क्या हमें कुछ ऐसे प्रयास नहीं करने चाहिए कि वे वापस आ सकें हमारे बीच? ताकि हम अपने बच्चों को दिखा सकें कि देखो, ऐसा होता है 'लाइट वाला कीड़ा' जुगनू!

दूसरा पहलू

भारत में जीन संवर्धित फसलों का शुरू से ही विरोध होता रहा है। विशेषज्ञों द्वारा इनके पक्ष-विपक्ष में कई तर्क भी दिए जाते रहे हैं, लेकिन इन फसलों और बीजों के दूसरे पहलू पर भी विचार करने की आज सख्त जरूरत है। दरअसल, इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जीन संवर्धित फसलें कम पैदावार की समस्या और सूखे की मार से निपटने में बहुत सहायक हैं। 1996 के बाद से अब तक इन फसलों की खेती में सौ गुना से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार आज लगभग 35 से अधिक देशों में 21.5 करोड़ हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इस खेती का दायरा फैल चुका है।

सन 2002-03 में कपास की पैदावार लगभग 191 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2002 में बीटी कपास की खेती की अनुमति के बाद अब लगभग 513 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक हो चुकी है। इसकी बदौलत भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक देश बन कर उभरा है। आज अमेरिका और चीन के बाद कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। गौर से देखा जाए तो देश में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर जीन संवर्धित फसलों की खेती समय की मांग है।

अमेरिका में आनुवंशिक तरीके से फसलों में मक्का, सोयाबीन और कपास से लेकर पपीता जैसी कई और फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। चीन भी इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि जीन संवर्धित फसलों के बीज (जीएम बीज) काफी महंगे होते हैं, नतीजतन वे आम किसान की पहुंच से काफी दूर होते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक परीक्षण के बाद इनकी प्रजनन क्षमता भी खत्म हो जाती है, जिससे इन जीन संवर्धित फसलों को पुनः बीज के रूप में इस्तेमाल करना भी संभव नहीं होता है।

आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। देश-विदेश के कई वैज्ञानिकों की जीन संवर्धित फसलों पर सहमति है। दुनिया के अनेक देशों में इस तकनीक के उपयोग से साफ है कि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों और कृषि की खस्ता हालत के मद्देनजर जीन संवर्धित फसलें किसानों के लिए कितनी आवश्यक हैं। ऐसे में देश में आनुवंशिक तौर पर फसलों को विकसित करने तथा देश में कृषि, खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा के लिए इस महत्त्वपूर्ण विकल्प के उपयुक्त तथ्यों पर गौर कर सरकार द्वारा इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाने और आम किसानों तक इसकी पहुंच को आसान बनाने की सख्त आवश्यकता है।

● *शुभम शर्मा, नोएडा, उत्तर प्रदेश*

संसाधनों का ध्रुवीकरण

दुनिया में पर्यावरणीय बदलाव किस कदर हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों भारत के कई राज्यों में पीने योग्य साफ पानी की जबर्दस्त किल्लत हो रही है। भीषण गर्मी में लोग सूख रही नदियों, दम तोड़ रहे नलकूप-हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों के भरोसे इस उम्मीद में दिन गुजार रहे हैं कि जल्द ही बरसात आएगी और उनकी पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी।

दुनिया इक्कीसवीं सदी से गुजर रही है। कई तकनीकी और अहम बदलावों ने पृथ्वी पर सभी जीवों जीवन को प्रभावित किया है। तकनीक और बदलावों के दौर में हम कहां पहुच गए हैं! यदि विकसित देशों को छोड़ दें तो आज भी एशिया, अफ्रीका और तीसरी दुनिया के देश मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां साफ हवा, पानी, भोजन, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार से जुड़ी समस्याएं आज भी विकराल रूप में दीवार की तरह खड़ी हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुविधाओं और संसाधनों का ध्रुवीकरण और इन पर कुछ देशों का एकाधिकार क्यों है! क्या यही वैश्विक गांव की खुशहाली और शांति के प्रतीक हैं?

काफी वर्ष बीत जाने के बाद सैकड़ों देश पर्यावरण, पानी, शिक्षा, अस्पताल और रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं। आखिर कब तक तीसरी दुनिया के देशों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीना पड़ेगा?

● *पवन कुमार मौर्य, नई दिल्ली*

मौत को न्योता

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पंजाब के संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरे दो वर्षीय बच्चे को बचाने की 108 घंटे तक कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। पहला प्रश्न है कि बोरवेल को खुला छोड़ने वाले पर क्या कार्रवाई की जाएगी? दूसरा प्रश्न यह कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा बच्चे को बचाने के प्रयास में क्या कमी रह गई कि इतने लंबे समय तक कार्रवाई करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली? आखिर उन मासूमों का क्या गुनाह था जो बोरवेल में गिर कर अकाल मृत्यु का ग्रास बन गए? गुनाह तो उन्होंने किया जिन्होंने बोरवेल खुला छोड़कर मासूमों की मृत्यु को आमंत्रण दिया। जिनके घर मातम पसरा है, उनके दिल पर क्या गुजर रही है, बोरवेल को खुला छोड़ने वालों में यह संवेदनशीलता पैदा हो जाए तो ऐसी घटनाएं घटित ही न हों। एनडीआरएफ को भी अपनी कार्यशैली में कुशलता लाने की आवश्यकता है।

● *सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी, नई दिल्ली*

परमाणु अप्रसार

विश्व में पिछले साल परमाणु हथियारों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन अब सभी देश अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। चिंता की बात है कि इसे विस्तारित करने के लिए कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। भारत, पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ उन्हें बढ़ा भी रहे हैं। इनके अलावा भी अन्य देश अपने परमाणु हथियारों को सीमित करने की बजाय उनकी संख्या में इजाफा कर रहे हैं, जिसके चलते परमाणु अप्रसार संधि और स्टार्ट संधि जैसे विकल्प भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। परमाणु हथियारों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पूरी दुनिया पर संकट मंडरा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय बन गया है।

● *संजू कुमार, चौबारा, हनुमानगढ़, राजस्थान*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

हार और तकरार

लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सात संसदीय सीटों पर हार चुकने के बाद सूबे के कांग्रेसी अब एक-दूसरे को निपटाने में मुस्तैदी से जुट गए हैं। सब एक-दूसरे के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे हैं। पार्टी अनुशासन की छीदालेदर बाकायदा की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित व पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन पर्दे के पीछे से शह और मात की लड़ाई में भिड़े हैं और इन दो महारथियों की भिड़ंत का असर दिल्ली के प्रभारी महासचिव पीसी चाको पर पड़ रहा है। शीला दीक्षित के गुट ने उन्हें दिल्ली के लिए बदनसीब कहना शुरू कर दिया है। माकन के करीबी माने जाने वाले चाको को लेकर कहा जा रहा है कि उनके प्रभारी बनने के बाद से दिल्ली में कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं जीती। लिहाजा, उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष दीक्षित के एक करीबी नेता ने चाको के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी की तो अब दीक्षित को पद से हटाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनको लेकर कहा जा रहा है कि अब उनकी उम्र और सेहत कांग्रेस के आगे बढ़ने में आ रही है। ऐसे में किसी युवा नेता के हाथों में प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी जानी चाहिए। कांग्रेसियो के बीच एक-दूसरे के खिलाफ जिस तरह से जंग शुरू हो गई है उससे आलाकमान कैसे निपटते हैं, यह देखने की बात है।

बेबाक बोल

रूप बदल कर इतिहास खुद को दोहरा लेता है। मुजफ्फरपुर में 130 बच्चों की मौत के बाद मीडिया के नए सैरसपाटे की जगह को देख कर गिद्ध और बच्ची की तस्वीर लेने वाले छाया पत्रकार केविन कार्टर की दुखद कहानी लोगों को फिर से याद आ गई। सूडान की तस्वीर 21वीं सदी के मुजफ्फरपुर में दोहराई गई है। 130 बच्चों की मौत वाली जगह पर मुख्यमंत्री को पहुंचने में 17 दिन लगते हैं तो विपक्ष के पैरोकारों का कुतर्क मरी हुई जनता को ही और मार रहा कि उन्हें वोट क्यों दिया था। जिस बुखार का ठीकरा हिंदुस्तान के कई इलाकों में दो सौ सालों से खाई जा रही लीची पर फोड़ा जा रहा उसकी असली वजह फणीश्वरनाथ 'रेणु' के अमर साहित्य 'मैला आंचल' में दर्ज है-गरीबी और जहालत। मुजफ्फरपुर में पूर्णिया के मेरीगंज से लेकर सूडान के गिद्ध तक की वापसी पर बेबाक बोल।

गिद्ध गाथा

मुकेश भारद्वाज

जब पारा 40 के पार हो तो बच्चों के पेट में अनाज हो। बच्चों के शरीर में इतनी ऊर्जा हो कि सौ से ज्यादा बुखार आ जाए तो वो उसे झेल लें। घर में थर्मामीटर हो, परिजनों को बुखार मापना आता हो और बीमार पड़ने पर उन्हें पारासिटामोल की सही खुराक मिलती रहे। इक्कीसवीं सदी के भारत में हम अपने बच्चों को इतनी बुनियादी चीजें भी मुहैया न करवा पाए, तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष। बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि उसका कुपोषित शरीर बुखार को नहीं झेल पा रहा था।

बजरिए मुजफ्फरपुर बिहार सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि कमजोर तबके के बच्चे आज भी भूखे सो रहे हैं। अस्पतालों में इतने संसाधन नहीं हैं कि वे बुखार पर काबू पा सकें। एक बुखार की वजह से 130 बच्चों की मौत हो जाती है और बिहार के मुख्यमंत्री को पटना से मुजफ्फरपुर की 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में 17 दिन लग जाते हैं। वैसे स्वयंभू 'सुशासन बाबू' को इससे पहले भी संवदेनशील मसलों पर सक्रिय होने में जरूरत से ज्यादा समय लगता रहा है। मुजफ्फरपुर की बच्चियों के यौन शोषण के मामले में इतनी देर से बोले थे कि उस बोलने का मतलब नहीं रह गया था, वह भी तब जबकि बच्चियों से बलात्कार और हत्या के आरोपी सत्ता के साथ चलने वाले चेहरे थे।

मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल के बाहर हाहाकार मचा था। मां-बाप, दादा-दादी की गोद में सफेद कपड़ों में लिपटे बच्चों के शवों की तस्वीरें विचलित कर रही थीं। पटना से मुजफ्फरपुर के बीच की धरती और चांद जैसी दूरी तय कर पहुंचने वाले मुख्यमंत्री को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार वापस जाओ के नारों के बीच वही बहुत देर से बोली गई फुसफुसाती आवाज कि इस बार जागरूकता फैलाने में कमी रह गई थी। बच्चों की मौत के मातम के बीच केंद्रीय मंत्री बड़े आराम से कह बैठते हैं कि चुनावी व्यस्तताओं की वजह से अधिकारी इनसेफलाइटिस को लेकर जागरूकता का प्रसार नहीं कर पाए।

केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री उस बीमारी की जागरूकता के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर 2015 में काबू पा लिया गया था। 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' ऐसा शब्द है जो मुजफ्फरपुर की घटना के बाद बहुत बार बोला गया है। दिमागी बुखार के खिलाफ कुछ बुनियादी मानक तय किए गए थे, जिसे अपनाया गया था और बच्चों के सिर से बुखार की वजह से मौत का खतरा टला था। एहतियाती उपायों में सबसे जरूरी है बच्चे को समय से अस्पताल पहुंचाना और ग्लूकोज चढ़ाना। ज्यादातर लोगों ने शिकायत की कि निजी अस्पतालों से बड़े सरकारी अस्पताल तक जाने में एंबुलेंस का खर्च ही इतना था जिसे गरीब परिवार के लोग वहन नहीं कर सकते।

शासन-प्रशासन इस बीमारी का ठीकरा उस लीची पर फोड़ रहा है जो मुजफ्फरपुर के किसानों की रीढ़ की हड्डी है। बिना किसी पर्याप्त शोध और सबूत के जिम्मेदार सरकारी अमलों द्वारा लीची को कठघरे में ला एक और नई समस्या पैदा कर दी गई है। दिल्ली, मुंबई तक पहुंची मुजफ्फरपुर की लीची को शक की निगाह से देखा जा रहा है। जिस मुजफ्फरपुर की लीची का साल भर इंतजार रहता था, लोग उसे खरीदने से डर रहे हैं। फिलहाल इस बीमारी की जद

में एक साल के बच्चे भी आए हैं जो लीची नहीं खाते। डॉक्टरों का कहना है कि लीची का बुरा असर तब होता है जब बच्चा खाली पेट सिर्फ लीची खा ले। लीची इसलिए खतरनाक हो जाती है क्योंकि बच्चे के पेट में पर्याप्त पोषण देनेवाला अनाज नहीं है।

सौ से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद कोई मंत्री कह रहा कि हम बारिश होने का इंतजार कर रहे तो कोई कह रहा गरीब के बच्चे थे, अभागे थे। लेकिन देश के भविष्य की इन मौतों का जिम्मेदार कौन है इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बच्चों की मौत के बाद हाहाकार मचने पर केंद्रीय मंत्री अपनी कही गई बात को दुहराते हैं कि 100 बिस्तरों का अस्पताल बनवा देंगे। मुख्यमंत्री उससे ज्यादा आधुनिक अस्पताल की बात कह कर चले जाते हैं। लेकिन इनसे सवाल यह है कि आइसीयू तो छोड़िए अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और ग्लूकोज क्यों नहीं हैं। बच्चों को अस्पताल पहुंचाने के लिए निःशुल्क एंबुलेंस क्यों नहीं है। जब बात पारासिटामोल, थर्मामीटर और ओआरएस की हो रही हो तो फिर सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल का राग अलापने वालों की तो दिमागी जांच हो जानी चाहिए। सीतामढ़ी से लेकर वैशाली और पूर्वी चंपारण के जिलों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं क्यों चरमरा गई हैं कि बच्चों को बुखार के बाद मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ही लाना पड़ता है।

केंद्रीय मंत्री दिल्ली लौट चुके हैं और मुख्यमंत्री पटना। अब चुनाव पांच साल बाद है तो विपक्ष अपनी ऊर्जा अभी खर्च क्यों करे। भारत का स्वास्थ्य बजट कुल जीडीपी का महज 1.15 फीसद क्यों है इसके लिए बार-बार सवाल क्यों करें। पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को बीमा कंपनियों के हवाले करने के खिलाफ जमीनी आंदोलन न तो पहले हुआ और न आगे होने की उम्मीद दिख रही है। सरकारें वैसे ही काम कर रही हैं जैसे करती हैं और विपक्ष के पैरोकारों के पास नया कुतर्क है कि इन्हें क्यों चुना, अब हम क्यों बोलें। जिन्हें वोट दिया है उनसे बात करो। सौ से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है और विपक्ष के नेता ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले रहे हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ये उस तबके के लोग हैं जिन तक इंटरनेट की पहुंच नहीं है। जो मां-बाप अपने बच्चों को भर पेट खाना नहीं दे पाते हैं वो इन नेताओं के ट्वीट से झलके दर्द को कैसे पढ़ें। पक्ष-विपक्ष और हमारा समाज सौ बच्चों की मौत पर बिना किसी की जिम्मेदारी तय किए आसानी से मान जाता है।

उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हो या बिहार का मुजफ्फरपुर, दिमागी बुखार को लेकर गरीब तबके के बच्चों की ही जान जा रही है। इसका मतलब साफ है कि बीमारी की वजह लीची नहीं गरीबी है। जिस बीमारी को सिर्फ बच्चों को भरपेट पौष्टिक खाना देकर रोका जा सकता था उसका हल सुपरस्पेशियलिटी बिस्तर वाले अस्पताल के हवाई वादे में खोजा जा रहा। ऐसी बीमारी का विषाणु फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'मैला आंचल' के किरदार डॉक्टर प्रशांत ने आजादी के बाद 1954 में ही खोज लिया था-गरीबी और जहालत। बच्चे मच्छर और लीची से नहीं बल्कि गरीबी और लापरवाही से मरते हैं। हमारे देश में लाइलाज गरीबी पर पड़े मैला आंचल को एक बार फिर से इन बच्चों की मौत ने उघाड़ दिया है। उनकी लाशों पर मीडिया के गिद्ध भी मंडरा रहे हैं।

जिस अपराध बोध ('द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल' की तस्वीर की मानवीय दृष्टि से आलोचना) में कभी पुलित्जर पुरस्कार से पुरस्कृत पत्रकार केविन कार्टर ने 33 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी वह अपराध बिना किसी बोध के हम बार-बार बड़े अहंकार के साथ कर रहे हैं। मौत के मंजर पर मीडिया का सैरसपाटा और सोशल मीडिया पर गरीब मांओं और बच्चों की अग्रेषित तस्वीरों पर तुरंता कविता। किसी एक पोस्ट की तस्वीर को आगे बढ़ा अपनी तुकबंदी करने वालों ने शायद ही यह जानने की कोशिश की होगी कि जिस तस्वीर पर वे बहुत सारी लाइक्स बटोर चुके हैं उस बच्चे का क्या हुआ? हम यह जाने बिना फिर से चुप हो जाएंगे कि कुपोषित मां के गर्भ से आए कुपोषित बच्चों का आगे क्या होगा? हम गिद्धों को अपनी खुराक मिल चुकी है और अगले हैशटैग के शिकार तक हम बहुत शांत रहेंगे।

इस विशेष पन्ने पर आपके ढेरों पत्र हमें लगातार मिलते हैं। हर बार मुमकिन नहीं कि सारे पत्रों का हम इस्तेमाल कर पाएं। पर यह तो तय है कि आपके पत्रों से आपकी पसंद और विषयों के चुनाव में हमें मदद मिलती है। इस बार का यह विशेष पन्ना आपको कैसा लगा? आप अपनी राय भेज सकते हैं।
हमारी ई-मेल आइडी है : vishesh.jansatta@expressindia.com

आपके पत्र

अभिव्यक्ति में अतिवाद

सचमुच आज हम अभिव्यक्ति के क्षेत्र में अतिवाद से टकरा रहे हैं। भाषा का दुरुपयोग हर तरफ हो रहा है। अगर जनता का नेतृत्व करने वाले लोग ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और गंभीर संवाद करने की अपेक्षा दूसरों के खिलाफ खुलेआम निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग करते नजर आएंगे तो फिर विवेक और सहिष्णुता का पाठ जनता किससे सीखेगी? सत्ता के लिए लड़ रहे महापुरुषों को मात्र जीत को ही अपना साध्य न मानकर लड़ाई के अस्त्रों की शुचिता और नैतिकता की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। सोशल मीडिया भीड़ के हाथों में दिए हथियार की तरह है। इस भीड़ को आत्मसंयम और विवेक सीखने का दायित्व अंधी नारेबाजी से नहीं बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर ही पूरा किया जा सकता है।

-सुमन शर्मा, रोहिणी

पत्रकारिता पर उठते सवाल

पत्रकारिता को राष्ट्रहित में आम जनों की बुनियादी समस्याओं को सामने लाना है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के कार्टून को अखबार और चलचित्र के विज्ञापनों में दिखाना मीडिया पर सवाल और एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर एक मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने के कारण एक पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना पुलिस और पत्रकारिता जैसी संस्था की आक्रामकता को दर्शाता है।

-नितेश कुमार सिन्हा, मोतिहारी, बिहार।

लोकतंत्र के लिए मुश्किल दौर

सत्ता द्वारा प्रायोजित सोशल मीडिया के लठैत किसी न्यायोचित और तार्किक बात कहने वालों के पीछे भी अपशब्दों और गालियों की बौछार शुरू कर देते हैं। पुलिस का यह चरित्र हो गया है कि सत्ता के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। दुखद है कि इसी पुलिस की स्वतः संज्ञान की आंखें बच्चियों से बलात्कार और जघन्य हत्या करने वालों के खिलाफ नहीं खुलती। क्या आज पुलिस की ड्यूटी केवल सत्ता के हुक्मरानों की सेवागीरी तक सीमित हो गई है? क्या अब हर बात में इस निरंकुश होती सत्ता और पुलिस की नकेल कसने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ेगा? मर्यादा पालन , सहिष्णुता, विनम्रता सभी के लिए है। चाहे वह सोशल मिडिया हो, पुलिस हो या सत्ता के कणधार हों सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं करने पर यह पावन लोकतंत्र बर्बरतंत्र में बदल जाएगा। अब यह बहुत जरूरी है कि समाज के समझदार, प्रबुद्धजनों और समाजशास्त्रियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे अराजक होते समय में, उसके कारणों का निष्पक्षता से विश्लेषण करके उसका संतुलित समाधान सुझाएं ताकि भारत एक शांतिप्रिय समाज बना रहे और यहां एक मर्यादित लोकतंत्र की गरिमा बची रहे।

-निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद।

नैतिकता की नींव बचाएं

अभिव्यक्ति की आजादी से आह्लादित आचरणकर्ताओं ने नैतिकता की नीव को दरकाने का जो अभियान चलाया है उससे हमारे प्रशासनिक तंत्र और न्यायपालिका का समय बेवजह नष्ट हो रहा है। जबकि लोक कल्याण के अनगिनत मामले और मुकदमे इन संस्थाओं में न्याय के लिए कराह रहे हैं। विडंबना है कि रसूख वाले इंसान के साथ तनिक भी कुछ प्रतिकूल होने पर टेलीविजन, अखबार, रेडियो और सोशल मीडिया में कोहराम मच जाता है। सामान्य मानव के मौलिक अधिकार का जब नित्य हनन होता है तो नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह वह सन्नाटे की भेंट चढ़ जाता है। अभिव्यक्ति की शक्ति से हम इतने आत्म प्रवंचित हो गए हैं कि मेट्रो नगरी के सड़कों पर आंखों के सामने घटती दुर्घटना से विमुख हो आगे बढ़ जाते हैं। जबकि गांवों में अभी भी ऐसी घटना या गंभीर बीमार व्यक्ति को बिना एंबुलेंस की प्रतीक्षा के चारपाई पर चार लोग पास के अस्पताल ले जाते हैं। संवेदनशीलता अभिव्यक्ति की गंगोत्री है। अगर इसे नहीं समझा गया तो समाज में मुश्किल दौर बना रहेगा।

-डॉक्टर अशोक कुमार, पटना।

राजपाट

वक्त का फेर

समय का चक्र कभी थमता नहीं। और समय सबका सदा एक समान रहता भी नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया से बेहतर कौन समझ सकता है इस सच्चाई को। साल भर पहले तक राजस्थान में तूती बोलती थी महारानी की। सूबे की मुख्यमंत्री भर नहीं थी। पार्टी को भी अपने मन माफिक चला रही थी। आलाकमान चाहकर भी गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी का सूबेदार नहीं बना पाए थे। विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे में भी मनमानी की थी। अकड़ का आलम यह था कि दक्षेस देशों तक के शासनाध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह के 2014 में साक्षी बने थे पर वसुंधरा इस ऐतिहासिक अवसर पर विदेश चली गई थीं। लेकिन समय ने पलटी खाई और पिछले साल वसुंधरा सूबे की सत्ता से बाहर हो गईं। फिर तो इस साल हुए लोकसभा चुनाव में भी उनकी ज्यादा नहीं चल पाई। वे धौलपुर में अपने बेटे दुष्यंत के चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकली तो भी पार्टी ने सारी 25 सीटें जीतकर वसुंधरा को जता दिया कि उनके बिना भी सब सही चल सकता है। वसुंधरा के दुर्दिन ही कहे जाएंगे कि चार बार लोकसभा चुनाव जीत चुके उनके बेटे को इस बार भी केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। दिक्कत यह है कि अब वसुंधरा का कोई हिमायती भी नहीं। संघ परिवार को तो वे हमेशा ही ठेंगा दिखाती रही हैं। विधानसभा चुनाव में ही आलाकमान को सूबे की सियासी नब्ज का अंदाज हो गया था। जब पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया था-वसुंधरा तेरी खैर नहीं पर मोदी से कोई बैर नहीं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आलाकमान ने लोकसभा चुनाव में समझौता वसुंधरा के एतराज के बावजूद किया। उन्हें नागौर की सीट दी। वे खुद तो जीते ही, भाजपा को भी जाट बहुल इलाकों में जिताया। अब कोटा के सांसद ओम बिड़ला को लोकसभा अध्यक्ष जैसा अहम ओहदा सौंप कर एक झटके में वसुंधरा से भी बड़ा नेता बना दिया गया। इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट मंत्री का मोदी ने दर्जा दिया, वसुंधरा समझ तो तभी गई होंगी कि अब उनका वक्त गया। चर्चा है कि सैनी की जगह जल्दी ही आलाकमान पार्टी का नया सूबेदार भी किसी वसुंधरा विरोधी को ही बनाने वाले हैं। कहने को वसुंधरा इस समय पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पर विधायक दल का नेता बनने की उनकी हसरत अधूरी रह गई। जहां तक संगठन में पद का सवाल है तो उन जैसे दो ओहदेदार भूपेंद्र यादव और ओम माथुर पहले से ही आलाकमान की आंखों के तारे हैं।

चक्रव्यूह में दीदी

तृणमूल कांग्रेस से भगदड़ का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं दीदी को हुआ क्या है। भाजपा को चुनौती कैसे दे पाएंगी अगर अपना कुनबा भी सहेज कर नहीं रख सकतीं। कई विधायक और अनेक पार्षद तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं। हर कोई भाजपा की राह पकड़ रहा है। भाजपा के सूबे के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यों ही नहीं अकड़ रहे कि जब चाहे ममता की सरकार गिरा सकते हैं। राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का सर्वदलीय बैठक बुला सूबे की कानून व्यवस्था पर चर्चा करना एक तरह से ममता को दबाव में लेने की ही रणनीति है। ममता ने भी तय कर रखा है कि भाजपा के हर कदम का विरोध करेंगी। मसलन एक देश, एक चुनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो ममता ने बहिष्कार कर दिया। बैठक में कम से कम भाग तो लेती। भले प्रस्ताव पर असहमति जताई होती। लोकसभा में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का ज्यादा फासला तो रहा नहीं। ममता को 22 सीटें मिली हैं तो भाजपा भी दो से छलांग लगा 18 तक पहुंच ही गई। पता नहीं दीदी आत्ममंथन को तैयार क्यों नहीं। भाजपा से अकेले नहीं लड़ सकती तो वाममोर्चे और कांग्रेस से हाथ मिलाने में क्या हर्ज है। अपनी पार्टी के बिखराव को रोकने की गंभीर कोशिश करने के बजाए ममता पार्टी छोड़कर भाजपा में जा रहे अपने नेताओं को लालची और भ्रष्ट बताकर अपनी खीज मिटा रही हैं। समझ नहीं रही कि धीरे-धीरे भाजपा ने चुनाव लड़े बिना ही पांच नगर पालिकाओं पर कब्जा जमा लिया है। और तो और ममता के मुसलमान विधायक मनीरूल इस्लाम ने भी भाजपा का दामन थामने से परहेज नहीं किया। विधानसभा चुनाव बेशक 2021 में होंगे पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की एक चुनावी जंग उससे पहले अगले साल कोलकता नगर निगम और 82 नगर पालिकाओं के चुनाव में ही हो जाएगी। देखना है कि दीदी सूझ-बूझ और दूरंदेशी का सहारा ले अपना घर बचा भाजपा को सत्तारूढ़ होने से रोक पाएंगी या फिर जय श्री राम बोलने वालों पर प्रतिक्रिया में कानूनी कार्रवाई करने जैसे बेतुके फैसलों से अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना जारी रखेंगी।

घालमेल

धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा नहीं माना जाता। पर धर्माचार्य सियासती लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने का पाठ पढ़ाने से चूकते नहीं। इसमें कोई बुराई भी नहीं पर मुश्किल यह है कि पिछले कुछ दशकों में तटस्थ समझे जाने वाले धर्माचार्यों को भी सियासत और सत्ता का चस्का लग गया। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा ऐसे साधु-संतों के लिए संजीवनी साबित हुआ है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े साधुओं की हमदर्दी जहां भाजपा के प्रति साफ झलकती है वहीं विरोधी विचारधारा के साधुओं पर कांग्रेसी होने के आरोप भी खूब लगते रहे हैं। ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती 95 साल के हैं तो क्या हुआ। दिमाग से तो पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त और चौकन्ने हैं। विश्व हिंदू परिषद से कभी पटरी नहीं बैठी। तभी तो परिषद से जुड़े साधु उन पर राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने के आरोप लगाते हैं। परिषद की हरिद्वार में संपन्न हुई दो दिन की मार्गदर्शक मंडल की बैठक में महामंडलेश्वर स्वामी श्याम देवाचार्य जमकर स्वरूपानंद सरस्वती पर बरसे। फरमाया कि मंदिर आंदोलन की शुरुआत के वक्त स्वरूपानंद नदारद थे। यह आंदोलन जब समय के साथ जन आंदोलन बन गया तो बन बैठे अचानक पक्षकार। वह भी कांग्रेस के इशारे पर। भूल गए कि कांग्रेस तो सदैव ही अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ रही है। स्वरूपानंद सरस्वती ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बोले कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस दोनों ही मंदिर विरोधी ठहरे। वे राम को भगवान मानते ही नहीं। अलबत्ता महापुरुष बताते रहे हैं। संघ के सरसंघ चालक रहे गोलवलकर की किताब में भी राम को महापुरुष बताया है। सनातन धर्म में मंदिर भगवान का बनता है, महापुरुष का नहीं। महापुरुष का तो स्मारक बनता है। लिहाजा परिषद वाले पहले यही साफ करें कि उनकी नजर में राम भगवान हैं या महापुरुष। बकौल स्वरूपानंद चूंकि वे राम को भगवान मानते हैं लिहाजा उनका मंदिर बनाने का अधिकार उन्हें है, विश्व हिंदू परिषद को नहीं।

(प्रस्तुति : अनिल बंसल)

रांची में पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर बोले प्रधानमंत्री

योग सबका है और सब योग के हैं

रांची, 21 जून (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहां अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव का संदेश देते हुए कहा कि 'योग सबका है और सब योग के हैं', योग- आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, सरहद के भेद सबसे परे है।

प्रधानमंत्री ने योग दिवस के भव्य आयोजन में यहां कहा, 'बीते पांच वर्षों में योग को हेल्थ और वेलनेस के साथ जोड़कर हमारी सरकार ने इसे प्रिवेंटिव हेल्थकेयर का मजबूत स्तंभ बनाने का प्रयास किया है। ...योग को ड्राइंगरूम से बोर्डरूम तक, शहरों के पार्कों से लेकर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स तक, गली-कूचों से वेलनेस सेंटर तक आज चारों तरफ योग का अनुभव किया जा सकता है।'

इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम झारखंड की राजधानी में करने के तीन कारण गिनाते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। साथ ही यही वह प्रदेश है जहां से पिछले साल 23 सितंबर को हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की थी। तीसरे, आदिवासी और ग्रामीण समाज तक योग को हर हाल में पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि योग पूरी दुनिया में शांति, सद्भाव, उत्तम स्वास्थ्य और सुखमय जिंदगी के लिए है। उन्होंने कहा कि 'योग सबका है और सब योग के हैं,' योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, इन सबसे परे है। मोदी ने देश और दुनिया को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, 'आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देशवासियों को सुप्रभातम् और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है। ये गौरव आज झारखंड को मिला है।' मोदी ने कहा, 'आज देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग-अलग जगह पर जमा हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है। दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ-साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है।' उन्होंने कहा कि तब मुझे और संतोष मिलता है, जब मैं देखता हूं कि युवा पीढ़ी हमारी इस पुरातन पद्धति को आधुनिकता के साथ जोड़ रही है। युवाओं के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से योग पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया है, जीवंत हो गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए चार 'पकार' आवश्यक हैं और ये चार पकार हैं- पानी, पोषण, पर्यावरण और परिश्रम। यानी जीवन में चार पकार हों तो स्वास्थ्य का उत्तम होना तय है। इस मौके पर हृदय रोग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 'इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का विषय है- हृदय के लिए योग।

चार को प्रधानमंत्री पुरस्कार

रांची, 21 जून (भाषा)।

पूरी दुनिया और देश में योग को बढ़ाने में महती भूमिका निभाने के लिए सरकार ने चार संस्थाओं एवं व्यक्तियों को 25-25 लाख रुपए का प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को बधाई दी और उनके प्रयासों को सराहा।

एनएसजी में भारत के प्रवेश से चीन का इनकार

बेजिंग, 21 जून (भाषा)।

चीन ने शुक्रवार को कहा कि अस्ताना में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की बैठक में भारत की सदस्यता का मुद्दा एजंडा में नहीं है। साथ ही, उसने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों को इसमें शामिल करने के विषय पर सदस्य देशों के एक आम राय पर पहुंचने की कोई समय सीमा देने से इनकार कर दिया।

चीन ने 48 सदस्यीय एनएसजी में भारत के प्रवेश को बार-बार बाधित किया है। यह समूह वैश्विक परमाणु कारोबार का नियमन करता है। मई 2016 में एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के अर्जी देने के बाद से चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही एनएसजी में प्रवेश की इजाजत दी जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत के अर्जी देने पर 2016 में पाकिस्तान ने भी एनएसजी की सदस्यता की अर्जी लगा दी।

एनएसजी में भारत के प्रवेश पर चीन के रुख में कोई बदलाव होने से जुड़े सवालों पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि जिन देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, उन्हें किसी विशेष योजना तक पहुंचे बगैर एनएसजी में शामिल करने पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा, 'इसलिए भारत को शामिल किए जाने पर कोई चर्चा नहीं होगी।' लु ने यह भी कहा कि चीन एनएसजी में भारत के प्रवेश को नहीं रोक रहा है और यह दोहराया कि बेजिंग का यह रुख है कि एनएसजी के नियम एवं प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। कजाकिस्तान के अस्ताना में 20-21 जून को एनएसजी की पूर्ण बैठक हो रही है।

40 मिनट में प्रधानमंत्री ने किए 24 योगासन

पेज 1 का बाकी

उत्तान आसन, पाद हस्तासन, ताड़ासन, वृक्षासन, वीरभद्रासन, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, कपालभाति, त्रिकोणासन, अर्धचंद्रासन, परिवृत्त पार्श्वकोणासन, पार्श्वोत्तानासन, शवासन, अर्ध धनुरासन, सर्पासन व शशकासन बड़ी कुशलता से किए। प्रधानमंत्री ने प्रणायाम भी चार प्रकार के किए।

बाद में वहां आए छात्रों, महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों ने भी प्रधानमंत्री की इस पहल और कुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की। एक बालिका प्रियंका ने कहा कि वह तो इतने तरह के आसनों के बारे में जानती ही नहीं थी। दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला श्यामली देवी ने कहा, 'देश को एक योगी प्रधानमंत्री मिला है जिसका लाभ सभी को आने वाले समय में अवश्य होगा।' एक सुरक्षाकर्मी तेजस्वी उरांव ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ योगासन कर उसे बहुत अच्छा लगा और अब से वह सदा नियमित योगासन करेगा। प्रधानमंत्री ने किसी को निराश भी नहीं किया और योग के कार्यक्रम के बाद वह मैदान के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से मिले और उनके साथ सेल्फी खिंचवाई जिससे लोग बेहद प्रसन्न व उत्साहित थे।

महिला वकील हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश सिंह यादव की हाल में हुई हत्या की सीबीआइ जांच के लिए दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी।

भारतीय तेल टैंकरों पर तैनात होंगे नौसैनिक

पेज 1 का बाकी

हैं। जहाजरानी महानिदेशालय, इंडियन शिप ओनर्स एसोसिएशन और नौसेना के अधिकारियों के बीच शुक्रवार दोपहर हुई एक अहम बैठक में फारस की खाड़ी में हालात की समीक्षा की गई।

नौसेना के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि हर एक भारतीय तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज (जो हॉर्मूज जलडमरूमध्य से आते और जाते हैं) पर एक अधिकारी और दो नाविकों को तैनात किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि यह तैनाती समंदर में बारूदी सुरंग और दूसरे विस्फोटकों का पता लगाने के लिए एक सलाहकार की भूमिका में होगी। नौसेना के कर्मियों को हेलिकॉप्टरों या नौकाओं से वाणिज्यिक जहाजों तक पहुंचाया जाएगा।

गौरतलब है कि करीब आधा दर्जन भारतीय समुद्री तेल टैंकर (क्रूड ऑइल कैरियर्स और अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स) हर रोज फारस और ओमान की खाड़ी से होकर गुजरते हैं। 'ऑपरेशन संकल्प' के तहत नौसेना ने गुरुवार को इन क्षेत्रों में युद्धपोत आइएनएस चैन्नई और गश्ती जहाज आइएनएस सुनयना को तैनात कर दिया। इसके अलावा पी-8आई गश्ती विमानों के जरिए क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। समुद्री खतरे का आकलन करने के लिए नौसेना ने तटीय रडार और उपग्रहों से सूचनाओं का विश्लेषण शुरू कर दिया है।

वेंकैया ने उच्च सदन में की मनमोहन की तारीफ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को उच्च सदन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सराहना की और उनके योगदान की चर्चा की।

नायडू ने सदन में कहा कि मनमोहन सिंह और एक अन्य सदस्य एस कुजूर अपने कार्यकाल के समाप्त होने पर 14 जून, 2019 को सेवानिवृत्त हो गए। वे उच्च सदन में असम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदन को निश्चित रूप से उनकी कमी खलेगी, जिन्होंने अपने उल्लेखनीय योगदान से इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। नायडू ने कहा कि सिंह लगातार पांच बार इस सदन के सदस्य रहे। वे 1991 से 2019 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। वे इस दौरान लगातार दो बार देश के प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा वे मार्च 1998 से मई 2004 के बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे 2004 से 2014 तक सदन के नेता भी रहे। वे बहुत ही भद्र, शांत और शालीन व्यक्ति हैं। उन्होंने राष्ट्र के विकास व कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों विशेषकर आर्थिक मामलों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेकर सदन की सामूहिक बुद्धिमत्ता को समृद्ध करने में काफी योगदान किया।

कुजूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वे जून 2013 से जून 2019 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। उन्होंने आदिवासियों और असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के लिए काफी काम किया। नायडू ने दोनों सदस्यों को उनके अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्नता और लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा में सक्रिय रहने की कामना की।

छत्तीसगढ़ में 60 लाख लोगों ने किया योगाभ्यास

रायपुर, 21 जून (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जगहों पर करीब 60 लाख लोगों ने योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज किया गया है।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जगहों पर लोगों द्वारा योगाभ्यास को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों सहित विभिन्न संस्थाओं और स्थलों में विशेषज्ञ योगाचार्यों के नेतृत्व में करीब 60 लाख लोगों द्वारा सामूहिक योगाभ्यास किया गया। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में नगर पालिक निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन कार्यक्रम में नगर के 600 स्कूली बच्चों के साथ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ अधिकारियों ने योगाभ्यास किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर दुबे ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों ने योगाभ्यास के कार्यक्रम में भाग लिया है और यह गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ है, इसके लिए प्रदेशवासियों को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि योग एक विज्ञान है और यही लोगों के स्वस्थ जीवन का आधार है। स्वस्थ और निरोग जीवन जीने के लिए योग बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे विश्व में योग को स्थापित करने का श्रेय भारत देश है। आज पूरे विश्व के लोग भारत के योग को न केवल स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं।

इस अवसर पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के प्रतिनिधि आलोक कुमार ने छत्तीसगढ़ को नए विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रोविजनल प्रमाण पत्र महापौर प्रमोद दुबे को प्रदान किया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मल्टीपल लोकेशन में लोगों द्वारा योगाभ्यास का वर्ल्ड रिकार्ड दर्ज किया गया है, सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ करीब एक माह बाद वास्तविक संख्या की घोषणा की जाएगी।

योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए 60 देशों के राजदूत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विभिन्न देशों के करीब 60 राजदूतों ने योगासन किए। इनमें से कई ने योग को भारत की ओर से विश्व को अद्भुत योगदान बताया। विदेश मंत्रालय की ओर से चाणक्यपुरी के प्रवासी भारतीय केंद्र के विशाल सभागार में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इन राजदूतों के साथ ही भारत एवं अन्य देशों के विभिन्न वरिष्ठ राजनयिकों ने विभिन्न योगाआसन किए।

इस मौके पर विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा, 'इसकी (योग) व्यापक पहुंच एवं स्वीकृति हर जगह साफ तौर पर दिख रही है और खास कर उन देशों को लेकर मैं आश्वस्त हूं, जिनका यहां प्रतिनिधित्व हो रहा है।' जयशंकर ने कहा, 'यूनेस्को द्वारा इसे विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर शामिल किया जाना, संपूर्ण मानवता के लिए इसके वैश्विक महत्त्व एवं लाभ को रेखांकित करता है।'

इस मौके पर भारत में डोमिनिकन गणराज्य के दूत एवं डिप्लोमैटिक कोर के डीन हैंस डैननबर्ग कास्टेलानोस ने कहा, 'कार्यक्रम में कई देशों का प्रतिनिधित्व हुआ। अन्य देशों के वरिष्ठ राजनयिकों के अलावा करीब 60 राजदूतों ने इसमें हिस्सा लिया।' जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने कार्यक्रम के बाद कहा, 'मैं थोड़ा थका हुआ लेकिन खुश महसूस कर रहा हूं।' वह सफेद कुर्ता-पायजामा में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वेनेजुएला के दूत कोरोमोट गोडोय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उत्साहित थे।

भारत पर अतिरिक्त कार्रवाई की तैयारी में अमेरिका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

- व्यापार युद्ध हुआ गंभीर, अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधि लाइटहाइजर ने दी चेतावनी
- वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा

भारत और अमेरिका में चल रहा व्यापार युद्ध अब गंभीर होने लगा है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत को आगाह किया है कि वह अनुचित व्यापार गतिविधियों को लेकर उसके खिलाफ कुछ 'अतिरिक्त कार्रवाई' कर सकता है। अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसे अतिरिक्त कार्रवाई जैसा कदम उठाना पड़ सकता है। इस बारे में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि पहले की गई अमेरिकी कार्रवाईयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी नहीं पड़ेगा।

अमेरिकी प्रशासन के व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजर ने यह चेतावनी दी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ पांच जून से तरजीही व्यापार व्यवहार व्यवस्था खत्म करने की घोषणा की थी। भारत अमेरिका के दशकों पुराने तरजीह प्रदान करने की सामान्य प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम का लाभार्थी रहा है।

अमेरिकी संसद के आंकड़ों के अनुसार, इस कार्यक्रम की वजह से भारत ने 2017 में अमेरिका को 5.7 अरब डॉलर की शुल्क मुक्त वस्तुओं का निर्यात किया था। गौरतलब है कि ट्रंप ने कई दफा अमेरिकी उत्पादों पर भारत में अधिक टैक्स लगाने के आरोप लगाए।

अमेरिका द्वारा भारतीय इस्पात और अल्युमिनियम के कुछ खास उत्पादों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले के बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत ने भी 28 अमेरिकी उत्पादों पर कर बढ़ा दिया।

लाइटहाइजर के मुताबिक, 'हमने भारत को लेकर चिंता में काफी समय खर्च कर दिया है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह आगे और बड़ी होगी। यह अमेरिका के किसानों और कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर है। यह कहने के बावजूद हमारी उनके साथ काफी समस्याएं हैं।

हाल के महीनों में हमने यह मुद्दा उनके साथ उठाया है।' उनका यह बयान अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पिओ की भारत यात्रा से पहले आया है। पॉम्पिओ 25 से 27 जून तक भारत की यात्रा पर होंगे। लाइटहाइजर के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने पिछले कुछ माह के दौरान जीएसपी की समीक्षा की है। उसके बाद राष्ट्रपति ने जीएसपी को वापस लेने का फैसला किया है।

सेवा से बाहर किए जाएंगे भ्रष्ट व नाकारा कर्मचारी

पेज 1 का बाकी

को कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जबरन सेवानिवृत्ति की कार्रवाई में मनमानी न हो।

निर्देश में कहा गया है, 'सभी मंत्रालयों व विभागों से आग्रह है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों व बैंकों और स्वायत्त संस्थानों समेत अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले विभागों के कर्मचारियों के कामकाज की 'कायदे कानून और सही भावना' के अनुसार समीक्षा करें।' कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि मंत्रालयों या विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक सरकारी कर्मचारी को जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने जैसी निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन हो और ऐसा निर्णय मनमाना नहीं हो।'

सभी सरकारी संगठनों को को प्रत्येक महीने के 15 तारीख को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसकी शुरूआत 15 जुलाई 2019 से होगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मूल नियम 56 (जे), (आई) और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48 के तहत जारी कार्मिक मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों और केंद्र सरकार के विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों का सेवा रिकार्ड की समीक्षा की जाएगी।

ये नियम सरकार को जनहित में उस सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने की अनुमति देते हैं, जिसकी ईमानदारी संदेहास्पद है और जो काम के मामले में कच्चे हैं।

केंद्र सरकार ने हाल ही में जनहित में सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद विभाग के 15 अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त किया। इस महीने की शुरुआत में भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के 12 अधिकारियों को भी सेवा से बर्खास्त किया गया था।

कार चालक ने चार को कुचला

पेज 1 का बाकी

(23) के रूप में की है। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि गुरुवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि नीला गुंबद के पास कार चालक ने डिवाइडर पर सो रहे लोगों को कुचल दिया है। गरमी की वजह से ये लोग डिवाइडर पर सो रहे थे। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची और सभी घायलों को एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने आरीफ को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल साहिब (23), शेख संजू (48) और नौशाद (23) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग आसपास के इलाकों में काम करते हैं।

मानवाधिकार आयोग ने सीबीआइ से पूछा जांचों का ब्योरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

मानवाधिकार संगठनों से जुड़े दो वकीलों की सीबीआइ के हाथों उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीआइ निदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने चार हफ्ते के भीतर दोनों शिकायतकर्ता वकीलों के खिलाफ दर्ज मामलों की नवीनतम स्थिति का विवरण पेश करने की हिदायत दी है। आयोग ने कहा है कि आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह जैसे वकील देश में मानवाधिकार हनन के मामलों को सक्रियता से उठाते रहे हैं। लिहाजा आयोग इन शिकायतों का संज्ञान ले रहा है।

एक शिकायत 'लायर्स कलेक्टिव' संगठन से जुड़े वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर की तरफ से हुई है, जिसमें सीबीआइ द्वारा 13 जून को अपने खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विदेशी सहायता नियामक कानून और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं में दर्ज एफआइआर का हवाला दिया गया है। संगठन का आरोप है कि सीबीआइ ने उनके मानवाधिकार संबंधी कामकाज से चिढ़ कर उनका उत्पीड़न करने के लिए मामला दर्ज किया है। दूसरी शिकायत सुश्री माजा दारूवाला ने की है जो राष्ट्रमंडल मानवाधिकार संगठन की परामर्शदाता हैं। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने लिखा है कि दारूवाला और उनके पति को कानून की अदालतों में बतौर वकील किए जाने वाले उनके कामकाज से चिढ़कर परेशान किया जा रहा है।

सियाचिन से बंगाल की खाड़ी तक सेना के जवानों का योग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुक्रवार को सेना के जवानों ने देश के कोने-कोने में योग किया। कई दुर्गम और सुदूरवर्ती इलाकों में भी सेना के जवान और अधिकारी योग करते दिखे, जहां वह प्रतिकूल परिस्थितियों में ड्यूटी पर तैनात रहते हैं।

भारतीय सेना के जवानों ने सियाचीन से लेकर बंगाल की खाड़ी तक में योगाभ्यास किया। नौसेना के जवानों ने बंगाल की खाड़ी में आइएनएस रणवीर पर योगासन किया। गुजरात के भुज में सेना की टुकड़ी और उसके परिजनों ने योगाभ्यास किया। जगह-जगह सेना की डॉग यूनिट ने भी योग दिवस पर योगाभ्यास किया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा।

वायुसेना की पश्चिमी एयर कमांड ने अपने योगाभ्यास के जरिए मौसम परिवर्तन को लेकर संदेश दिया। हिमालय की गोद में भी सेना के जवानों और अधिकारियों ने योगाभ्यास किया। पनडुब्बी आइएनएस सिंधुध्वज पर नौसेना के जवान अभ्यास करते देखे गए।

विरोध के बीच तीन तलाक विधेयक पेश

पेज 1 का बाकी

से पीड़ित हैं तो क्या संसद को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? उन्होंने कहा कि 2017 से तीन तलाक के 543 मामले विभिन्न स्रोतों से सामने आए हैं, जिनमें 229 से अधिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आए। इसलिए कानून बनाना जरूरी है।

प्रसाद ने कहा कि हमें लगता था कि चुनाव के बाद विपक्ष इस विधेयक की जरूरत को समझेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले, विपक्ष ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया, जिसके बाद अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि अभी मंत्री केवल विधेयक पेश करने की अनुमति मांग रहे हैं। आपत्तियां उसके बाद दर्ज कराई जा सकती हैं। तीन तलाक से संबंधित विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि हम तीन तलाक के खिलाफ नहीं हैं लेकिन इस विधेयक की विषयवस्तु से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि यह विधेयक किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन तथा एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताते हुए सरकार से सभी समुदायों के लिए समान कानून बनाने की जरूरत बताई। प्रसाद ने इस पर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3 में कहा गया है कि सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोका जा सकता।ओवैसी समेत कुछ सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने से पहले मत-विभाजन की मांग की। इसमें विधेयक के पक्ष में 186 और विरोध में 74 मत मिले। इस बीच. लोकसभा अध्यक्ष ने विधेयक पेश किए जाने के दौरान सदस्यों की आपसी बातचीत को सदन की गरिमा के खिलाफ बताते हुए कहा कि सदन प्रक्रियाओं से चलता है। उन्होंने जब कुछ सदस्यों का नाम लेकर यह बात कही तो कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध जताया। पिछले साल दिसंबर में तीन तलाक विधेयक को लोकसभा ने मंजूरी दी थी। लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी नहीं मिलने पर सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश लेकर आई थी जो अभी प्रभावी है।

बिहार में बच्चों की मौत का मुद्दा उठा संसद में

पेज 1 का बाकी

का जूस पीना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को जांच करानी चाहिए कि मुजफ्फरपुर में एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की मौत को लीची खाने से जोड़ना कहीं भारतीय लीची उत्पादक किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र तो नहीं है।

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के लापरवाही पूर्ण रवैए के कारण बिहार में हालात सुधर नहीं रहे और एईएस की वजह से गरीब बच्चों की मौत हो रही है। चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में रोगियों और डॉक्टरों का अनुपात भी बहुत कम है।

चार आला अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी मांगी सतर्कता आयोग ने

पेज 1 का बाकी

हो चुके हैं। सिंधुश्री खुल्लर 2004-08 तक आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव थीं और उन्हें 2015 में नीति आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया था। अनूप के पुजारी 2006-10 तक संयुक्त सचिव और प्रबोध सक्सेना इसी विभाग में 2008-10 तक निदेशक थे। रवींद्र प्रसाद भी इसी अवधि में संबंधित विभाग में थे।

सीबीआइ ने आइएनएक्स मीडिया एफडीआइ मामले में 15 मई 2017 को प्राथमिकी दायर की थी। एफआइपीबी से विदेशी निवेश पूंजी निवेश की मंजूरी का यह मामला 2007 का है। उस समय पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे।

आइएनएक्स मीडिया मामले में पीटर और इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी हैं। जांच एजंसियों को अब की पड़ताल में पता चला है कि आइएनएक्स मीडिया ने एडवांटेज स्ट्रेटजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को 10 लाख रुपए प्रबंधन सलाह फीस के तौर पर भुगतान किए थे। एडवांटेज स्ट्रेटजिक से अप्रत्यक्ष तौर पर कांति चिदंबरम जुड़े हुए थे।

आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने धन लेने के एवज में आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी नियमों में छूट दिलाने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे कि उसे मॉरीशस से एफडीआइ की मंजूरी मिल सके। नीति आयोग की पूर्व सीईओ समेत कई नौकरशाहों पर कार्रवाई की मंजूरी मांगी गई है।

नई दिल्ली

वैश्विक एअरलाइन कंपनियों ने अपनी उड़ानों के मार्ग बदले

दुबई, 21 जून (एपी)।

ईरान द्वारा अमेरिकी निगरानी सैन्य ड्रोन को मार गिराने के बाद दुनियाभर की प्रमुख एअरलाइन कंपनियों ने शुक्रवार को अपनी उड़ानों के मार्ग बदलने शुरू कर दिए ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास के क्षेत्रों से बचा जा सके। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वाणिज्यिक एअरलाइनरों पर गलती से हमला किया जा सकता है।

ईरान की ओर से दागी गई सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अमेरिकी नौसेना के मानवरहित विमान आरक्यू-4ए ग्लोबल हॉक को मार गिराने के बाद द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने क्षेत्र में 'गलत पहचान या गलत अनुमान की संभावना' की चेतावनी दी। अमेरिका के ड्रोन विमान के पंख बोइंग 737 जेट से बड़े थे और इसकी कीमत दस करोड़ अमेरिकी डालर से अधिक थी।

अमेरिका ने कहा कि पहले उसने ईरान पर सीमित हमले की योजना बनाई थी लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया।

आस्ट्रेलिया की क्वांटस, ब्रिटिश एअरवेज, नीदरलैंड की केएलएम और जर्मनी की लुफ्तांसा ने भी कहा कि वे क्षेत्र से उड़ान से परहेज करेंगी।

वैश्विक एअरलाइंस को दिशानिर्देश मुहैया कराने वाली कंपनी ओपीएसजीआरओयूपी ने चेतावनी देते हुए कहा, 'किसी नागरिक विमान को दक्षिणी ईरान में मार गिराने का खतरा वास्तविक है।' ईरान ने अमेरिकी घोषणा पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। एफएए ने कहा कि उसकी चेतावनी तेहरान फ्लाइट इंफार्मेशन रीजन के क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है।

एफएए ने कहा, 'क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां और राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है जो कि अमेरिकी नागरिक उड़ानों के लिए अनजाना जोखिम उत्पन्न करता है और यह गलत पहचान का खतरा उत्पन्न करता है।' क्वांटस ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी से बचने के लिए वह अपनी लंदन उड़ानों के मार्ग बदलेगी। नीदरलैंड एअरलाइन केएलएम और ब्रिटिश एअरवेज ने भी कहा कि उनकी उड़ानें जलडमरूमध्य से परहेज करेंगी।

लुफ्तांसा ने कहा कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी के साथ ही आसपास के क्षेत्र से परहेज करेगी। हालांकि उसने कहा कि वह तेहरान के लिए अपनी उड़ानें जारी रखेगी। अबु धाबी स्थित ऐतिहाद ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि ''आकस्मिक योजनाएं'' लागू हैं।

ईरान ने कहा है कि ड्रोन ने उसके हवाईक्षेत्र का उल्लंघन किया जबकि अमेरिकी ने मिसाइल दागे जाने को होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर अंतरराष्ट्रीय हवाईक्षेत्र में 'बिना उकसावे का हमला' बताया है।

एच-1बी वीजा की संख्या को सीमित करने की योजना नहीं

वाशिंगटन, 21 जून (भाषा)।

एच-1 बी वीजा को लेकर चल रही अटकलों के बीच अमेरिका सरकार ने कहा कि उसकी डाटा को स्थानीय स्तर पर रखने पर जोर देने वाले देशों के लिए एच -1 बी वीजा की संख्या सीमित करने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि वीजा कार्यक्रम की ट्रंप सरकार की समीक्षा डाटा के मुक्त प्रवाह पर भारत के साथ चल रही बातचीत से पूरी तरह से अलग है।

अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता का यह बयान ऐसे समय आया है जब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने भारत से कहा है कि वह उन देशों के लिए एच-1 बी वीजा की संख्या को 10-15 फीसद पर सीमित करने पर विचार कर रहा है, जहां पर आंकड़ों को स्थानीय स्तर पर संग्रहीत (डाटा स्थानीयकरण) करने की नीति है।

एच -1 बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को खासतौर से तकनीकी विशेषज्ञता वाले पेशवरों को नौकरी पर रखने की अनुमति देता है।

प्रवक्ता ने कहा, ट्रंप सरकार की अमेरिकी खरीदो अमेरिकी को रखो का आदेश एच-1 बी वीजा समेत अमेरिका के कार्य वीजा कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा का आह्वान करता है। प्रवक्ता ने कहा, यह समीक्षा किसी देश विशेष के लिए नहीं है और भारत के साथ आंकड़ों के मुक्त प्रवाह को लेकर चल रही बातचीत से पूरी तरह से अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो साल पहले अमेरिकी खरीदो अमेरिकी को रखो सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। यह अमेरिकी कामगारों के लिए अधिक वेतन और रोजगार सुनिश्चित करता है।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा था कि एच -1 बी वीजा की संख्या को सीमित करने के बारे में अमेरिका से किसी तरह की सूचना नहीं मिली है।

इंडोनेशिया में माचिस के गोदाम में आग लगने से 30 की मौत

जकार्ता, 21 जून (एएफपी)।

इंडोनेशिया में माचिस के एक गोदाम में आग लगने से करीब 30 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने कहा कि आग एक घर में लगी थी जिसका इस्तेमाल गोदाम के तौर पर भी किया जा रहा था।

उत्तरी सुमात्रा की आपदा एजेंसी के प्रमुख रयादिल लुबिस ने कहा, 'हमें आग लगने के कारण का पता नहीं है लेकिन इस पर काबू पा लिया गया है।' उन्होंने बताया कि मरने वालों में कम से कम तीन बच्चे हैं। टीवी पर दिखाई जा रही मौके की तस्वीरों में उत्तरी सुमात्रा के बिजाई शहर में घटनास्थल पर शव एक दूसरे पर पड़े दिख रहे है।

पाकिस्तान में ट्रेन हादसे में तीन की मौत, कई घायल

कराची, 21 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक यात्री ट्रेन के खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि हादसे में जिन्ना एक्सप्रेस के चालक और उसके दो सहायकों की मौत हो गई जबकि घायलों को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे के कारण रेल यातायात कुछ घंटों के लिए बाधित रहा जिसकी वजह से हैदराबाद और कोटरी रेलवे स्टेशन पर यात्री काफी देर तक फंसे रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची से आ रही ट्रेन लाहौर जा रही थी।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी

(भारत सरकार का उपक्रम)

Resolution Recovery & Law कलस्टर (दक्षिण और पूरब) 92/ई1, आर के मार्किट, मुनिरका, नई दिल्ली-110067,

फोन : 26108530, 26108531, ई-मेल: rrl_7670@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	खाते का नाम (कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता)	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू. में)	मॉग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख
1	मैसर्स चीना इंटरनेशनल, जिसका कार्यालय : F27/C,T/F, तिलक नगर, गुरुद्वारा के पास, नई दिल्ली और पर फैक्टरी, WZ-183-ए, जी.एफ, शांडिल्य हाउस, डब्ल्यू जेड - ब्लॉक, शिव मंदिर, ख्याला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली के माध्यम से 1) श्रीमती स्वर्ण कौर पत्नी श्री दलजीत सिंह (पार्टनर) जिसका निवासी एफ-27/सी, टी/एफ, तिलक नगर, गुरुद्वारा के पास, नई दिल्ली, डब्ल्यू जेड-95, कृष्णा पार्क, गली नं. 13, तिलक नगर, नई दिल्ली 2) श्री चरणजीत सिंह बख्शी पुत्र राजेन्द्र सिंह बख्शी (पार्टनर) निवासी : बी-1/6, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली 3) श्री गुलजार सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह (पार्टनर) निवासी : 16/18, गीता कॉलोनी, दिल्ली	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति क्षेत्रफल 101 वर्ग गज, जोकि प्लॉट नं. 18, ब्लॉक नं. 16, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031 में स्थित, चौहद्दी : पूरब में - प्लॉट नं. 16/17, पश्चिम में - रोड, उत्तर में - रोड, दक्षिण में - गली	₹ 1,26,46,362.62 दिनांक 31.05.2019 तक साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि	01-06-2017 18-06-2019
2	1) श्री दलबीर सिंह रावत और श्रीमती सरिता रावत, निवासी : मकान नं. 258, सैक्टर-1, आईएमटी मानेसर, हरियाणा -122050, और : मकान नं. 302, तृतीय तल डब्ल्यू जेड 711-डी, राज नगर-।।, पालम कॉलोनी, गॉव पालम, नई दिल्ली -110045	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 302, तृतीय तल (बैक साईड) (बिना छत के अधिकार के) डब्ल्यू जेड - 711-डी, राज नगर-।।, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045, यह सम्पत्ति श्री दलबीर सिंह रावत और श्रीमती सरिता रावत के नाम पर है। जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, चौहद्दी : पूरब में - अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में - अन्य की सम्पत्ति, उत्तर में - अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण में - 15' चौडी रोड	₹ 12,68,084.73 दिनांक 31-05-2019 तक साथ में आकस्मिक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि	01-01-2019 18-06-2019

दिनांक : 18-06-2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

बैंक ऑफ इंडिया

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा, ''स्टार हाउस'',
तीसरी मंजिल, एच -2, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली - 110001,
फोन: 011-23755606, 23755605

इरादतन चूककर्ताओं के फोटोग्राफ के प्रकाशन के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **बैंक ऑफ इंडिया** ने निम्नलिखित व्यक्तियों (उधारकर्ताओं और/या गारंटरो होने के नाते) को आरबीआई द्वारा एवं साथ ही बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देषों के अनुसार तथा इस संदर्भ में आरबीआई द्वारा और **बैंक ऑफ इंडिया** के बोर्ड द्वारा अनुबद्ध और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् नीचे वर्णित खातों में, **'इरादतन चूककर्ता'** घोषित किया है। हम बड़े पैमाने पर जनता के हित में उधारकर्ता और/या गारंटरों की फोटो के साथ **'इरादतन चूककर्ता'**, खातों के नाम प्रकाशित कर रहें हैं।

क्र. सं.	शाखा का नाम उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) का नाम एवं पता	एनपीए की तारीख और देय	खाते का नाम, पता और खाता संख्या	उधारकर्ता (ओं)/गारंटर (ओं) की फोटो एवं नाम

1.	**कनॉट सर्कस शाखा / नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा**
	श्री चिरंजीव सिंह अहलूवालिया
	सी -2/20, मॉडल टाउन, दिल्ली
	श्री मोहम्मद शाहवर खान
	मकान नंबर 33, काली मस्जिद के पीछे, निजामुद्दीन, नई दिल्ली
	श्री जगदीश मान
	मकान नंबर 94/9, कृष्णगढ़, वसंत कुंज सहारा रेस्तरां के पास, नई दिल्ली
		25.11.2008
		रु. 13,12,666.36
		एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार
			मैसर्स डेल्टा एयरलैंड हाइजीन प्राइवेट लिमिटेड
			सी -2/20, मॉडल टाउन, दिल्ली
			610285110000007
			610220110000005
				श्री चिरंजीव सिंह अहलूवालिया
				  श्री मोहम्मद शाहवर खान
				  श्री जगदीश मान

2.	**नई दिल्ली मिड कॉर्पोरेट शाखा / नई दिल्ली आस्ति वसूली शाखा**
	श्री सुरेश कुमार वर्मा
	एई-4, तीसरी मंजिल, शालीमार बाग, नई दिल्ली
	श्री संजीव वर्मा
	एई-4, तीसरी मंजिल, शालीमार बाग, नई दिल्ली
	श्री राजीव कुमार वर्मा
	एई-4, तीसरी मंजिल, शालीमार बाग, नई दिल्ली
	श्रीमती जमुना देवी
	एई-4, तीसरी मंजिल, शालीमार बाग, नई दिल्ली
	श्रीमती भरपाई देवी
	एई-4, तीसरी मंजिल, शालीमार बाग, नई दिल्ली
		30.06.2006
		रु. 11,72,99,265.22
		एवं एनपीए की तारीख से आगे का अप्रभारित ब्याज और प्रभार
			मैसर्स एस. के. गोल्ड चैन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
			1183, पहली मंजिल, कुचा महाजानी, चांदनी चौक, दिल्ली
			604130110000006
				श्री सुरेश कुमार वर्मा
				  श्री संजीव वर्मा
				  श्री राजीव कुमार वर्मा
				  श्रीमती जमुना देवी
				  श्रीमती भरपाई देवी

दिनांक: 22.06.2019, स्थान: नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

Bank of Baroda बैंक ऑफ़ बड़ौदा

(A Govt. Of India Undertaking) (भारत सरकार का उपक्रम)

ई-नीलामी सूचना

जेडओएसएआरबी, 13वीं तल, बैंक ऑफ़ बड़ौदा भवन, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 011-23448841, मो.- 9584317482, ई-मेल : armdel@bankofbaroda.com

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत बैंक के प्रभारित अचल आस्तियों की बिक्री

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा उधारकर्ताओं और गारंटरों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि अधोवर्णित सम्पत्तियां बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बंधक है, जिसका कब्जा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत ले लिया गया था, और अब इनकी बिक्री लागू ब्याज, प्रभारों एवं लागतों इत्यादि के साथ बैंक की बकाया देय राशियों की वसूली हेतु नीचे वर्णित नियमों के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।

निम्न विवरणित सम्पत्तियों की बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में सन्दर्भित) के नियम 6, 8 एवं 9 के अंतर्गत **"जैसी है जहां है, जो है वहां है तथा कोई वापिसी नहीं आधार"** पर की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर का नाम	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.) / धरोहर राशि / प्रस्ताव में सुधार हेतु राशि	ई-नीलामी की तारीख एवं समय	बकाया राशि / धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तारीख	सम्पत्ति का निरीक्षण करने की तिथि व समय
1	मैसर्स एम के ओवरसीज प्रा. लि. (सीआईएन U25209DL1987 PTC029976) 1. श्री मो. कामिल (निर्देशक सह गारंटर) 2. श्रीमती नासिरा बेगम (निदेशक सह गारंटर) 3. श्री मोहम्मद मोशिन (गारंटर) 4. श्री मोहम्मद ज़ाकी (गारंटर) 5. श्री मोहम्मद साबिर (गारंटर) 6. श्री शकील अहमद (गारंटर)	(1) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्री होल्ड भूमि एवं भवन, गाँव समगौली, तहसील डेरा बस्सी, जिला एस ए एस नगर (पंजाब) में स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स एम के ओवरसीज़ प्रा. लि. (कर्जदार) के नाम पर है। भूमि क्षेत्रफल 541/604 हिस्सा अर्थात 27 बीघा 1 बिस्वा, कुल भूमि क्षेत्रफल 30 बीघा 4 बिस्वा में से, जिसमें खेवत / खतौनी नं. 125/228-229 शामिल है, ओल्ड खसरा नं. 349/2 (4-10), खेवत / खतौनी नं. 126/230-231, ओल्ड खसरा नं. 350/2(2-0) खेवत / खतौनी नं. 198/336, ओल्ड खसरा नं. **351 (4-0), 356 (4-0), 355 (4-0), 354/1 (1-17), 361/1 (2-3), 362 (4-0)** और **363 (3-14)**, कुल **- 9** किटा और कुल भूमि क्षेत्रफल **30 Bighas - 4 Biswas** (ख) भूमि क्षेत्रफल 42 बीघा 11 बिस्वा जिसमें खेवत / खतौनी नं. **178/315**, खसरा नं. **338 (4-0), 339 (5-6), 340 (5-6), 341(6-13), 342(4-0), 343 (4-0), 344 (4-0), 345(4-0) & 346(4-0)**, कुल किटा **9** और क्षेत्रफल **41** बीघा **5** बिस्वा और खेवत / खतौनी नं. **179/316**, खसरा नं. **337 (5-6)** अर्थात किटा 1 और क्षेत्रफल **5** बीघा **6** बिस्वा, कुल क्षेत्रफल **42** बीघा **11** बिस्वा (ग) भूमि क्षेत्रफल 29 बीघा 18 बिस्वा जिसमें खेवत / खतौनी नं. **35/78**, खसरा नं. **2655/377 (2-8), 380/2 (3-0) & 387/2 (3-0), Total Area 8** बीघा **- 8** बिस्वा और खेवत / खतौनी नं. **36/79**, खसरा नं. **366/2 (2-4), 367(3-14), 370/1 (3-0), 2654/377/2 (0-12), 378(4-0), 379(4-0) & 388(4-0)**, कुल **7** किटा और क्षेत्रफल **21** बीघा **- 10** बिस्वा कुल क्षेत्रफल **29** बीघा **- 18** बिस्वा और (घ) भूमि क्षेत्रफल 112 बीघा 2 बिस्वा जिसमें खेवत / खतौनी नं. **37/80**, खसरा नं. **37/80**, ओल्ड खसरा नं. **366/1 (1-10), 370/2(1-0), 371(4-0), 376(4-0), 2654/377(1-0), 380/1(1-0), 2657/381(3-3) & 387/1(1-0)**, कुल किटा**-8** और क्षेत्रफल **16** बीघा **- 13** बिस्वा, खेवत / खतौनी नं. **179/316**, खसरा नं. **337 (5-6)**, कुल किटा**-1** और क्षेत्रफल **5** बीघा **- 6** बिस्वा और खेवत / खतौनी नं. **125/228-229**, ओल्ड खसरा नं. **347(5-10)**, खेवत / खतौनी नं. **126/230-231**, ओल्ड खसरा नं. **348 (4-0), 349/1(0-10), 350/1(2-0), 357(4-0), 358(2-10), 359(4-0), 360(4-0), 361/2(1-17) & 354/2(1-17), Total Kite 10 & Area 30** बीघा **- 4** बिस्वा और खेवत / खतौनी नं. **57/116** ओल्ड खसरा नं. **856(3-1)**, खेवत / खतौनी नं. **117/214**, ओल्ड खसरा नं. **858 (2-1)**, खेवत / खतौनी नं. **282/452**, ओल्ड खसरा नं. **857/1 (2-14)** और खेवत / खतौनी नं. **51/109**, ओल्ड खसरा नं. **855(7-3), 857(2-1), 364 (3-14), 365(3-14), 372(4-0), 373(4-0), 374(4-0), 375(4-0), 2656/381(0-17), 382(4-0), 383(4-0), 384(4-0), 385(4-0) & 386(4-0)**, कुल किटा **17** और क्षेत्रफल **61** बीघा **- 5** बिस्वा, कुल क्षेत्रफल **112** बीघा **- 2** बिस्वा ग्राम समगौली (लिंक रोड पर 7 कि.मी. गॉव समगौली, डेराबस्सी, सास नगर, पंजाब में स्थित एक एकीकृत मीट प्लांट जिसका क्षेत्रफल 45.37 एकड़, जो एक बड़े आकार के प्लॉट का हिस्सा है, यह सम्पत्ति मैसर्स एमके ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। जिसमें प्लांट एवं मशीनरी रखी है। चौहद्दी : पूरब में - अन्य की भूमि, पश्चिम में - अन्य की भूमि, उत्तर में - रोड, दक्षिण में - 14 फीट चौडी कच्ची रोड	₹ 45,00,00,000/- ₹ 4,50,00,000/- ₹ 5.00 लाख	29-07-2019 को अपरांह 01.00 बजे से अपरांह 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 25-07-2019	रु. 239.40 करोड़ दिनांक 30-09-2018 तक प्लस (दिनांक 01.07.2016 से) अनपेक्षित ब्याज संविदात्मक दर पर ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी 08.10.2018	22-07-2019
		(2) लीज़ होल्ड फैक्ट्री भूमि एवं भवन जोकि बी-63, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, साईट-4, साहिबाबाद, गाजियाबाद में स्थित, जिसका कुल प्लॉट क्षेत्रफल 4031.77 वर्ग मी., जिसमें प्लांट एवं मशीनरी रखी है। यह सम्पत्ति मैसर्स एमके ओवरसीज़ प्रा. लि. के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में - प्लॉट नं. बी-64, दक्षिण में - प्लाट नं. बी-62, पूरब में - खाली प्लॉट, पश्चिम में - 60' चौडी रोड	₹ 17,00,00,000/- ₹ 1,70,00,000/- ₹ 5.00 लाख	29-07-2019 को अपरांह 01.00 बजे से अपरांह 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 25-07-2019		22-07-2019
2	माँ भगवती एजुकेशन सोसायटी 1. श्री राकेश कुमार सिंघल 2. हंस राज सिंघल 3. मोहन कुमार सिंघल 4. रोहन सिंघल 5. हिमांशु सिंघल 6. घनश्याम दास 7. एम एल अग्रवाल 8. श्रीमती मीना सिंघल	फ्री होल्ड भूमि, खसरा नं. 406 का हिस्सा, एमई, **406KH,403,404,655 ME,656ME, 394** जोकि गाँव- मसूरी, एन एच-24, गाजियाबाद मे स्थित, क्षेत्रफल 4.1965 हैक्ट. साथ में भवन एवं संरचनाएं/उपकरण और फिक्चर्स एवं फिटिंग, यह सम्पत्ति **माँ भगवती एजुकेशन सोसायटी के नाम पर है।**	₹ 27,00,00,000/- ₹ 2,70,00,000/- ₹ 5.00 लाख	29-07-2019 को अपरांह 01.00 बजे से अपरांह 02.00 बजे तक धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख : 25-07-2019	रु. 30,86,04,552 दिनांक 15-10-2014 तक प्लस ब्याज संविदात्मक दर पर ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि 15.10.2014	22-07-2019

धरोहर राशि व दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार **नोटः आरक्षित मूल्य से कम या उसके बराबर की बोली स्वीकार्य नहीं होगी।**

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

यह बिक्री निम्न नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

1. नीलामी-सह-बिक्री का आयोजन https://bob.auctiontiger.net के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी पद्धति द्वारा होगी।
2. यहां ऊपर अनुसूची में प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पर्याप्त विवरणों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, कमी अथवा गलत विवरणों के लिए प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://bob.auctiontiger.net देखें तथा उपरोक्त वर्णित संबंधित सम्पत्तियों के लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।
4. प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री आरक्षित मूल्य से नीचे या उसके बराबर की राशि में नहीं की जाएगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से ऊपर एक इन्क्रीमेन्ट पर शुरू होगी तथा बोलीदाता यहां ऊपर वर्णित न्यूनतम् इन्क्रीमेन्टल राशि से अपने प्रस्ताव में सुधार कर आपस में बोली करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
5. 10% धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान विनिर्दिष्ट खाता जिसका विवरण अधोलिखित है, प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा- खाता का नाम- प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एआरएम शाखा, नई दिल्ली, खाता नं. 00950200000743, आईएफएससी कोडः BARB '0' CONNAU (जहां '0' शून्य है।)
6. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाता पोर्टल में उपलब्ध कॉलम/फिल्ड्स के अनुसार आधिकारिक पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष अंकितानुसार निम्न दस्तावेजों को अपलोड करें:
क) ईएमडी जमा करने का प्रमाण
ख) पूर्ण रूप से भरें प्रस्ताव फार्म
ग) इच्छुक बोलीदाता के फोटोग्राफ तथा आवासीय पते तथा पैन कार्ड से शामिल पहचान का प्रमाण **की स्वः प्रमाणित प्रति।** इन दस्तावेजों का ऑरिजिनल संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
घ) बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लागिन आईडी तथा पासवर्ड जारी करने के लिए अनुरोध
7. **इच्छुक बोलीदाता पोर्टल https://bob.auctiontiger.net पर लॉगईन आईडी तथा पासवर्ड बना सकते है। यदि लॉगईन आईडी, पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ईबोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि के लिए इच्छुक बोलीदाता को सहयोग की आवश्यकता हो तो वे** मैसर्स ई-प्रक्योरमेन्ट टैक्नोलॉजीस लि, श्री विजय सेठी, मो. नं. **+91-9619002431 / 9619120214**, ईमेल : **vijay.shetty@auctiontiger.net**, श्री तिलक मराठा, मो. नं. **6351896832 / 07961200546**, ईमेल : **tilak@auctiontiger.net**, फोन नं. **079-40230816/ 817/ 818/ 819/ 820**, ईमेल : **support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें। ऑनलाईन अपलोडिंग के लिए वेबपोर्टल https://bob.auctiontiger.net तथा सम्पत्ति से सम्बधित किसी भी पूछताछ के लिए आप प्राधिकृत अधिकारी श्री वाई.पी. चावला, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेडओएसएआरबी, टेली नं. 011-23448841, मो. नं. 9584317482, ईमेल: armdel@bankofbaroda.com से किसी भी कार्य दिवस को कार्यविधि के दौरान सम्पर्क कर सकते है।**
8. केवल ऐसे बोलीदाताओं को ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध यूजर आईडी तथा पास्वर्ड एवं एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा। प्राधिकृत अधिकारी को किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः, प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताये बिना नीलामी प्रक्रिया की पूर्णता से पूर्व किसी भी समय नीलामी को निलंबित या रद्द या स्थगित या डिस्कंटीन्यू करने अथवा नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम होगा।
9. यदि कोई बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन का समय अगले 5 मिनट के लिए आगे बढ़ जाएगा।
10. यदि बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर अन्य कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो उच्चतम राशि कोट करने वाले बोलीदाता (आरक्षित मूल्य से कम अथवा बराबर नहीं) को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को तत्काल अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस तक) उनके पक्ष में बिक्री की घोषणा होने पर 25% क्रय मूल्य का भुगतान करना होगा, अन्यथा ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
11. केवल 25% बिक्री का भुगतान कर देने मात्र से ही सफल बोलीदाता अपने पक्ष में बिक्री की पुष्टि करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यह बिक्री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों तथा इस आशय के लिए प्रतिभूत क्रेडीटर की पुष्टि के अधीन होगी।
12. यहां ऊपर क्रम सं. 10 के अनुसार राशि के भुगतान के बाद सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के पास शेष बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा। यदि वे उक्त राशि के भुगतान में विफल होते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी सम्पत्ति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुसार उन्हें उपलब्ध एक या अधिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
13. यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा ऋणधारकों अथवा गारंटरों की ओर से बैंक द्वारा वहन किए गए खर्चे के साथ बैंक की बकाया का बिक्री के लिए निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
14. सभी सांविधिक देयताओं/ एटेन्डेन्ट चार्जेज/ पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी बकाये का वहन सिर्फ क्रेता को ही करना होगा।
15. बिक्री प्रमाणपत्र उस नाम से जारी किया जाएगा जिसमें बोली जमा की गई हो।
16. बैंक ने उसे ज्ञात अधिभारों को प्रकट कर दिया है। प्राधिकृत अधिकारी अथवा बैंक ई-नीलामीकृत सम्पत्तियों के संदर्भ में किसी चार्ज, लियन अथवा सरकार या किसी अन्य के किसी बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सांविधिक देयताओं, सम्पत्ति कर के बकाये, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के अधिभारों के संदर्भ में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें।
17. बोलीदाता उपयुक्त इंटरनेट कनैक्टिविटी, पावर बैक अप आदि की व्यवस्था कर लें। इंटरनेट व्यवधान, पावर फैल्योर अथवा तकनीकी कारणों अथवा ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारण/ आकस्मिकताओं के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
18. यदि उपयुक्त हुआ तो बैंक किसी भी एक या अधिक संपत्तियों को बोली लगा सकता है।
19 ई-नीलामी से सम्बंधित जानकारी ई-नीलामी टैब **(http://www.bankofbaroda.com/e-auction.htm)** के तहत बैंक की वेब साइट के होम पेज पर उपलब्ध है।
20. किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी नोटिस अंतिम माना जायेगा।

बैंक, यदि उपयुक्त समझे, किसी एक या अधिक संपत्तियों के लिए बोली कर सकता है। बोलीदाता स्वयं के हित में अंतिम मिनट तथा सैकंड्स की बोली से बचें। न ही बैंक अथवा सेवा प्रदाता किसी व्यवधान/ चूक (पावर फैल्यौर, इंटरनेट फैल्योर आदि) के लिए वेंडर की ओर से उत्तरदायी नहीं होंगे। इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिए बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि सभी आवश्यक व्यवस्था/ विकल्पों जैसे पावर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लें ताकि वे इस प्रकार की आकस्मिकताओं से बच सकें तथा सफलतापूर्वक नीलामी में भाग ले सकें। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज (सीसीए) द्वारा निर्गत नए इंटरपैरेबिलिटी गाइडलाइन्स के अनुसार ई-प्रापण अनुप्रयोग के लिए सिक्योर्ड सॉकिट लेयर (एसएसएल) प्रमाण पत्र एन नए एल्गोरिथ्म, SHA 2 पर निर्मित किया जाता है। साथ ही, इन प्लेटफार्म के लिए लागू होने वाले डिजीटल प्रमाण पत्र SHA 2 पर एल्गोरिथ्म अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके संबंधित पीसी/ लैपटॉप में विंडोज XP (SP 3)/ विंडोज विस्टा/ विंडोज 7 संस्थापित हो। विंडोज XP सर्विस पैक-3 के मामले में यदि आपको कोई ईस्यु मिले, आप एसएसएल पैच संस्थापित कर सकते हैं जो हमारी ई-नीलामी पोर्टल के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है।

ऋणधारक/ गारंटर/ मार्टगेजर के लिए 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना

एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणधारकों/ गारंटरों को सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व संपूर्ण अद्यतन ब्याज सहित उपरोक्त राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/ बिक्री कर दी जाएगी तथा शेष बकाया, यदि कोई हो, ऋणधारकों/ गारंटरों से ब्याज तथा लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

दिनांक : 22.06.2019, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

शेयर बाजारों में गिरावट, सूचकांक 407 अंक टूटा

मुंबई, 21 जून (भाषा)।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से सूचकांक ने लगातार तीन दिनों की तेजी खो दी और शुक्रवार को 407 अंक लुढ़क गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सूचकांक 407.14 अंक यानी 1.03 फीसद गिरकर 39,194.49 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान यह एक समय 39,121.30 अंक के निचले स्तर तक आया था।

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 107.65 अंक यानी 0.91 फीसद गिरकर 11,724.10 अंक पर बंद हुआ। सप्ताहिक आधार पर सूचकांक 257.58 अंक यानी 0.65 फीसद तथा निफ्टी 99.2 अंक यानी 0.83 फीसद नीचे आया।

इस तरह की खबरें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की मंजूरी दे दी है, से वैश्विक बाजारों में गिरावट का रुख रहा। हालांकि, बाद में ट्रंप इस मंजूरी को वापस ले लिया। दो तेल टैंकरों पर हमले और अमेरिका के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। कारोबारियों ने कहा कि कमजोर रुपए और व्यापार को लेकर जारी चिताओं ने भी घरेलू बाजार पर दबाव डाला। सूचकांक की कंपनियों में येस बैंक का शेयर सर्वाधिक 4.36 फीसद गिरा।

इसके अलावा मारुति सुजुकी, एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस और भारती एअरटेल के शेयर 3.39 फीसद तक नीचे आए। भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, वेदांता, एनटीपीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.28 फीसद का लाभ रहा।

सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा- भारतीय बाजारों पर वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों का दबाव रहा। वैश्विक मोर्चे पर ईरान को लेकर तनाव बढ़ने तथा कच्चे तेल के दाम चढ़ने के साथ ही अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के तेज होने से दबाव रहा। घरेलू मोर्चे पर दक्षिण-पश्चिमी मानसून के देर होने से धारणा प्रभावित हुई। इसके साथ ही कच्चे तेल के पिछले सप्ताह चार फीसद चढ़ जाने से राजकोषीय स्थिति के प्रभावित होने का जोखिम बढ़ गया।

गोयल ने कानून की भावना का उल्लंघन करने पर उद्योगों को चेताया

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को उद्योगों को कानूनों की भावना का उल्लंघन से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार देश के धन को घूमा- फिराकर विदेशी निवेश के रूप में वापस लाने जैसी चालों को बहुत गंभीरता से लेगी।

उन्होंने यहां उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से कहा-मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जिसने कोई गलती नहीं की है, उसे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी में शामिल है, मैं आपको इसके लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सही मायने में इसी तरीके से हम देश की संस्कृति और मानसिकता को बदल सकते हैं। मंत्री ने उद्योग मंडल सीआइआइ (भारतीय उद्योग परिसंघ) के सदस्यों के साथ बातचीत में वकीलों और 'चार बड़े' वैश्विक कर वित्तीय परामर्श कंपनियों को निवेशकों को भ्रमित नहीं करने की सलाह दी। पीडब्ल्यूसी, डेलायट, केपीएमजी और ई एंड वाई की गिनती इन चार बड़ी कर परामर्श कंपनियों में होती है।

बहु-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा का उदाहरण देते हुए गोयल ने कहा कि कंपनियों को कानून का सम्मान करना चाहिए और खामियां खोजकर गड़बड़ी में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा- बहु-ब्रांड खुदरा में हमारी नीति है। इसके तहत केवल 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है। हम इस पर कायम हैं और मजबूती से टिके हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि वे उसका अनुकरण करें, सम्मान करें। जिस क्षण आप वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार अपना कारोबार करते हैं, कोई समस्या नहीं होगी।

किसान सहमति करार के जरिए कर सकेंगे सहकारी कृषि: सरकार

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में शुक्रवार को बताया कि उसने सहकारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाकर सभी राज्यों को उनकी जरूरतों के अनुरूप लागू करने के लिए भेज दिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उच्च सदन में एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि किसान समूह बनाकर सहकारी कृषि कर सकते हैं।

रूपाला ने बताया- इसके लिए मौजूदा व्यवस्था में समूह बनाकर खेती करने वाले किसानों को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मदद दी जाती है। उन्होंने कहा कि बाकायदा सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर सामूहिक रूप से सहकारी खेती करने के लिए केंद्रीय कानून बनाकर राज्यों को भेज दिया गया है जिसे राज्य सरकारें स्थानीय जरूरतों के मुताबिक लागू कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि कम जोत की जमीन को उत्पादक बनाने के लिये समेकित खेती के मॉडल विकसित किये गये हैं। किसान विकास केंद्रों में इन्हें देखा जा सकता है।

मंत्री ने खेती की जमीन में आ रही कमी के सवाल पर बताया कि नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक खेती की जमीन में वृद्धि हुई है। विकास कार्यों के नाम पर खेती की जमीन के अधिग्रहण के कारण कृषियोग्य जमीन में कमी के संकट को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से जुड़े एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में रूपाला ने कहा- केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को परामर्श दिया है कि अधिग्रहण के लिए उपजाऊ जमीन के बजाय बंजर जमीन को प्राथमिकता दी जाए।

एक फीसद बढ़ा हरित क्षेत्र: मंत्री

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक साल के भीतर देश में हरित क्षेत्र का दायरा 'ग्रीन कवर' एक फीसद बढ़ गया है। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र के प्रथम प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में जावडेकर ने यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा- मैं शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ करना चाहता हूं। पिछले एक साल में देश में ग्रीन कवर एक फीसद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 देशों में ग्रीन कवर बढ़ा है और उनमें भारत एक है। दरअसल, एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में ग्रीन कवर अब बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39 फीसद हो गया है।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय
''ए'' विंग, तृतीय तल, पुष्प भवन, नई दिल्ली-62

निविदा

1. टूटे फूटे पुराने अप्रयोज्य/ ऑफिस स्टील एवं लकड़ी के फर्नीचर, कुर्सियां, मेजें, अलमारियां, उपकरण- एयर कंडीशनलर्स, छत के पंखे, पैडस्टल पंखे, बैट्री, यू.पी.एस. कम्प्युटर, प्रिंटर तथा विभिन्न तरह के कार्यालय अप्रयोज्य वस्तुएं जहां जैसा है, के आधार पर बिक्री कर देय के लिए मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. सभी वस्तुओं की सूची तथा नियम एवं शर्तों का मुक्त ब्यौरा किसी भी कार्य दिवस में 2.00 बजे से 5.0 बजे अपराह्न तक श्री कृष्ण पालसिंह, कर सहायक/ रखवाल कमरा नं. 323, ए विंग, तृतीयतल, पुष्पा भवन से प्राप्त किया जा सकता है।
3. मोहरबंद निविदाएं विधिवत भरी हुई हो व रु. 5000/- जमा राशि जो कि ड्राफ्ट डी.डी.ओ. आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के नाम देय हो और दिनांक 1.07.2019 को 2.00 बजे अपराहन तक आंकड़ा प्रबंधन निदेशालय, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, कमरा नं. 323, ए विंग, तृतीय तल, पुष्पा भवन, मदनगीर रोड, नई दिल्ली पहुंच जानी चाहिए। मोहरबंद लिफाफे के ऊपर मोटे शब्दों में पुराने सामान के लिये निविदा लिखा होना चाहिए। यह निविदाएं उसी दिन 3 बजे अपराहन को नियमानुसार सम्बद्ध पार्टी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने कमरा नं. 322 खोली जाएंगी।

यह निदेशालय अधिकार रखता है कि वह बिना कोई कारण बताए व नोटिस दिए टेंडर रद्द कर सकता है।

हस्ता./-
(राजीव प्रियदर्शी)
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
कार्यालय कार्यपालक अभियंता (विशेष, परियोजना) सिविल
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, विद्युत भवन, नई दिल्ली-110011, फोन: 23013017

ई-अधिप्राप्ति निविदा सूचना

कार्य का नाम : मंदिर मार्ग, नई दिल्ली में जे.पी.एन. लाइब्रेरी का निर्माण।
अनुमानित लागत : ₹7,81,19,434/-
ई-अधिप्राप्ति समाधान के माध्यम से निविदा जारी होने की तिथि : 18.06.2019
निविदा-पूर्व बैठक की तिथि : 26.06.2019 (अप. 3.00 बजे कार्यालय सीई(सी-II) 1601, 16वां तल, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली-110001)
ई-अधिप्राप्ति समाधान के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय : 09.07.2019 को अप. 4.00 बजे
विस्तृत विवरण www.ndmc.gov.in एवं https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें जा सकते हैं।
टिप्पणी: एनडीएमसी में ई-निविदा में भाग लेने के लिए एनआईसीसीए के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। निविदा केवल ई-अधिप्राप्ति प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाएगी और ई-अधिप्राप्ति की शर्तें निविदा जारी और प्राप्ति के लिए एनआईटी के सभी सामान्य शर्तों का स्थान लेती हैं।

हस्ता./-
निविदा आईडी नं. 2019_NDMC_174437_1 कार्यपालक अभियंता (विशेष परियोजना)
To be The Global Benchmark for a Capital City

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक
www.bankofbaroda.in

निविदा सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400051 "बकायों के संग्रहण के लिए एजेंसी का चयन" के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है.

आरएफपी से संबंधित विवरण बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर 'निविदा खंड' में उपलब्ध है.

आरएफपी दस्तावेज में संशोधन सहित परिशिष्ट/शुद्धिपत्र यदि कोई होगा,तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर अधिसूचित किया जाएगा. बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे प्रस्ताव को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें.

उपर्युक्त आरएफपी को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 16.07.2019, सायं 03 बजे तक है.

स्थान: मुंबई
दिनांक: 21 जून 2019
प्रमुख-संग्रहण,
कृषि, रिटेल एवं अन्य
31/19-20

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
Container Corporation of India Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Undertaking)
आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020
कॉनकॉर CONCOR एक नवरत्न कंपनी

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा)

कॉनकॉर द्वारा "एमएमएलपी/कातुवास (राजस्थान) में संस्थापित सेंट्रेलाइज्ड एयर कंडीशनिंग प्लांट, वीआरवी यूनिटों, टॉवर, विन्डो एवं स्पिलिट एयर कंडीशनिंग यूनिटों के प्रचालन एवं रखरखाव के लिए व्यापक एएमसी" हेतु एकल निविदा प्रणाली में ऑनलाइन खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज ऑनलाइन रु. 1000/- का भुगतान करने के बाद केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

निविदा सं.	कॉन/एनआर/टीईसीएच/एएमसी/एयर-कंडीशनिंगसिस्टम/एमएमएलपी/कातुवास/2019
अनुमानित लागत	रु. 49,36,954/- (जीएसटी सहित)
अनुबंध की अवधि	36 माह (24 माह + 12 माह) खण्ड-2 के उपवाक्य-5 के अनुसार
धरोहर जमा राशि	रु. 98,739/- ई-भुगतान के माध्यम से
दस्तावेज की कीमत	रु. 1,000/- सभी कर एवं प्रभारों सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुल्क (अ-प्रतिदेय)	रु. 2913/- सभी कर एवं प्रभारों (अ-प्रतिदेय) सहित ई-भुगतान के माध्यम से
निविदा बिक्री की तिथि एवं समय (ऑनलाइन)	22.06.2019; 15.30 बजे से 07.07.2019; 13.30 बजे तक
जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	08.07.2019 को 17:00 बजे तक
खुलने की तिथि एवं समय	09.07.2019 को 15:30 बजे

योग्यता मापदंडों और अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in या www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदादाताओं से अनुरोध है कि वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। कॉनकॉर बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

कार्यकारी निदेशक/उत्तरी क्षेत्र

DFM FOODS LTD.
CIN: L15311DL1993PLC052624
Regd. Office: 8377, Roshanara Road, Delhi-110007
Tel.: 011-23826445, Fax: 011-23822409
Email: dfm@dfmgroup.in, Website: www.dfmfoods.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following Share Certificate has/have been reported as lost/ stolen/misplaced/not traceable and the registered holder thereof/claimant thereof has/have applied to the Company for issue of Duplicate Share Certificate:

Sl. No.	Folio No.	Name of Shareholder	Certificate No.	Distinctive No. From	Distinctive No. To	No. of Share
1.	10145	Seema Mangal, Noida	27085	7318777	7318876	100
			27086	7318877	7318976	100
			27087	7318977	7319076	100

- Sub-Division of Equity Shares from the face value of ₹10/- per share to ₹2/- per share. Now, 300 equity shares have been converted into 1500 equity shares.

The aforesaid shares have been transferred to IEPF Authority. Any person(s) who has/have any claim/objection in respect of these shares should write to the Company Secretary at the address mentioned above within 30 days from the date of publication of this notice failing which the Company will proceed to confirm her entitlement for the aforesaid shares.

Place: Delhi
Dated: 21st June, 2019
For DFM Foods Ltd.
Sd/-
Company Secretary

इंडियन बैंक Indian Bank
आपका अपना बैंक Your Own Bank
अंचल कार्यालय: नोएडा Zonal Office, Noida
शाखा:- इण्ड. रिटेल प्रोसेसिंग सैन्टर, गाजियाबाद, डी-37/2, सैक्टर-50, नोएडा- 201301, फोन: 0120 - 2502364

परिशिष्ट-IV (नियम-8(1) अचल संपत्ति का कब्जा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत इंडियन बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 10.12.2018 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता मै0 श्री लक्ष्मी इंजीनियर्स, (सोल प्रो0. श्री अशोक पाल पुत्र श्री रौनक पाल) प्लॉट नं0. 10, गली नं0. 7, पंजाब एक्सपैलर कम्पाउण्ड, मेरठ रोड, गाजियाबाद - 201001, यू0पी0 (उधारकर्ता) जो हमारी सैक्टर-63, शाखा नोएडा और श्रीमति ललिता पाल पत्नि श्री अशोक पाल (गारण्टर और मोरटगर) पता सी-141, सैक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद - 201002 यू0पी0 में मांग नोटिस में वर्णित मियादी ऋण की राशि रू. 1839023/- (केवल अठारह लाख उन्तालिस हजार तेईस) को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर दिनांक 10.12.2018 से ब्याज सहित अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधेहस्ताक्षरी कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.06.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्ति के मालिक (ऋणी) तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन इंडियन बैंक को देय धनराशि रू. 1845038/- (केवल अठारह लाख पैंतालिस हजार अड़तिस) दिनांक 12.06.2019 तक एवं उस पर ब्याज तथा अन्य खर्चों आदि के अधीन होगा।

हम सरफेसी अधिनियम की धारा-13 (8) के प्रवधानों एवं नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। जोकि प्रतिभूतियों पर आपके प्रतिदान के अधिकारों को बताता है।

अचल संपत्तियों का विवरण

आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं0. सी-141, सैक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद (यू0पी0) श्रीमति ललिता देवी पत्नि श्री अशोक पाल, प्लॉट जिसकी माप 38.018 स्क्वेयर मीटर की सीमा निम्नानुसार है:- चौहद्दी: उत्तर: मकान नं0. 142, दक्षिण: मकान नं0. 140, पूर्व: मकान नं0. 150, पश्चिम: 25 फिट चौड़ा रोड़।

दिनांक: 17.06.2019
स्थान: नोएडा।
प्राधिकृत अधिकारी
(इंडियन बैंक)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

(सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13 (2) के तहत, सुरक्षा हित शासन 2002 नियम 3 के साथ)

आप सभी को इस वैकल्पिक सेवा के अलावा पूर्व में जारी सूचनाओं के सुपर्द हुए बिना वापस आने के बाद, मैं जमानती लेनदार बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में यह सूचना जारी करता हूं। अतः आप सभी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है और सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के धारा 13(2) के नियम 3 के अन्तर्गत सार्वजनिक मांग सूचना जारी की जाती है। ताकि आप सभी अपने पक्ष में निम्न वर्णित बकाया का भुगतान इस प्रकाशन के उपरांत 60 दिनों के अंदर करें। कृपया यह नोट करें कि यदि आप मांगी गई सम्पूर्ण राशि का 60 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करते है तो बैंक उक्त अधिनियम के धारा 13(4) के तहत ऋण खाते में बंधक सम्पत्ति/सम्पत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा और उसके बाद उक्त अधिनियम के तहत बकाया सहित बकाया देनदारी की वसूली के लिए उसे बेचेगा। बकाया देनदारी की वसूली के लिए बैंक के पास उपलब्ध सुविधाओं से पक्षपात किए बिना आप सभी के विरूद्ध निम्न सूचनाएं जारी की जाती है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

शाखा एवं ऋणी/बंधककर्ता/गारन्टर के नाम	प्रतिभूति/सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
शाखा- आफिस पीपीसीएल राजपुर रोड देहरादून ऋणी: मैसर्स सत्या कम्प्युटर श्री अनील सिंह पुंडीर पुत्र श्री रणवीर सिंह पुंडीर एलजीएफ, 28, राज प्लाजा राजपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड प्रोपराइटर: श्री अनील सिंह पुंडीर पुत्र श्री रणवीर सिंह पुंडीर एलजीएफ, 28, राज प्लाजा राजपुर रोड देहरादून उत्तराखण्ड गारन्टर: सुधा पुंडीर पत्नी श्री अनील सिंह पुंडीर 202 दुग्गल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स खानपुर साकेत नई दिल्ली	सम्पत्ति नं0 1. वाणिज्यिक नगर निगम दुकान का नं0 414 (पुराना नं0 75 ए), मे बेसमेंट के राज प्लाजा कॉम्प्लेक्स में स्थित, राजपुर रोड, क्षेत्रफल की माप 22.30 वर्ग मीटर। सीमायें:- उत्तर: बन्द दीवार साइड माप 10 फीट, दक्षिण: सामान्य मार्ग, साइड माप 10 फीट, पूर्व: क्रेता की दुकान, साइड माप 24 फीट, पश्चिम: सम्पत्ति का विक्रेता, साइड माप 24 फीट सम्पत्ति नं0 2. सम्पत्ति के सभी भाग व गोदाम नं0 28-ए, निर्मित नगर निगम नं0 75-ए, का भाग राजपुर रोड देहरादून से ज्ञात राज प्लाजा 240 वर्ग फीट या 22.30 सम्पूर्ण तरीके से कवर किया गया है कॉम्प्लेक्स, बेसमेन्ट में स्थित कुल क्षेत्रफल सीमायें:- उत्तर: बन्द दीवार, साइड माप 10 फीट, दक्षिण: सामान्य मार्ग, साइड माप 10 फीट, पूर्व: अन्य की सम्पत्ति, साइड माप 24 फीट, पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति, साइड माप 24 फीट, मैसर्स सत्या कम्प्यूटर का कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं बाह्य उपकरणों का स्टॉक जो उसके परिसर अथवा पारगमन मे है और उसके सभी बही ऋण	आपको दिनांक 15.06.2019 को जारी सरफेसी 13(2) का नोटिस जिसमें रू0 53,52,119/- + ब्याज + अन्य प्रभार भुगतान करने को कहा गया था जो पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था वह अप्राप्त वापस आ गया एनपीए की तिथि 06.04.2019	06.04.2019 को रू0 53,52,119/- + प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2019 से

दिनांक-21.06.2019 स्थान - देहरादून प्राधिकृत अधिकारी

आन्ध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
एससी-47, सी-ब्लॉक, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II साहिबाबाद-201005 टेली. नं. 0120-2648170

प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन के लिए सरफैसी अधिनियम 2002 के अधिनियम 54 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

मांग सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न ऋणधारकों ने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक की है तथा उक्त सुविधाएं गैर-प्रचालन परिसम्पत्ति बन चुकी हैं। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके अंतिम ज्ञात पते पर ऋणधारकों एवं गारन्टरों को वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना जारी की गई। लेकिन, कुछ मामलों में सूचनाएं अनसर्व्ड वापस लौट आई तथा अन्य मामलों में उसकी अभिस्वीकृत प्राप्त नहीं किया गया। इस प्रकार, ऋणधारक/गारन्टरों को सार्वजनिक तौर पर सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारकों/सह-देनदार/गारन्टरों/पार्टनरों/मार्टगैजर का नाम	चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण	एनपीए की तिथि मांग सूचना तिथि	बकाया राशि
ऋणधारक: नितिन सक्सेना, राकेश कुमार सक्सेना एवं शिवानी सक्सेना, प्लॉट नं. 45, फ्लैट नं. 2, दूसरा तल, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद सह-देनदार: सुशील कुमार भटनागर, ए-224, गली नं. 7, ए-ब्लॉक, महावीर एन्क्लेव, पार्ट-2, दिल्ली	भूमि एवं भवन: श्रीमती शिवानी सक्सेना (सम्पत्ति के स्वामी) के स्वामित्व की प्लॉट नं. 40 ए, खसरा नं. 525/2, दक्षिण पूर्व भाग, ग्रामा छिपयाना बुजुर्ग, परगणा तहसील दादरी, जिला गौतम बुध नगर, उ.प्र. में आवासीय सम्पत्ति: चौहद्दी: पूर्व: खाली प्लॉट, पश्चिम: डा. ओपी मलिक का मकान, उत्तर: कच्चा रास्ता, दक्षिण: अन्य प्लॉट।	18.2.2019 7.3.2019	7.3.2019 को रु. 14,02,278.27

उपरोक्त ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों को सलाह दी जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करें अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जायेगी। ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगैजरों को यह भी सलाह दी जाती है कि संबंधित शाखा से सूचना की प्रति प्राप्त करें।

तिथि: 21.6.2019
स्थान: नई दिल्ली
मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी,
आन्ध्रा बैंक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा : 2781/1, लोथियां रोड, कशमीरी गेट, दिल्ली-110006

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
(1) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री लक्षमण दास अरोड़ा (2) श्रीमती सिम्मी अरोड़ा पत्नी श्री अनिल कुमार (3) श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक सम्पत्ति डी.डी.ए फ्री होल्ड फ्लैट नं. एम-17/सी-2, द्वितीय तल, जनता कैटेगिरी के अंतर्गत, क्षेत्रफल 30 वर्ग मी., पॉकेट एम, दिलशाद गार्डन ले-आउट प्लान के अंतर्गत, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110095 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अनिल कुमार और श्रीमती सिम्मी अरोड़ा के नाम पर है। सेल डी सब रजिस्ट्रार (iv A) शाहदरा, दिल्ली में पंजीकृत, पंजीकरण नं. 103, बुक नं. 1, वाल्यूम नं. 1850, पेज 133 से 140, दिनांकित 09.01.2015, चौहद्दी : उत्तर पूरब में - 16/सी-1, उत्तर - पश्चिम में - गली, दक्षिण पूरब में - रोड साईड, दक्षिण पश्चिम में - प्रवेश	15-03-2019 15-06-2019	रु. 22,12,612.28 दिनांक 28.02.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।

दिनांक 15.06.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
शाखा कार्यालय: एनआईटी-5, फरीदाबाद (नीलम सिनेमा हॉल के पीछे), टेली.: 0129-2415880, ईमेल: bo0167@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारक/कों को सूचना की तिथि/सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के सक्ष नीचे वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का नाम तथा खाता	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना में बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि
मै. आर.एस. स्टोन क्रशिंग क. प्रॉप. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री पदम चंद	मै. आरएस स्टोन क्रशिंग क., प्रॉप. श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री पदम चंद के नाम में उप-रजिस्ट्रार फरीदाबाद में पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक 14555 तिथि 16.01.2014, बही नं. 1, जिल्द नं. 0, पेज नं. 125 के माध्यम से स्टोन क्रशिंग जोन, पाली मोहाबाताड, फरीदाबाद में स्थित प्लॉट नं. 117, माप 4551.11 वर्ग यार्ड्स।	31.3.2018 तक ब्याज सहित 31.3.2018 को शेष बकाया रु. 44306259.00 (रुपये चार करोड़ तैंतालिस लाख छः हजार दो सौ उन्सठ मात्र)	21.04.2018 संलग्न कब्जा सूचना की तिथि 20.6.2019

तिथि: 20.6.2019, स्थान: फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

फॉर्म नं. एनसीएलटी 3ए
विज्ञापन विवरणात्मक याचिका
(राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 के नियम 35 के अनुसार)
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष, प्रधान पीठ दिल्ली
कंपनी आवेदन सं0. सीए (सीएए)-82 (पीबी)/2019
कंपनी याचिका सं0. (सीएए)-88 (पीबी)/2019
[illegible]

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[illegible]
प्रतीकास्ट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
[illegible]
की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के पतेः बी-2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
प्रतीकास्ट इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
तिथिः 21.6.2019 प्रदीक गोयल
स्थानः नई दिल्ली DIN: 08206029
31-जी/एफ, हरगोविन्द एन्क्लेव, शाहदरा, गुरुद्वारा के सामने, ईस्ट दिल्ली-110092

आईएनसी-26
[illegible]
होलटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
[illegible]
पंजीकृत कार्यालय: 501, दि स्काईलार्क सीजीएचएस लि., प्लॉट नं. जीएच-14, सैक्टर-52, गुरूग्राम, हरियाणा-122003
आवेदक के लिए एवं उनकी ओर से होलटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि: 20.06.2019 कर्ण जिआयु
स्थान: ग्रेटर नोएडा निदेशक
डीआईएन: 07900448

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 13th June 2019 को (बंधक आभूषणों की-एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 11th July 2019 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

अर्ली वार्निंग सिग्नल (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली की खरीद के लिए वेंडर के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध

निविदा संदर्भ सं. : 190005 दिनांक : 14.06.2019

निविदा संदर्भ सं. : 190005 दिनांक 14.06.2019 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना के सम्पूर्ण दायरे के अनुपूर्ति के क्रम में, बैंक ने बोली प्रस्ताव के लिए परिशिष्ट जारी किया है। विस्तृत विवरण बैंक के आधिकारिक वेबसाइट "www.unitedbankofindia.com" पर उपलब्ध है।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (भारत सरकार का उपक्रम) आपका बैंक
11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता 700 001
United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700 001
www.unitedbankofindia.com

SCHEDULE II
FORM B
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy (Liquidation Process) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF AUTODECOR PRIVATE LIMITED

1.	Name of Corporate Debtor	Autodecor Private Limited
2.	Date of Incorporation of Corporate Debtor	18-Feb-84
3.	Authority under which Corporate Debtor is Incorporated/Registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate identity number/ limited liability identity number of Corporate Debtor	U74899DL1984PTC017563
5.	Address of the Registered Office and Principal Office identification number (if any) of corporate debtor	Reg Office - C-7, Flat No 226, Naveen Niketan, Green Park Extension, New Delhi- 110016 Corporate Office - Plot No 469, 470, 471 Sector 8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	04-06-2019 (270 days expired on May 11, 2019)
7.	Liquidation commencement date of Corporate Debtor	04-06-2019 (Order dated 4th June 2019 uploaded on NCLT's website on 19th June 2019)
8.	Name, Address, Email Address and Registration Number of the Liquidator	Mr. Sanjeev Ahuja IBBI/IPA/002/IP-N00028/2016-17/10061 Address - B-231, Saraswati Vihar, Pitampura, New Delhi - 110034 Email - ssmr.ahuja@gmail.com
9.	Address and e-mail to be used for correspondence with the Liquidator	Address - Sanjeev Ahuja C/O Security Investments Ltd. 608-609, Skylark Building, 60, Nehru Place, New Delhi-110019 Email- resolution.ensemble@gmail.com
10.	Last date for submission of Claims	19-07-2019 (i.e. 30 days from receipt of order of initiation of Liquidation)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi has ordered the commencement of Liquidation of Autodecor Private Limited vide its order dated 4th June 2019.

The stakeholders of Autodecor Private Limited, are hereby called upon to submit a proof of their claim on or before 19th July 2019 to the Liquidator at the address mentioned against entry No 9.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other stakeholders may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date : 21.06.2019
Place: New Delhi
Sd/-
Sanjeev Ahuja
Liquidator

जिन सैन्य शिविरों पर आतंकी हमले, उनके कमांडरों को सेवानिवृत्त करने का प्रस्ताव

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

जम्मू-कश्मीर के उरी, सुंजवान और नगरोटा सैन्य शिविरों में हुए आतंकी हमलों के मामले में सरकार उनके तत्कालीन कमांडरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। हमलों में सुरक्षा चूक के लिए वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय एवं सेना को भेजा है।

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, सरकार ने भारतीय सेना को अपनी सिफारिश भेजी है। सरकार चाहती है कि ये अधिकारी रिटायर हों। स्वेच्छा से रिटायर होने के बाद वे अधिकारी उन सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे, जो उन्हें मिलने चाहिए। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही सेना को कहा गया कि इन शिविरों के कमांडर अपना पद छोड़ दें।

सेना के प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन यह जरूर कहा कि नगरोटा और सुंजवान में हुए हमलों की जांच में कमांड और नियंत्रण के स्तर पर खामियां सामने आई हैं। नगरोटा में एक आतंकी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर शिविर में घुसपैठ की थी। कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जा चुकी है। फिलहाल, इस मुद्दे पर सेना ने रक्षा मंत्रालय के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय को अपना जवाब भेजा है। भारतीय सेना ऑपरेशनल कारणों से कमांडरों को सेवानिवृत्त करने के लिए उत्सुक नहीं है। एक अधिकारी ने कहा कि आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, क्या दोबारा कार्रवाई शुरू की जा सकती है?

पीएमओ का रक्षा मंत्रालय और सेना को सुझाव, कमांडरों को पद छोड़ने को कहा जाए

अगर कमांडरों ने इस्तीफा दिया तो मिलेगा सेवानिवृत्ति का लाभ

सैन्य शिविरों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए तीन हमलों में कुल 36 सेना के जवान शहीद हो चुके हैं।

साल 2016 में उरी और नगरोटा में और तीसरा पिछले साल सुंजवान कैंप में हमला हुआ था। उरी में 18 सितंबर को आतंकियों ने हमला किया था जिसमें 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद 29 नवंबर 2016 को नगरोटा में हुए आतंकी हमलों में 7 जवान शहीद हुए थे। वहीं, पिछले साल 10 फरवरी 2018 को सुंजवान कैंप में हुए हमले में 11 जवान शहीद हुए थे। भारत ने भी उरी हमले का जवाब दिया था। भारतीय सैनिकों ने सीमा पार कर आतंकी कैंपों पर 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक की थी।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली सड़क के निर्माण पर रोक

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड में राजाजी और कार्बेट बाघ अभयारण्य के बीच के गलियारे से होकर जाने वाली सड़क के निर्माण पर रोक लगाई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वन संरक्षण कानून के 'कई' उल्लंघन हुए हैं। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के अवकाशपीठ ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करके तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

यह आदेश शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त केंद्रीय उच्चशक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क राजाजी और कार्बेट बाघ अभयारण्य के बीच के गलियारे से होकर गुजरती है। रिपोर्ट के अनुसार, सड़क राजाजी बाघ अभयारण्य के 'बफर' क्षेत्र से होकर गुजरती है और इसका निर्माण राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की वैधानिक मंजूरी के बिना तथा वन्यजीव (संरक्षण) कानून 1972 एवं वन (संरक्षण) कानून का उल्लंघन करके हो रहा है।

तेदेपा सांसदों के भाजपा में शामिल होने को राज्यसभा ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

राज्यसभा ने शुक्रवार को उच्च सदन में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के चार सदस्यों के भाजपा में शामिल होने को मंजूरी दे दी है, वहीं पार्टी ने सभापति एम वेंकैया नायडू से उनके चार सांसदों को उच्च सदन की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की है।

उल्लेखनीय है कि तेदेपा के चार राज्यसभा सदस्यों ने बृहस्पतिवार को भाजपा में शामिल होकर अपने दल के भाजपा में विलय की भी नायडू के समक्ष अर्जी पेश की थी। राज्यसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार भाजपा में शामिल होने वाले वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, जी मोहन राव और टीजी वेंकटेश को भगवा दल के सदस्य के रूप में मान्यता मिल गई है। हालांकि राज्यसभा में अभी उनकी सीट बदली जानी बाकी है। शुक्रवार को ये सदस्य अपनी सीट पर ही बैठे।

पुडुचेरी को वित्तीय लेनदेन से जुड़े फैसलों को लागू करने से रोका

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जून।

सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी सरकार को वित्तीय निहितार्थ वाले मंत्रिमंडल के फैसलों को लागू करने पर रोक संबंधी अपने आदेश को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। लिहाजा, वह इसे नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर रही है।

पुडुचेरी सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उसने तीन मंत्रिमंडलीय फैसले लिए हैं। जिनमें सभी राशनकार्डधारियों को मुफ्त में चावल वितरित करना, एक विभाग का नाम बदलना और एक खस्ताहाल फैक्टरी की नीलामी शामिल है।

पानी में करंट उतरने से चार बच्चों की मौत

संभल, 21 जून (भाषा)।

हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार शाम ट्यूबवेल में नहाते समय पानी में करंट उतर आने से चार बच्चों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि हयात नगर थाना क्षेत्र के पेंतिया गांव में शुक्रवार शाम चार बच्चे ट्यूबवेल पर नहा रहे थे, तभी पानी में करंट आ गया। प्रसाद ने बताया कि चारों बच्चे बेहोश हो गए। उन्हें संभल के जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इन बच्चों की शिनाख्त शिवम (7), विष्णु (10), धर्मवीर (11) और गणेश (12) के रूप में हुई है। इनमें शिवम और विष्णु सगे भाई हैं।

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि, हमारे क्लाइंट मैसर्स मुथूट फाईनान्स लि. द्वारा 15th June 2019 को (बंधक आभूषणों की–एनपीए खातों) आयोजित होने वाली सार्वजनिक नीलामी कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है और अब 13th July 2019 को सार्वजनिक नीलामी पुनः निर्धारित की गई है। सार्वजनिक नीलामी का स्थान एवं समय वही रहेगा जो कि पहले ही संबंधित कर्ज़दारों को अधिसूचित किया जा चुका है। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे क्लाइंट की संबंधित शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट
ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गिरवी रखे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडीः auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464, 7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण–III, दिल्ली के समक्ष
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना निम्नलिखित के मामले में — ओ.ए. सं. 861/2017

विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) — आवेदक
बनाम
श्री संदीप नागर एवं अन्य — प्रतिवादीगण

डी 3	श्री अतुल नागर (गारंटर) पुत्र श्री राजबीर सिंह नागर निवासी : ई–36, सेक्टर–55, जिला – गौतम बुध नगर, नोएडा (उ.प्र.) 201301
डी 2	श्री घनश्याम भाटी (गारंटर) पुत्र श्री राजिंदर कुमार भाटी डुप्लेक्स –18, सेक्टर–82, नोएडा–201301.

जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **24–06–2019 को पूर्वा. 10.30 बजे** इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत **19 जून, 2019** को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा
सहायक रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, नई दिल्ली

JSL JINDAL STAINLESS

जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड

CIN: L26922HR1980PLC010901
पंजीकृत कार्यालय : ओ.पी. जिन्दल मार्ग, हिसार-125005 (हरियाणा)
फोन नं. (01662) 222471-83, फैक्स नं. (01662) 220499
निवेशकों हेतु ई-मेल आईडीः investorcare@jindalstainless.com
वेबसाइट : www.jslstainless.com

सार्वजनिक सूचना - शेयर सर्टिफिकेट की गुमशुदगी

सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गए हैं। यदि इस सूचना के प्रकाशन के सात दिनों तक वैध आपत्ति नहीं मिली तो कम्पनी इनके स्थान पर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी कर देगी।

कम्पनी के प्रति शेयर 2/- रुपये अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
430155	मधु पटेल; महेंद्र पटेल	424002 424129	76521661-76521855 76521856-76521930	195 75

कम्पनी के प्रति शेयर 10/- रुपये अंकित मूल्य के पुराने इक्विटी शेयर (9.3.2004 से पहले जारी)

फोलियो सं.	शेयरधारक का नाम	सर्टिफिकेट नं.	विशिष्ट संख्या	शेयरों की संख्या
419806	सुरेन्द्र कुमार जैन	221164	22035263-22035277	15
51338	बिमल हसमुखलाल शाह; रश्मि बिमल शाह	11267 51338	3071123-3071159 21144482-21144511	37 30
62203	नीलिमा नरेंद्र घुले; नरेंद्र मारुतराव घुले	208443	21263985-21264000	16
82006	मनु चौधरी	212006	21572798-21572813	16

कृते जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड
हस्ता/-
(नवनीत रघुवंशी)
कम्पनी सचिव

तिथि : 20 जून, 2019
स्थान : नई दिल्ली

सुब्रोस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एलजीएफ, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली–110 001
सीआईएनः L74899DL1985PLC020134
टेली. नं.: 011-23414946-49; फैक्स नं.: 011-23414945
ई–मेलः rakesh.arora@subros.com; वेबसाईटः www.subros.com

सूचना
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016, समय–समय पर यथासंशोधित (''नियम'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में इक्विटी शेयर जिनके संबंध में निरंतर सात या अधिक वर्षों से शेयरधारकों द्वारा लाभांश का भुगतान नहीं लिया गया है या दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधिम (आईईपीएफ) प्राधिकरण को अंतरित किया जाना है। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए कम्पनी ने ऐसे संबंधित शेयरधारकों का व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर वित्तीय वर्ष के दौरान नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने हैं।

कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों एवं आईईपीएफ उचन्त खाते को अंतरण के लिए देय शेयरों का पूरा विवरण अपनी वेबसाइट www.subros.com पर अपलोड किया है और शेयरधारको से अनुरोध है कि वे वेब–लिंक https://wwwsubros.com/investors पर अदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ उचन्त खाते मे अंतरण के लिए पात्र शेयरों के विवरणों की जांच कर लें।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण/उचन्त खाते को अंतरित किये गये अदावाकृत लाभांश एवं शेयर, ऐसे इक्विटी शेयरों पर उपार्जित लाभ, यदि कोई हो, के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण के पास वापिस पाने का दावा किया जा सकता है।

यदि कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से 22 सितम्बर, 2019 तक या उससे पूर्व कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी कथित नियमों में वर्णित आवश्यकताओं का पालन करते हुए नियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ उचन्त खाते में ऐसे इक्विटी शेयरों को अंतरित कर देगी।

इस विषय पर किसी भी पूछताछ के लिए शेयरधारक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि., एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–1, नई दिल्ली–110020, ई–मेलः admin@mcsregistrars.com; वेबसाइटः www.mcsregistrars.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते सुब्रोस लिमिटेड
राकेश अरोड़ा
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21.06.2019

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
एक परिवार एक बैंक

Head Office :
'Lokmangal', 1501,Shivajinagar, Pune-05

Tender Notice

Bank of Maharashtra, Corporate Services Department, Head office, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune- 411 005 is inviting quotations in sealed covers from the General Insurance Companies in India who satisfy pre-qualification criteria set out in the RFP document for providing following insurance coverage.

a. **Insurance Coverage of Assets owned by the Bank.**
b. **Bankers Indemnity Policy**
c. **Group personal Accident Policy**

All other details of RFP are available on our website: **www.bankofmaharashtra.in/tenders**
Last date of getting clarification on RFP from the Bank is **26th June, 2019**. Last date of submission of sealed quotation is **28th June, 2019** up to **2.00 p.m.** Bank reserves the right to reject any or all quotations without assigning any reason whatsoever. Quotations without qualifying documents or incomplete documents will not be entertained.

21/06/2019, Pune **Assistant General Manager, Corporate Services**

सार्वजनिक उद्घोषणा
नवरन एडवांस्ड नैनो प्रोडक्ट्स डवेल्पमेंट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड के हितधारकों के ध्यान हेतु

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिशोधन प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित 31(2)]

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिशोधन प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 31(2) के अनुवर्ती एतद्द्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि परिशोधन (कारपोरेट ऋणी) में नवरन एडवांस्ड नैनो प्रोडक्ट्स डवेल्पमेंट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड के हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा तैयार की गई है जो कि दिनांक 20.06.2019 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली, बैंच III के साथ दाखिल की गई है।

यहां पर कारपोरेट ऋणी की कार्यकारी वेबसाइट नहीं है, हितधारकों की सूची परिसमापक की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर देखी जा सकती है:
http://embeeip.com/navran/Navran_List_of_Stakeholders.pdf

हितधारकों को आगामी तौर पर अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी को दाखिल अनुसार हितधारकों की सूची में प्रविष्टियों का कोई संशोधन केवल माननीय एनसीएलटी को आवेदन दाखिल करने द्वारा किया जा सकता है।

ह./- (मोहित चावला),
परिसमापक
नवरन एडवांस्ड नैनो प्रोडक्ट्स डवेल्पमेंट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड
आईपी पंजीकृत सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-18/10949
एससीओ 2935-36, सेक्टर 22-सी, चंडीगढ़
पंजीकृत ई-मेल आईडी: ipservices@embeegroup.in
संपर्क : 09888003303

तिथि: 21.06.2019
स्थान: चंडीगढ़

ओमकारा असेट्स रिकन्सट्रक्शन प्रा. लि.

पंजीकृत कार्यालय : 9, एम.पी. नगर, प्रथम गली, कोन्गु नगर विस्तार, तिरूपुर - 641607, फोन नं. 04212221144
कॉर्पोरेट कार्यालय : सी/151, कनाकिया जिलियन, एलबीएस रोड़ का जंक्शन एवं सीएसटी रोड़, बीकेसी अनुबंध, इक्विनॉक्स के समीप, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई - 400070, टेलिफोन : 26544000, श्रीमती प्रतीक्षा पटेल, मो. +91 9773406175

सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री के लिए आम सूचना

जबकि, ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन है कंपनी (बाद में "OARPL" के रूप में संदर्भित), और **श्रीमती दीप्ति मावी के लेनदार और गारंटर 1. श्री गौरव मावी, 2. श्री रामप्रकाश मावी** असाइनमेंट दिनांक 31 मार्च 2018 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ जोड़ा गया। शक्तियों के प्रयोग में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत दिया गया सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 **(SARFAESI)** और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002, ने दिनांक 18.09.2017 **section** खंड को एक नोटिस नोटिस जारी किया था 13 (2) इस प्रकार श्रीमती दीप्ति मावी और गारंटरों को बुलाकर **1. श्री गौरव मावी, 2. श्री रामप्रकाश मावी** ने नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए **रु. 3,15,61,336 /- (रुपए तीन करोड़ पंद्रह लाख इकसठ हजार तीन सौ छत्तीस मात्र)** उधारकर्ता / गारंटर पूरे बकाया को चुकाने में विफल रहे प्रति मांग नोटिस 60 दिनों के भीतर, ओमकारा परिसंपत्तियों के अधिकृत अधिकारी पुनर्निर्माण प्राइवेट लिमिटेड (OARPL) ने नीचे उल्लेखित का प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। 25 फरवरी, 2019 को संपत्ति सुरक्षित की। इसके अलावा, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (OARPL), एक कंपनी है कंपनी अधिनियम, 2013 और एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत पंजीकृत है भारतीय रिजर्व बैंक ने SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपूर्ण अधिग्रहण कर लिया है श्रीमती दीप्ति मावी और गारंटियों के खिलाफ बकाया ऋण। 1. श्री गौरव मावी, 2. श्री रामप्रकाश मावी ने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एग्रीमेंट कजक की वीडियोग्राफी की। 31 मार्च 2018 न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से, सभी अंतर्निहित प्रतिभूतियों और अधिकारों के साथ। तदनुसार, OARPL ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जूते में कदम रखा है। और पूरे संविदात्मक बकाया की वसूली और सुरक्षा को लागू करने के लिए सशक्त है। अब यह अधिकृत अधिकारी इसके द्वारा नीचे उल्लिखित बेचने का इरादा रखता है बकाए की वसूली के लिए सुरक्षित संपत्तियों और इसलिए सील बंद निविदा को सील में आमंत्रित किया गया सुरक्षित संपत्तियों की खरीद के लिए कवर। संपत्तियों को सख्ती से बेचा जाएगा ''जैसा है वैसा ही है'', ''जैसा है वैसा है'' और न कोई ''आधार''।

क्र. सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1	सम्पत्ति के सभी हिस्से जो कि इन्सटीट्यूशनल प्लॉट नं. एन.एस-59, सेक्टर सिग्मा-I, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, एक साथ संरचना, श्रीमती दीप्ती मावी के स्वामित्व में।	रू. 4,56,00,000/-	रू. 45,60,000/-

सम्पत्ति का निरीक्षण : 19 जुलाई 2019, दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक
बोली प्रपत्र को प्रस्तुत करना : 22 जुलाई 2019, दोपहर 3.00 बजे
बोली प्रपत्र संग्रहण/प्रस्तुति/नीलामी का स्थान
ओमकारा असेट् कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : सी/515, कनाकिया जिलियन, एल.बी.एस रोड़ का जंक्शन एवं सीएसटी रोड़ बीकेसी अनुबंध, इक्विनोक्स के समीप, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई - 400070
बोली प्रारंभ : 23 जुलाई 2019, प्रातः 11:00 बजे

बिक्री के नियम व शर्ते

1. संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी और बिक्री के अधीन है OARPL द्वारा पुष्टि ने लेनदार को सुरक्षित कर दिया।
2. श्रीमती दीप्ती की बोली के आधार पर बोलियां / निविदाएं सील कवर में होनी चाहिए मावी और गारंटर **1. श्री गौरव मावी, 2. श्री रामप्रकाश मावी बकाया राशि जमा (ईएमडी) राशि।**
3. मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट ६ पे ऑर्डर के माध्यम से ईएमडी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। **''ओमकारा ट्रस्ट- पीएस 14/2017-18''** के पक्ष में जो बिना ब्याज के वापसी योग्य है असफल बोली लगाने वाले।
4. आरक्षित मूल्य से नीचे या ईएमडी राशि के बिना बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. उच्चतम बोली राशि को उद्धृत करते हुए संपत्ति बोलीदाता को बेची जाएगी। इंटर-सीड बोली होगी। प्राधिकृत अधिकारी के एकमात्र विवेक पर। हालाँकि, प्राधिकृत अधिकारी के पास है। पूर्ण शक्ति और किसी भी निविदा /बोली या स्थगित / स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार बिना किसी कारण बताए बिक्री।
6. किसी भी शुल्क, शुल्क, कर सहित, लेकिन हस्तांतरण ६ संप्रेषण शुल्क तक सीमित नहीं, अवैतनिक बिजली शुल्क, नगर निगम स्थानीय कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क केवल खरीदार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
7. किसी भी सोसायटी बकाया राशि का भुगतान क्रेता को ही करना होगा।
8. सभी बकाया / अवैतनिक कर सहित, लेकिन बिक्री कर, बकाया सहित सीमित नहीं औद्योगिक निगम जैसे सिडको, एमआईडीसी, आदि, श्रमिक /श्रमिक बकाया /मुआवजा यदि कोई या कोई अन्य बकाया, वैधानिक या अन्यथा सुरक्षित संपत्ति पर वहन किया जाएगा क्रेता द्वारा अलग से।
9. सफल बोलीदाता बोली राशि का 25 प्रतिशत जमा करेगा (ईएमडी को समायोजित करने के बाद) तुरंत यानी उसी दिन या बाद में अगले कार्यदिवस की तुलना में, जैसा कि मामला है हो सकता है और पुष्टि से 15 दिनों के भीतर 75 प्रतिशत राशि देय हो बिक्री का। बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफलता के रूप में ईएमडी सहित सभी जमा राशि होगी। आगे की सूचना के बिना जब्त कर लिया। हालांकि, आगे उचित समय का विस्तार असाधारण स्थितियों में शेष राशि का 75प्रतिशत भुगतान एकमात्र विवेक पर होगा अधिकृत अधिकारी के।
10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसके सबसे अच्छे हैं ज्ञान, विश्वास और रिकॉर्ड। प्राधिकृत अधिकारी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। त्रुटि, गलत बयान या चूक, आदि इच्छुक क्रेता अपना बना लेंगे। शीर्षक, क्षेत्र, माप, स्थिति, बकाया राशि के बारे में स्वतंत्र पूछताछ उक्त संपत्ति और ओमकारा ARC के संबंध में और उसके दावे आदि नहीं किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी हो।
11. सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर/ आरटीजीएस द्वारा किए जाएंगे **''ओंकारा ट्रस्ट- पीएस 14 /2017-18''** मुंबई में देय है।
12. केवाईसी अनुपालनः - पहचान का प्रमाण की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी पहचान पत्र स्वीकार्य निवास प्रमाण के साथ कार्ड/पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस आदि चाहिए प्रस्ताव /बोली के पत्र के साथ और कंपनी के मामले में सभी बोलीदाताओं द्वारा संलग्न किया जाए। फर्म आदि उचित समाधान और प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ऋणी/जमानतदारों को 30 दिनों के नोटिस के रूप में यह भी सूचित करें। सुरक्षित संपत्ति सरफेसी अधिनियम और सुरक्षा की बिक्री के लिए ब्याज (सुरक्षा) नियम।
ब्याज (प्रवर्तन) नियम.

दिनांक : 22.06.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : मुम्बई **ओमकारा असेट्स रिकन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड**

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

तनावग्रस्त परिसम्पत्ति वसूली शाखा–2, 18/4, एसबीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली– 110005
टेली.: 011–26425673, ई–मेलः sbi.51521@sbi.co.in

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, 18/4, एसबीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली– 110005 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी–II, 18/4, एसबीआई हाउस, 4था तल, आर्य समाज रोड, करोलबाग, नई दिल्ली– 110005 द्वारा उक्त अधिनियम केअंतर्गत 20.11.2018 को जारी कर ऋणधारक 1) श्री राजेश शर्मा, 114 डी, पॉकेट डी–2, मयूर विहार फेज–III, नई दिल्ली–110096, साथ हीं फ्लैट नं. 98 सी, 1ला तल, डी–2, जनता फ्लैट, मयूर विहार फेज–II , नई दिल्ली–110096, 2) श्रीमती पूजा शर्मा, पत्नी श्री राजेश शर्मा, 114 डी, पॉकेट डी–2, मयूर विहार फेज–III, नई दिल्ली–110096, साथ हीं फ्लैट नं. 98 सी, 1ला तल, डी–2, जनता फ्लैट, मयूर विहार फेज–II , नई दिल्ली–110096, (यहां के बाद ऋणधारक तथा गारन्टर्स संयुक्त रूप से ऋणधारकों के रूप में वर्णित) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 20.11.2018 को रु. 13,38,311 (रुपये तेरह लाख अड़तीस हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) के साथ सभी अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज, आदि के साथ अनुबंधित दरों पर उक्त राशि पर आगे का ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 17 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 60 दिनों के भीतर 20.11.2018 को रु. 13,38,311 (रुपये तेरह लाख अड़तीस हजार तीन सौ ग्यारह मात्र) के साथ सभी अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज, आदि के साथ अनुबंधित दरों पर उक्त राशि पर आगे का ब्याज के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/ गारन्टर/ मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री राजेश शर्मा एवं श्रीमती पूजा शर्मा के नाम में कोण्डली/ घरोली आवासीय योजना, मयूर विहार फेज–III, नई दिल्ली– 100096 में स्थित आवासीय जनता फ्लैट नं. 98 सी, 1ला तल, पॉकेट डी–2 में स्थित है।

तिथिः 17.6.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः मयूर विहार फेज–III, नई दिल्ली — भारतीय स्टेट बैंक

सार्वजनिक घोषणा

(दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के सपठित नियम 31(2))

परिसमापन में मेटाफोर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु

दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अनुसार सार्वजनिक रूप से कॉर्पोरेट देनदार के सभी हितधारकों हेतु घोषणा की गई है कि हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा तैयार की गई है। हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा इस प्रकार दर्शाई है:–

क्र. सं.	वित्तीय लेनदार का नाम	दावे की राशि	दी गई राशि	सुरक्षित / असुरक्षित
1.	पंजाब नैशनल बैंक	66,39,98,546.51	58,21,46,546.51	सुरक्षित
2.	कॉर्पोरेशन बैंक	47,87,95,952.30	47,76,96,962.30	सुरक्षित
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	13,48,00,510.86	13,43,00,510.86	सुरक्षित
4.	आईएफसीआई फैक्टरिंग लिमिटेड	11,58,77,267.92	11,58,77,267.92	असुरक्षित
5.	इंडिया फैक्टरिंग एण्ड फाईनेंस सॉल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	7,84,55,816.29	7,84,55,816.29	असुरक्षित
6.	बिब्बी फाईनेंशियल सर्विसेज (I) प्राईवेट लिमिटेड	28,52,316.00	28,52,316.00	असुरक्षित

क्र. सं.	संचालनकर्ता लेनदार का नाम	दावे की राशि	दी गई राशि	सुरक्षित / असुरक्षित
1.	एक्साईज एण्ड टेक्सेशन कमीशनर	19,30,26,060/-	19,30,26,060/-	असुरक्षित
2.	एम्पलोइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाईजेशन	1,39,93,166/-	1,39,93,166/-	असुरक्षित
3.	हेलमन वर्ल्डवाईड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	32,72,776/-	32,72,776/-	असुरक्षित
4.	क्वालिटी पॉलीथ्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	1,98,899/-	1,98,899/-	असुरक्षित

श्रमिकों और कर्मचारियों की सूची: NIL
अन्य हितधारकों की सूची: NIL

हितधारकों को सूचित किया जाता है कि हितधारक की सूची में किसी भी संशोधन को माननीय NCLT, प्रधान पीठ और पीठ द्वारा निर्देशित अन्य तरीके से आवेदन दाखिल करके किया जा सकता है। अधिक जानकारी/पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: metaphorliq@gmail.com

हस्ताक्षर/–
सत्येन्द्र प्रसाद खोरानियां
परिसमापक
मेटाफोर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
IBBI/IPA-002/IP-N00002/2016-17/10002

दिनांक: 21.06.2019
स्थान: जयपुर

HeroFin Corp.

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

CIN:U74899DL1991PLC046774
पंजी. कार्यालयः 34, कम्युनिटी सेन्टर, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली–110057
टेलीः 011–49487150, फैक्सः 011–49487150,
ई–मेलः litigation@herofincorp.com, वेबसाईटः www.herofincorp.com

पूर्वाग्रह–रहित ई–नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के अनुसार हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के पास गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति की ई–नीलामी बिक्री

विद्वान डीएम, गुरुग्राम द्वारा पारित आदेश तिथि 12.3.2019 के अनुपालन में हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (एचएफसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां नीचे वर्णित ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ एचएफसीएल के बकाये की वसूली के लिये **''जैसा है जहां है आधार''** एवं **''जो भी वहां है आधार''** एवं **''जैसा है जो है आधार''** एवं **''उपचार रहित आधार''** पर पूरी तरह से उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ निम्न ऋणखाताओं में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है। जैसा कि उसके भुगतान में विफलता के उपरांत प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के साथ पठित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा एचएफसीएल के बकाये की वूसली का प्रस्ताव करते हैं। जबकि, ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक से एचएफसीएल के बकाये प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिये प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री सार्वजनिक नीलामी द्वारा की जायेगी। आम जनता को व्यक्तिगत अथवा अपने विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली के लिये आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक का नाम एवं पताः एमआईसीए इंडस्ट्रीज लि., जिसका पंजीकृत कार्यालयः ए–36, IIरा तल, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027 में है। **सह–ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) का नाम एवं पताः** 1. श्री विनय गुप्ता पताः बी–1/208, यमुना विहार, दिल्ली–110053, पताः 58, बिर्च कोर्ट, निर्वाणा कन्ट्री, साउथ सिटी–2, सेक्टर–50, गुड़गॉव 2. श्री विकास गोयल पताः बी–1/208, यमुना विहार, दिल्ली–110053, पताः मकान सं. 95, तत्वम विल्लास, ब्लॉक–जेड, विपुल वर्ल्ड, सेक–48, सोहना रोड, गुड़गाँव 3. श्री विश्वेश्वर नाथ गुप्ता पताः बी–1/208, यमुना विहार, दिल्ली–110053, पताः मकान सं. 95, तत्वम विल्लास, ब्लॉक–जेड, विपुल वर्ल्ड, सेक–48, सोहना रोड, गुड़गाँव	
ऋण अनुबंधः स्वीकृत पत्र तिथि 8.3.2016, मास्टर फैसिलिटीज एग्रीमेन्ट तथा (2) सप्लीमेन्टरी एग्रीमेन्ट, सभी तिथि 16.3.2016 जो एमआईसीए इंडस्ट्रीज लि. एवं हीरो फिनकार्प लि. के बीच निष्पादित किया गया है।	
मांग सूचना तिथिः 31.10.2018	**कब्जा की तिथिः** 25.5.2019
मांग सूचना के अनुसार बकाया राशिः 30.10.2018 को देय रु. 11,18,50,623.72 (रुपए ग्यारह करोड़ अठारह लाख पचास हजार छह सौ तेईस एवं पैसे बहत्तर मात्र)	
उपरोक्त ऋण अनुबंध के लिये गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का विवरण बिल्ला नं. 95, तत्वम बिल्लास, ब्लॉक–जे, विपुल वर्ल्ड, सेक.–48, सोहना रोड, गुड़गाँव	
आरक्षित मूल्यः रुपये 6,00,00,000/– (रुपये छह करोड़ मात्र)	
धरोहर राशि भुगतानः रु. 60,00,000/– (रुपये साठ लाख मात्र)	
ई–नीलामी की तिथि एवं समयः 31.7.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 01 बजे अप. तक।	

ऑन लाइन निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तेंः

1. नीलामी बिक्री प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 31.7.2019 को 10 बजे पूर्वा. से 1 बजे अप. (आईएसटी) तक वेबसाईट ''https://www.bankauctions.in'' के माध्यम से ''ऑन लाइन ई–नीलामी/बिक्री'' होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध ई–मेल पता होना चाहिये।
3. इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये वेबसाईटः https://www.bankauctions.in देखें।
4. संभावित बोलीदाताओं को https://www.bankauctions.in पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड प्राप्त करना होगा।
5. संभावित बोलीदाता हेल्पालाइन नं.: 040–23836405, +91–8142000809/8142000066/67 पर सम्पर्क कर अथवा info @ bankauctions.com/vikas@bankauctions.in पर ई–मेल भेजकर हमारे सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर से ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
6. संबंधित विवरणों के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑन लाइन जमा की जायेगी।
7. ऑन लाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 30.7.2019 के 5.00 बजे अप. तक है।
8. बोली का न्यूनतम वृद्धि मूल्य रु. 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) है।
9. ई–नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को नीचे वर्णित खाता में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा ईएमडी जमा करना होगाः

बैंक का नाम	एचडीएफसी बैंक लि.
खाता धारक का नाम	हीरो फिनकॉर्प लि.
बैंक का पता	209–214, कैलाश बिल्डिंग 26, केजी मार्ग, नई दिल्ली
खाता सं.	00030310016156
आईएफएससी कोड	HDFC0000003

10. सफल बोलीदाता के मामले में ईएमडी समायोजित की जायेगी। असफल बोलीदाता को ईएमडी एचएफसीएल द्वारा वापस लौटा दी जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी।
11. एचएफसीएल को उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई–नीलामी बिक्री को स्थगित/निलंबित/रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
12. उपरोक्त सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा।
13. यदि एचएफसीएल द्वारा बोली/प्रस्ताव स्वीकार की जाती है, बोली में उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले सफल बोलीदाता को एचएफसीएल के पास उसी दिन ई–नीलामी बिक्री प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद 25% बोली राशि (ईएमडी सहित) का भुगतान करना होगा जिसमें विफल होने पर ईएमडी जब्त कर ली जायेगी तथा तत्काल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।
14. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पूर्व हीरो फिन कॉर्प लिमिटेड के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य चेक/पेआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा।
15. निर्धारित अवधि अर्थात् बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान नहीं करने पर जमा राशि (25% बोली राशि सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से बिक्री की जायेगी तथा क्रेता उस सम्पत्ति अथवा राशि के किसी भाग जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जायेगी, के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे।
16. एचएफसीएल द्वारा बिक्री की पुष्टि पर तथा यदि नियमों एवं शर्तों का पालन किया गया हो, बिक्री करने वाले प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के परिशिष्ट V में दी गई प्रपत्र में क्रेता के पक्ष में अचल सम्पत्ति का बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
17. सम्पत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' एवं ''जो भी वहां है आधार'' एवं ''जैसा है जो भी है आधार'' एवं उपचार–रहित आधार पर की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति के संदर्भ में टाइटल, पहचान, विस्तार, व्यास, सर्वे नम्बर, डोर नम्बर, चौहद्दी अथवा अधिभारों के विषय में संतुष्ट होने के लिये राजस्व/एसआरओ के अभिलेखों की जांच कर लें। एचएफसीएल उपरोक्त सम्पत्ति पर लम्बित किसी भी प्रकार की देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
18. इच्छुक पार्टी/बोलीदाता 29.7.2019 को या उससे पूर्व कार्यावधि के दौरान नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिये वे अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते हैं।
19. सफल बोलीदाता को एकाकी रूप से लागू होने वाले कॉन्वीयन्स, पंजीकरण शुल्कों, स्टाम्प शुल्क, करों, सांविधिक देयताओं के लिये देय सभी चार्जेज का वहन करना होगा।
20. यह ई–नीलामी बिक्री एचएफसीएल द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
21. यह बिक्री/नीलामी सरफेसी अधिनियम, 2002 (उसके अंतर्गत निर्मित नियमों) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगी।
22. नीलामी की गई सम्पत्ति के संदर्भ में किसी चार्ज, लिएन, अधिभारों, सम्पत्ति कर तथा सरकार या किसी व्यक्ति के किसी अन्य बकाये के लिये एचएफसीएल उत्तरदायी नहीं होगा।
23. यदि वे अपनी सम्पूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान नहीं करते हैं तो उपरोक्त तिथि को ई–नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उपरोक्त ऋण के ऋणधारक/अथवा सह–ऋणधारक के लिये यह प्रकाशन 30 दिनों की बिक्री सूचना है। ऋणधारक तथा सह–ऋणधारक को ई–नीलामी की तिथि को या उससे पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान करने के लिये सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों की बिक्री सूचना दी जाती है जिसमें विफल होने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसूल की जायेगी। यदि ई–नीलामी बिक्री की तिथि से पूर्व ऋणधारक अथवा सह–ऋणधारक(कों) एचएफसीएल की संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान कर देते हैं तो ई–नीलामी बिक्री रोक दी जायेगी।
24. एतद्द्वारा ऋणधारक तथा मार्टगेजर को सूचित किया जाता है कि बिक्री के नियमों एवं शर्तों के अनुसार यहां ऊपर निर्दिष्ट अचल सम्पत्ति की खरीद के लिये वे इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को सामने ला सकते हैं।
25. अचल सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम बोलीदाता को की जायेगी। लेकिन, प्राधिकृत अधिकारी को यदि वे आवश्यक समझें, इंटर–से बोली की अनुमति देने का सम्प्रभु अधिकार है।
26. ऊपर वर्णित ऋण की राशि, ऋण फोर्क्लोजर राशि नहीं है। उक्त ऋण के लिये लम्बित ईएमआई सहित अन्य सभी चार्जो की ऋण समापन के समय में गणना की जायेगी।

श्री विक्की ग्रोवर, मो.: 9205581723
प्राधिकृत अधिकारी
हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

तिथिः 22.6.2018
स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा

विश्व कप -2019

जनसत्ता

महासमर

22 जून, 2019 12

दिलचस्प आंकड़े

रन	11648	सबसे ज्यादा रन	डेविड वार्नर
विकेट	341		
छक्के	217	उच्चतम स्कोर	डेविड वार्नर
अर्धशतक	63		

एक खराब प्रदर्शन, दस अच्छे को भूला देता है : राशिद

साउथम्पटन, 21 जून (भाषा)।

इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने नौ ओवर में 110 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। हद यह रही कि क्रिकेट में नौसिखिया आइसलैंड ने भी उनके लिए मजाकिया ट्वीट किया।

अफगानिस्तान के लिए कई बार मैच विजेता रहे इस गेंदबाज ने कहा है कि लोग दस अच्छे दिन भूल जाते हैं और एक बुरे दिन को आसानी से याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस मैच के बारे में बहुत अधिक नहीं सोच रहा हूं। लोग दस अच्छे दिन भूल जाते हैं और एक बुरे दिन को आसानी से याद रखते हैं। उन्हें वह याद करना अच्छा नहीं लगता जो राशिद ने पिछले दस दिन किया था।

राशिद अभी वनडे में विश्व में तीसरे नंबर के गेंदबाज हैं जबकि टी-20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस मैच में की गई गलतियों पर ध्यान देकर आगामी मैचों में उनमें सुधार करने पर ध्यान दूंगा। आलोचना के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। मुझे चीजों को आसान बनाए रखना होगा। राशिद से पूछा गया कि क्या कप्तान गुलबदीन नायब के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कप्तानी में बदलाव पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि मैं न तो गुलबदीन के लिए खेलता हूं और ना ही क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के लिए, मैं अफगानिस्तान के लिए खेलता हूं। राशिद और अफगानिस्तान के एक अन्य सुपरस्टार मोहम्मद नबी ने विश्व कप के लिए अशगर अफगान की जगह गुलबदीन को कप्तान बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी जो कि देश के क्रिकेट बोर्ड को अच्छा नहीं लगा था। अफगानिस्तान को लगातार पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा जिससे साजिश जैसी बातें भी सामने आने लगी हैं और इनमें राशिद का गुलबदीन के साथ कड़वे रिश्ते भी शामिल हैं। इससे इस स्पिनर के प्रदर्शन पर भी असर पड़ा है और उन्होंने विश्व कप में अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया।

राशिद से पूछा गया कि क्या कप्तान गुलबदीन नायब के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कप्तानी में बदलाव पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा कि मैं न तो गुलबदीन के लिए खेलता हूं और ना ही क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के लिए, मैं अफगानिस्तान के लिए खेलता हूं।

राशिद ने भारत के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि गुलबदीन के साथ मेरे रिश्ते खराब नहीं हैं। मैं उन्हें भी उतना ही सहयोग देता हूं जैसे अशगर के कप्तान रहते हुए उन्हें देता था। अगर मैं अशगर को मैदान पर 50 फीसद सहयोग देता था तो गुलबदीन के साथ मेरा 100 फीसद सहयोग है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद किसी ने भी इस मसले पर बात नहीं की। मुझे लगता है कि मीडिया में इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ खिलाड़ी पिछले 15-16 साल से साथ में खेल रहे हैं। इसलिए अगर एक दशक से भी अधिक समय कुछ नहीं बदला तो फिर एक या दो दिन में क्या बदल सकता है। लेकिन जब राशिद से कप्तानी में बदलाव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं न तो गुलबदीन के लिए खेलता हूं और ना ही क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के लिए, मैं अपने ध्वज, अफगानिस्तान के लिए खेलता हूं।

सीएसी-आइपीएल में किसी एक को चुनना होगा लक्ष्मण, गांगुली को

नई दिल्ली, 21 जून (भाषा)।

बीसीसीआइ के नैतिक अधिकारी डीके जैन ने गुरुवार को हितों के टकराव मामले में फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण की क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएससी) के सदस्य तथा आइपीएल फ्रेंचाइजी टीमों के मेंटर के रूप में दोहरी भूमिका हितों का टकराव है। इन दोनों पूर्व क्रिकेटरों को इनमें से किसी एक को चुनना होगा।

लक्ष्मण जहां सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटर हैं वहीं गांगुली दिल्ली डेयरडेविल्स से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वह बंगाल क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण पर फैसला गुरुवार को दिया गया जबकि गांगुली पर एक फैसला पहले दिया गया था। जैन ने कहा कि एक व्यक्ति एक पद लोढ़ा समिति की सिफारिशों का मुख्य अंश है। मैंने केवल इसे सामने लाने की कोशिश की है। सचिन तेंदुलकर के मामले में हितों का टकराव का मामला नहीं बनता क्योंकि वह सीएसी से हट चुके हैं। लेकिन जहां तक गांगुली और लक्ष्मण का मामला है तो उन्हें यह फैसला करना होगा कि वे भारतीय क्रिकेट को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तेंदुलकर एक अन्य आइपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के मेंटर हैं। इन तीनों दिग्गज क्रिकेटरों पर हितों के टकराव का आरोप लगा था। लक्ष्मण ने सुनवाई के दौरान सीएसी से हटने की पेशकश की थी। जैन ने कहा कि मैंने गांगुली और लक्ष्मण पर फैसला सुनाकर कुछ विशेष नहीं किया है।

जैन को फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया था। उन्होंने रोबिन उथप्पा और इरफान पठान जैसे सक्रिय खिलाड़ियों के विश्व कप के दौरान कमेंट्री करने के मामले पर भी अपनी राय रखी और कहा कि लोढ़ा समिति की भावना के तहत यह भी हितों का टकराव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के आधार पर सक्रिय खिलाड़ियों के खिलाफ भी शिकायतें आ सकती हैं। उन्हें अब अपने दिमाग से काम लेना होगा और इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं किसी को कमेंट्री करने से नहीं रोक रहा हूं।

भारत का सामना अफगानिस्तान से आज

साउथम्पटन, 21 जून (भाषा)।

मैच का समय

दोपहर तीन बजे से

भारतीय टीम शनिवार को विश्व कप मुकाबले में हार से त्रस्त अफगानिस्तान से भिड़ेगी। इस मैच में भारत की निगाहें अपना नेट रन रेट बेहतर करने पर लगी होंगी। खिताब के प्रबल दावेदार भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच एकतरफा होने की संभावना है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाज मौका मिलने पर कुछ नए रेकार्ड बना सकते हैं। इस मैच में बड़ी जीत से भारत की सेमी फाइनल की राह आसान हो जाएगी।

अफगानिस्तान का अभियान मैदान के अंदर और बाहर के गलत फैसलों के कारण बेहद खराब रहा है। अब उनका सामना स्टार क्रिकेटरों से सजी टीम से है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ऐसी टीम रही है जिसे शुरू में ही कड़े मुकाबलों का सामना करना पड़ा।

रोहित से दोहरे शतक की उम्मीद

रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं। अगर भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वह एक और दोहरा शतक जमाने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान का आक्रमण अभी कमजोर नजर आ रहा है और उसके मुख्य गेंदबाज राशिद खान फॉर्म में नहीं हैं। कप्तान कोहली ने आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ आसानी से अर्धशतक जमाए हैं। शंकर की चोट टीम के लिए चिंता का विषय हो सकती है।

शंकर ने दिया फिटनेस टेस्ट, कहा खेलने की उम्मीद

साउथम्पटन, 21 जून (भाषा)।

चोटिल आल राउंडर विजय शंकर को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के अगले विश्व कप मैच में खेलने की उम्मीद है क्योंकि उनके पैर के अंगूठे का दर्द ठीक हो गया है।

शंकर ने एक शार्ट फिटनेस टेस्ट दिया जिसमें उन्हें थोड़ी रनिंग कराई गई और उन्होंने फिजियो पैट्रिक फरहार्ट और ट्रेनर शंकर बासु के देखरेख में कुछ गेंद भी फेंकी। यह पता नहीं चल सका कि फिजियो और ट्रेनर उनकी प्रगति से खुश थे या नहीं। बीते समय में ऐसी भी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें किसी खिलाड़ी ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में हिस्सा लिया हो लेकिन अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सका।

इंग्लैंड को हराकर श्रीलंका ने जिंदा रखी उम्मीदें

मलिंगा ने चार विकेट लेकर अंग्रेज टीम के शीर्षक्रम को किया नेस्तनाबूद

उम्मीदें लीड्स, 21 जून (भाषा)।

एंजेलो मैथ्यूज के अर्धशतक के बाद तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा की शानदार गेंदबाजी के दम पर श्रीलंका ने विश्व कप के कम स्कोर वाले मैच में खिताब की दावेदार मेजबान इंग्लैंड को 20 रन से हराकर सेमी फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखी ।

इंग्लैंड ने श्रीलंका को नौ विकेट पर 232 रन पर रोक दिया था जिसमें मैथ्यूज ने 115 गेंद में 85 रन बनाए थे। जवाब में 1996 की चैंपियन श्रीलंकाई टीम ने इंग्लैंड को 47 ओवर में 212 रन पर आउट करके इस विश्व कप में दूसरी जीत दर्ज की। मलिंगा ने 43 रन देकर चार विकेट लिए और इंग्लैंड के शीर्षक्रम को नेस्तनाबूद कर दिया। उन्होंने जेम्स विंस (14), जानी बेयरस्टा (0) और जो रूट (57) के अलावा जोस बटलर (10) के कीमती विकेट चटकाए।आफ स्पिनर धनंजय डिसिल्वा ने निचले क्रम के तीन विकेट लिए। रूट के 89 गेंद में अर्धशतक के बाद बेन स्टोक्स ने 89 गेंद में 82 रन बनाकर इंग्लैंड की उम्मीदें कायम रखी लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। इस जीत के बाद श्रीलंका छह मैचों में छह अंक लेकर पांचवें स्थान पर है जबकि इंग्लैंड छह मैचों में आठ अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इससे पहले इंग्लैंड के लिए आर्चर ने 52 रन देकर तीन विकेट लिए। इस विश्व कप में पांचवीं बार उन्होंने पारी के तीन या अधिक विकेट चटकाए। अब उनके आस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क के समान 15 विकेट हो गए हैं। मार्क वुड ने 40 रन देकर तीन विकेट लिए। श्रीलंका ने दो विकेट महज तीन रन के स्कोर पर गंवा दिए थे। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज ने संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए नाबाद 85 रन बनाकर टीम को 50 ओवर पूरे करके 200 रन के पार पहुंचाया। विश्व कप में पहला मैच खेल रहे अविष्का फर्नांडो ने 49 रन बनाए।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 216, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

नई दिल्ली